हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

18.11.2026/1100/RKS/HK-1

अध्यक्ष : अभी नियम-67 के अंतर्गत चर्चा जारी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो इस चर्चा को आगे जारी रखा जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियम-67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन मूव किया गया है। इन्होंने कल विधान सभा का सत्र आरम्भ होते ही यह रेजोल्यूशन मूव किया था। कल भी प्रश्नकाल नहीं हुआ था। प्रश्नकाल को स्थगित रखा गया था। आज भी प्रश्नकाल नहीं होगा क्योंकि there cannot be two sets of rules. कल प्रश्नकाल और कार्यवाही की अन्य सूची को स्थगित करके नियम-67 के अंतर्गत चर्चा की गई थी। मेरा अनुरोध है कि आज हम नियम-67 के अंतर्गत चर्चा पूरी कर लें। आज कुछ माननीय सदस्य अपनी बात रख लें और इसके बाद अन्य कार्यसूची के विषय ले लिए जाएंगे। Because it is important to them and we have not opposed it. मुख्य मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार करने की बात कही है। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है और आपके पास जो तथ्य हैं उन्हें आप सदन में रख सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप इस माननीय सदन की भावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समय-समय पर हम अलग-अलग तरह के फैसले ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सदन में नियमों की एक स्थापित परंपरा होनी चाहिए और हमें उसी के अनुसार कार्यवाही चलानी चाहिए जो अधिक उचित रहेगी। नियम-67 के अंतर्गत हम पहले भी इस माननीय सदन में चर्चा लाए थे और आपने उसे स्वीकार किया था तथा उस पर चर्चा भी हुई। लेकिन आपकी ओर से और सत्तापक्ष की ओर से ही हमारे समक्ष यह प्रस्ताव लाया गया था कि प्रश्नकाल आवश्यक है और प्रश्नकाल होना चाहिए। इसी दृष्टि से यदि हम इसके पिछले इतिहास पर थोड़ा विचार करें तो हमने उसे स्वीकार किया था। प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टि से प्रश्नकाल चलता रहा और नियम-67 के अंतर्गत भी चर्चा चलती रही। नियम-67 के अंतर्गत 2-3 दिन चर्चा हुई लेकिन इसके बावजूद प्रश्नकाल नियमित रूप से चलता रहा। ऐसा आज से पहले भी हुआ है। लेकिन अचानक अपनी

अनुकूलता और सुविधा के अनुसार सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। आज आपको लग रहा है कि प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए जबकि कल आपने स्वयं इस माननीय

18.11.2026/1100/RKS/HK-2

सदन में प्रस्ताव रखा था कि प्रश्नकाल होना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने नियम-67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन दिया है जिसे आपने स्वीकार किया और उस पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान) अगर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हो रही है तो यह व्यवस्था हमेशा के लिए रहनी चाहिए। इसमें बार-बार बदलाव नहीं होना चाहिए। यदि आप और सत्तापक्ष वाले चाहते हैं कि प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। नियम-67 के अंतर्गत हमारा संकल्प आपने स्वीकार किया है और उस पर चर्चा हो रही है। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सदन में कार्य करने की दिशा में एक स्थायी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। बार-बार व्यवस्था में बदलाव करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आज एक निर्णय करना और कल दूसरा निर्णय करना उचित नहीं है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपकी अनुमति हो तो नियम-67 के अंतर्गत जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1105/बी.एस./एच.के.-1

श्री जय राम ठाकुर के बाद..

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप तो कानून के ज्ञाता भी हैं। जब सदन की सहमति होती है तो प्रश्नकाल शुरू होता है। पहले भी जब सदन की सहमति बनी थी तब प्रश्नकाल शुरू हुआ था। यदि प्रश्नकाल शुरू करना है तो इस समय सत्तापक्ष की इसमें सहमति नहीं है। यदि एक बात पर सहमति बन सकती है तो वह यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी काम रोको प्रस्ताव वापस ले सकती है तो सहमति बन सकती है और प्रश्नकाल भी शुरू हो

सकता है क्योंकि काम रोको प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार में जितने भी काम रोको प्रस्ताव लाए गए हैं उन सभी को हमने स्वीकार किया है। यह भी विधान सभा के इतिहास में एक उदाहरण बना है।

एक और बात कहना चाहूंगा कि काम रोको प्रस्ताव लाने से पहले उसके तथ्य जरूर होने चाहिए। केवल चर्चा करने और अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाना उचित नहीं है। मैं विषय के बारे में बात कर रहा हूं। जब काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद विपक्ष का कोई भी वक्ता चाहे प्रतिपक्ष के नेता या अन्य सदस्य अपनी बात रखते हैं तो कुछ दस्तावेज सभा पटल पर भी रखे जाने चाहिए ताकि हम उनकी जांच करवा सकें। राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक भावना से आरोप लगाने के लिए प्रस्ताव लाना उचित नहीं है। यदि आपको राजनीतिक स्कोर सेटल करना है तो वह भी कर लीजिए यह अच्छी बात है लेकिन जब आप दुर्भावना के साथ काम रोको प्रस्ताव लाते हैं तो उसकी परिस्थितियां भिन्न होती हैं।

हम चाहते हैं कि हमारे सभी विधायकों को अपनी बात रखनी है। प्रतिपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाया है तो कम-से-कम तथ्यों को सामने लाएं और दस्तावेज भी प्रस्तुत करें। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल से संबंधित कोई भी ऐसा दस्तावेज सामने आता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यदि आप काम रोको प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं तो हम प्रश्नकाल भी कर लेंगे और आगे की कार्यवाही भी करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चर्चा को आरंभ करने की अनुमति दें क्योंकि काम रोको प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं, धन्यवाद।

18.11.2026/1105/बी.एस./एच.के.-2

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय जब पिछले कल काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया गया और उस पर चर्चा हुई तो विपक्ष की ओर से मैंने चर्चा आरंभ की थी। मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं थे सदन में उप मुख्य मंत्री थे। मैंने तथ्य के आधार पर जो बातें कही

हैं वे पूरी जिम्मेवारी के साथ कही हैं। That is part of the record. आप विधान सभा के रिकॉर्ड में देख लीजिए। आप लोग भी पांच वर्ष विपक्ष में रहे हैं और उस समय आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे जो आप कहते थे वह सही था और लोकतंत्र में आपको उस समय बोलने की अनुमति थी। आज विपक्ष की भूमिका हमारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है। जो बातें हमें गलत लगती हैं हम उनको सदन में उठाते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी कही हुई किसी बात में कोई गलती है तो आप उस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। हमने कल एक-एक विषय को लेकर अपनी बात रखी है। कल आप यहां उपस्थित नहीं थे क्योंकि आप दिल्ली गए हुए थे और वहां किताब की लॉन्चिंग हो रही थी।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, आपकी स्पीच कार्यवाही के रिकार्ड का हिस्सा है।

श्री जय राम ठाकुर : लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम बेवजह बोल रहे हैं? आप यह तय नहीं कर सकते कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं विपक्ष का नेता हूं इसलिए यह मेरी जिम्मेवारी है कि विपक्ष को क्या बोलना है।

Speaker : I agree with you. मैंने आपका पूरा भाषण सुना है। आपका भाषण बहुत सबस्टैंशियल है और तथ्यों पर आधारित है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये सभी जांच के विषय हैं। यदि आप जांच नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम जांच करेंगे।

उप मुख्य मंत्री : आप सत्ता में कहां से आएंगे?

श्री जय राम ठाकुर : हम आएंगे यह लोगों ने तय कर लिया है और आप जाएंगे यह भी लोगों ने तय कर दिया है। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्य

18.11.2026/1105/बी.एस./एच.के.-3

मंत्री जी इस बात को तय नहीं कर सकते कि विपक्ष को कैसे बोलना है कितना बोलना है और क्या बोलना है। यह तय करना उनका अधिकार नहीं है। हमने मुद्दों पर अपनी बात रखी है और आपने भी अपनी बात रखी है।

अध्यक्ष : आप विषय पर बोले हैं, I agree with you.

श्री जय राम ठाकुर : हमने प्रासंगिक मुद्दों को उठाया है जो चर्चा के विषय हैं। उन मुद्दों पर आप जवाब दें क्योंकि आपको चर्चा का उत्तर देना है लेकिन बीच में अनावश्यक रूप से बार-बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना सही नहीं है। कल आपकी अनुपस्थिति थी और आज सुबह से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सदन में आ गए हैं। आपकी किताब की लॉन्चिंग हो गई। आपने अच्छा किया।

उप मुख्य मंत्री : आपको किताब से क्या परेशानी है?

श्री जय राम ठाकुर : यहां एक नेता की एक दर्जन से अधिक बार हो चुकी है उनकी (***) फेल हो गई। अब आपकी किताब की (***) हो गई है।

Speaker : Please, please ...(Interruption) This will not be a part of the record. माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1110/DT/YK/1

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को कुछ ऐसा कहा ही नहीं। एक गाना है जिसके बोल हैं "सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से।" यह गाना आप पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। आपने जो कहा है वह भी ऐसा ही सच है जैसे मैंने गीत की दो पंक्तियां बोली हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब इनको प्रश्नकाल भी याद आने लगा है लेकिन विपक्ष पहले खुद ही काम रोको प्रस्ताव लाया है। हम तो यह प्रस्ताव लेकर नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष हर बात पर जिद करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने विधायक दल के विधायकों का मन जीतिए क्योंकि वे आपके साथ खड़े होने चाहिए, लेकिन वे आपके साथ खड़े नहीं हैं। ...(व्यवधान) हमारे सारे विधायक एकजुट है और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप चर्चा को आरंभ करवाएं।

अध्यक्षः इस संबंध में आप सभी की सहमति है क्योंकि इससे पहले भी जो कुछ किया गया वह आप सभी की सहमति और हाउस का कॉन्फिडेंस लेकर ही किया गया। इसलिए हमारे रूल्स और प्रोसीजर हैं उनके मुताबिक तो आज का बिजनेस हमनें लगा दिया है लेकिन this is again the prerogative of this House, if any change is required in the Business, can be done with the consensus. यदि आप सभी की सहमति है then we continue with the discussion or let us finish it क्योंकि इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आज इसमें बिल भी बहुत इंपोर्टेंट है तथा बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा होनी है। मेरा अनुरोध है कि रूल 67 को मैं ले रहा हूं लेकिन try to be very brief and these are the corruption allegations against the Government. श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने भाषण में कई बातें पॉइंट आउट की हैं जिनका जवाब मुख्य मंत्री देंगे। मेरा बाकी माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि वे इसे बजट स्पीच या गवर्नर एड्रेस स्पीच न बनाएं। निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इशूज रूल 67 का पार्ट नहीं है। You have to be very-very specific or corruption charges against the Government or respective Ministers so that ultimately Government should be in a position to reply on all these issues. Thank you

18.11.2026/1110/DT/YK/2

very much. Now, we start discussion under Rule-67 and we are deferring the Business and let us see by evening what is the situation, thereafter, I come to the House again. ...(Interruption) I am going for the *Kam Roko*. This is under Rule-67 इसमें अंतिम वक्ता जो बोल रहे थे वे माननीय विनोद कुमार जी थे जब कल

हाउस स्थगित हुआ था। कल वह कितने मिनट बोले। तो मैं फिर से श्री विनोद कुमार जी अपनी बात इस सदन में रखेंगे।

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो काम रोको प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ साथी माननीय श्री बिक्रम ठाकुर जी, श्री सुधीर शर्मा जी तथा श्री हंस राज जी लेकर आए हैं, मैं भी उसके समर्थन में यहां खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आजकल हिमाचल प्रदेश में जहां भी हमारा जाना होता है और जिस व्यक्ति से भी हम बात करते हैं, हर युवा की जुबान पर एक ही बात बार-बार आ रही है कि वर्तमान सरकार ने हिमाचल ऑन सेल कर दिया है। आज की तारीख में पूरा हिमाचल प्रदेश हिमाचल ऑन सेल के नारे से गूंज रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं तथा भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1115/वाई.के.-एन.जी./1

श्री विनोद कुमार..... जारी

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है, जिसमें भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित न हुए हों। मैं आपके बीच में निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वह लोक निर्माण विभाग के अंदर है। केंद्र सरकार और श्री नरेन्द्र मोदी जी की ओर से जो पी0डी0एन0ए0 का पैसा हिमाचल प्रदेश की सड़कों को बनाने के लिए दिया गया है और स्वाभाविक है कि पी0डी0एन0ए0 का पैसा सड़कों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए लगना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री महोदय, यह तभी संभव हो सकता है, जब उस पी0डी0एन0ए0 के पैसे के ऑनलाइन टेण्डर होंगे। आप देखिए, डिविजनों के हाल क्या हैं। आपके कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए और नेताओं

द्वारा पैसे ऐंठने के लिए ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन टेण्डर किए गए हैं जिसके कारण लोक निर्माण विभाग के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय लोक निर्माण मंत्री बार-बार स्टेटमेंट देते हैं कि लोक निर्माण विभाग के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि ठेकेदार सड़कों पर उतर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आज ही एक प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की कितनी देनदारियां लम्बित हैं। उस प्रश्न के उत्तर में आया है कि 74,195 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के उन ठेकेदारों को देने हैं, जो आज सड़कों पर उतर चुके हैं। उनमें से कुछ तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। यह स्थिति आपकी सरकार में हुई है। मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री से निवेदन रहेगा कि भाषणों से बात नहीं बनेगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन रहेगा कि एक तरफ आप कहते हो कि हमारी सरकार निष्पक्ष सरकार है, तो जो लोक निर्माण विभाग के डिविजनों के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जहां पर भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है,

18.11.2026/1115/वाई.के.-एन.जी./2

उसको लेकर के आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेजरी में बिल भेजे गए और बिल पास नहीं हुए। इसी माननीय सदन में हमारे विधायकों व पूर्व मंत्रियों के माध्यम से और आपकी ओर के भी कुछ विधायकों के माध्यम से कहा गया कि ट्रेजरी में बिल पास करवाने के लिए भी लाखों रुपये की रिश्वत अधिकारियों को दी जा रही है। क्या आपने कोई एक्शन किया? आप बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया? इस बात को लेकर के आप को इस माननीय सदन के माध्यम से जनता को बताने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं किस विभाग को लेकर के बात करूं।...(व्यवधान) सर, आपने तो रिप्लाई देना है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार, एक मिनट रुकिए। Hon'ble Chief Minister wants to intervene.

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आपको यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यूनिवर्सल बोल रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग में यह हो गया, वह हो गया। ये कह रहे हैं कि विधायकों के थ्रू टोकन या पैसे दिए जा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप एक उदाहरण बता दोगे और नाम के साथ बताओगे तथा अगर वे तथ्य उसके खिलाफ होंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा और अगर आपने झूठ बोला होगा तो आपके खिलाफ हमारी सरकार एक्शन लेगी। आप फैक्ट्स के साथ बताइए। मैं आपको व इस माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार में न तो कोई मंत्रिमंडल का सदस्य और न ही कोई माननीय विधायक इस प्रकार की किसी भी बातचीत में संबंधित नहीं है। मेरे ख्याल है कि हमारे चाहे माननीय लोक निर्माण मंत्री हैं या अन्य माननीय मंत्रिगण हैं, सब लोग अपने-अपने विभाग को अच्छी तरह चलाते हैं

18.11.2026/1115/वाई.के.-एन.जी./3

अच्छी तरह देखते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप यूनिवर्सल बोल देते हो कि बिल पास करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेजरी को रेगुलेट करने के लिए कई बार हम लास्ट के कुछ दिनों में पेमेंट को रोकते हैं, लेकिन उसके बाद अगले माह की 5 तारीख के बाद फिर से रेगुलेट कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे ही यूनिवर्सल कह देना, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि तथ्यों के साथ अगर आप अपनी बात रखोगे तो अच्छा होगा और जिसके खिलाफ भी आप अपनी बात रखोगे, एक चीज ध्यान रखना, हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और नहीं तो झूठ बोलने पर आपके खिलाफ लेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार, आप बोलिए।

श्री विनोद कुमार.....ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0/-01

नियम-67 जारी .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनाद कुमार जी।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं पूरे विश्वास और तथ्यों के साथ आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इसी माननीय सदन के माध्यम से आपको एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ट्रेजरी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में समय-समय पर अवगत करवाया गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि विधायकों से रिश्वत ली गई होगी। रिश्वत तो किसी- न-किसी ठेकेदार से ही ली गई होगी। स्वाभाविक है कि वह ठेकेदार आपका या हमारा किसी का भी हो सकता है। यदि आपको नाम जानने हैं तो समय आने पर आपाको उनके नाम भी बता दिए जाएंगे। यह बात भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में प्रदेश में ट्रांसफर माफिया भी बहुत हावी हो चुका है। पूरे प्रदेश में ट्रांसफर के नाम पर बहुत बड़ी वसूली की जा रही है। जे0बी0टी0 का रेट फिक्स है, टी0जी0टी0 का रेट फिक्स है। इसके अलावा लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के ट्रांसफर के भी रेट फिक्स हैं। इसी माननीय सदन में मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी भी दिखाई गई थी। जिसमें बताया गया था कि आपके कुछ नेता सरेआम लोगों से ट्रांसफर के नाम पर वसूली कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि उनके प्रमाण भी आपको दिए गए थे और चिट्ठी भी सौंपी गई थी। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर के नाम पर भी करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। यह बात मैं आपके सामने निश्चित रूप से रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन बद्दी और नालागढ़ गया था। वहां हमारे बहुत सारे बच्चे विभिन्न कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वहां कुछ उद्योगपतियों से भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। जब हमने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि यहां स्क्रैप, जिसे आम भाषा में कबाड़ कहा जाता है, के कारोबार में भी स्क्रैप माफिया बहुत बुरी तरह हावी हो चुका है। कुछ लोग मुख्य मंत्री साहब का नाम लेकर आते हैं, कुछ चौहान साहब का नाम लेकर आते हैं और

18.11.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0/-02

कुछ भाई राम कुमार जी का नाम लेकर आते हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि हमें स्क्रैप तो देनी ही है, लेकिन किसके नाम पर दें? एक व्यक्ति आकर धमकाता है, दूसरा आकर धमकाता है और तीसरा भी आकर धमकाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्क्रैप के कारोबार में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। यह बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी। माननीय उद्योग मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

उद्योग मंत्री : माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने मेरा नाम लिया है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि स्क्रैप के कारोबार से मेरा दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। न तो मैं किसी की सिफारिश करता हूं और न ही इस कारोबार से मेरा कोई संबंध है। यदि कोई मेरा नाम लेकर ऐसा कह रहा है, तो मुझे बताइए। स्क्रैप के कारोबार में मेरी कोई इन्वोल्वमेंट नहीं है। न मैं किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहता हूं और न ही किसी विभाग को इस संबंध में कोई निर्देश देता हूं। इसलिए यदि किसी ने मेरा नाम लेकर आपसे कुछ कहा है तो मुझे अवगत करवाइए। मैं इस सदन के माध्यम से सभी उद्योगपतियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर आपसे कुछ कहता है तो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो कुछ भी कानून के मुताबिक है, वही करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद जी इस तरह की sweeping statement न दें। If you have some documents or oral recording, then you must place it on the Table of the House.

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने पेखूबेला सौर प्रोजेक्ट को लेकर भी बात की थी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में 32 मेगावॉट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। जिस पर 220 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं, किसी अन्य प्रदेश में 35 मेगावॉट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया, जिस पर केवल 140 करोड़ रुपये खर्च हुए।

अध्यक्ष : इस मुद्दे को ठाकुर साहब ने भी उठाया था।

18.11.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0/-03

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस पर मै यह कहना चाहता हूं कि जब 32 मेगावॉट के प्रोजेक्ट पर 220 करोड़ रुपये खर्च हुए और 35 मेगावॉट के प्रोजेक्ट पर केवल 140 करोड़ रुपये खर्च हुए तो कहीं-न-कहीं इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

Contd. by AT in Hindi

18.11.2026/1125/AT/AG/-01

श्री विनोद कुमार जारी....

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी अधिकारी या नेता शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता भी यह बात भूल जाते हैं कि इसी सदन में पेखूबेला से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं। जिस कंपनी के संबंध में 140

करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है उससे संबंधित दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे गए हैं। Sweeping statement should not be part of the record. क्योंकि पेखूबेला से संबंधित दस्तावेज मैंने सदन में रखे हैं और उसमें कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है इसकी जानकारी भी दी है। इसके अतिरिक्त जिस 140 करोड़ रुपये वाली कंपनी की बात की जा रही है उससे संबंधित दस्तावेज भी मैंने सदन के पटल पर रखे हैं। इसलिए बार-बार इस प्रकार की बातें करके सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। आप तो दस्तावेजों के साथ आरोप लगाइए। मैंने पहले भी कहा है कि पेखूबेला मामले में भी यदि कोई दोषी पाया जाता है, we will take action. और ये बोलना कि नैचुरली ...(व्यवधान) अरे बोलने तो दो, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। दूसरी बात, स्क्रैप के काम और ट्रांसफॉर्मर से संबंधित जो बातें कही जा रही हैं उन्हें भी तथ्यों के साथ सदन में रखना चाहिए। न तो किसी का नाम लिया जा रहा है और न ही लोक निर्माण विभाग के किसी टेंडर या डिवीजन का नाम बताया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप बिना तथ्यों के नहीं लगाए जाने चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं यह ठीक है, लेकिन आरोप दस्तावेजों के आधार पर लगाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पेखूबेला मामले की जांच सी0बी0आई0 कर रही है। विमल नेगी की मृत्यु के मामले में भी जांच होनी चाहिए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

18.11.2026/1125/AT/AG/-02

इसके अतिरिक्त जिस 140 करोड़ रुपये वाली कंपनी की बात की जा रही है, उससे संबंधित दस्तावेज मैंने स्वयं सदन के पटल पर रखे थे क्योंकि बिक्रम जी वे दस्तावेज नहीं रख सके थे। मैंने उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी भी सदन में दी थी।...(व्यवधान) और ठीक है ना? तो ये कहना बार-बार, इस चीज को कहकर ये साबित करना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट न दे । मैं सदन में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। हमारी सरकार ने श्वेत पत्र समिति का गठन भी किया है। उसमें भी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध

नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार के व्यापक और बिना तथ्यों वाले आरोप सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होने चाहिए। यदि कोई आरोप लगाना है तो लोक निर्माण विभाग के संबंधित डिवीजन का नाम बताया जाए संबंधित अधिकारी का नाम बताया जाए अथवा यह स्पष्ट किया जाए कि ट्रांसफॉर्मर के मामले में किसने रिश्वत ली है। बिना किसी का नाम लिए इस प्रकार के व्यापक आरोप लगाना उचित नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः मेरा एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि specific allegations आप लगाएं। यदि आप आरोप लगा रहे हैं और आपके पास कोई दस्तावेज, रिकॉर्ड, ऑडियो या वीडियो नहीं है, जिसमें किसी माननीय मंत्री का नाम हो, तो you can also file an affidavit that I am saying this on oath and that will be part of the record. That is subject to further inquiry. Please let us not go for a sweeping statement. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

18.11.2026/1125/AT/AG/-03

श्री जय राम ठाकुरः...(व्यवधान)एक मिनट रुकिए। सत्तापक्ष की हताशा और निराशा तथा जिस प्रकार की स्थिति यहां बन रही है उसे देखकर मैं हैरान हूं। क्या विपक्ष को अपनी बात रखने की इजाजत भी नहीं है? यहां से जो कुछ कहा जा रहा है उसे भी सुनिए। यदि आपको लगता है कि विपक्ष द्वारा कही गई बातों में तथ्य हैं तो उनकी जांच करवाइए। लेकिन यदि आप बार-बार विपक्ष के किसी भी सदस्य को बोलते समय इस प्रकार टोकते रहेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि इसी तरह बार-बार टोका जाएगा तो सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी। क्या यह सच्चाई नहीं है कि पेखूबेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का जमीन पर दिखाई देने वाला एक स्मारक बन चुका है? मैं यह बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं।..(व्यवधान)

अध्यक्षः इस विषय पर आपका कल बहुत विस्तृत वक्तव्य आया था।

श्री जय राम ठाकुरः यदि मैं तथ्यों की बात करूं तो इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है।

Speaker : Let us continue with the discussion.

श्री जय राम ठाकुरः लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपने शुरुआत में पेखूबेला के बारे में बहुत अधिक कहा था। उसके बाद मैंने इस विषय पर बोलना बंद कर दिया था।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

18.11.2026/1130/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
नियम- 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव... जारी
श्री जय राम ठाकुर.... जारी

क्योंकि पेखूबेला जमीन पर रहा ही नहीं और बहकर चला गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपदा आई जिसमें प्रदेश में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई और सबसे अधिक नुकसान हुआ। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि वहां गलत काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां क्या गलत काम हुआ? आपदा कहीं भी आ सकती है। आपदा आई और आपका पेखूबेला जमीन से बहकर चला गया लेकिन अब आप उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि यही वह पेखूबेला है जिसके कारण बिमल हत्याकाण्ड की स्थिति बनी। ...(व्यवधान) आत्महत्या, हत्या या जो भी स्थिति रही लेकिन एक आदमी की जिंदगी चली गई। यह उसी का कारण है। इसलिए आप इसे इस तरह मत लीजिए। यह बात सीधी है कि ऊना एक मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके में आप उसी प्रोजैक्ट पर 220 करोड़ रुपये खर्च करते हैं जबकि गुजरात में इसी तरह का 35 मेगावॉट का प्रोजैक्ट 140 करोड़ रुपये में बनकर तैयार होता है। आप इसे एक्सप्लेन करें कि यह डिफरेंस कितना है और किस वजह से हुआ है? इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि मुझे बोलने दीजिए। हम तथ्य सामने ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हमें पूछने का अधिकार नहीं है?

अध्यक्ष : बिल्कुल है और इनका अधिकार आपके प्रश्नों का जवाब देना है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे दोनों के अधिकारों का संरक्षण करना पड़ता है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब हम इनसे पूछ रहे हैं तो परेशानी क्यों हो रही है? जब आप विपक्ष में होते थे तो आप भी पूछते थे और बार-बार पूछते थे। आपके पास पूछने के लिए विषय नहीं होते थे तो भी आप पूछते थे। हम सशक्त विपक्ष की भूमिका

निभाने के लिए यहां लोगों द्वारा चुनकर भेजे गए हैं और हम उस भूमिका को निभाएंगे। आप सोचेंगे कि डराकर, धमकाकर या धमकी देकर आप हमारे खिलाफ यह करेंगे या वह करेंगे तो जो करना है करिए। हम उसके लिए तैयार हैं। हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और विपक्ष की भूमिका जोरदार तरीके से उठाएंगे। जनहित के फैसले होंगे तो हम बोलेंगे

18.11.2026/1130/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

कि ठीक है, शाबाश, आगे बढ़िए लेकिन जनविरोधी फैसले होंगे तो हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हम आपका समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के भले और प्रदेश के हित के लिए यहां सदन में हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज बंद मत करिए। आप धमकी मत दीजिए और दबाव मत डालिए। यह नहीं चल सकता और न ही बर्दाश्त किया जा सकता है। यदि आप हमें यहां नहीं बोलने देंगे तो आप हमें कहां-कहां रोकेंगे? हम बाहर बोलेंगे और सब जगह बोलेंगे, इसलिए हमें यहां बोलने दीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष की बात का जवाब दे रहा हूं क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का नेता हूं और वे प्रतिपक्ष के नेता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, प्लीज, उन्हें अपनी बात रिकॉर्ड पर रखने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह चर्चा हो रही है? इस तरह से नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः श्री विक्रम सिंह जी, मुझे लगता है कि आपको जय राम ठाकुर जी की कुर्सी पर बैठने का पक्का समर्थन मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, वे लाइटर वे में कह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि पेखूबेला में 140 करोड़ रुपये का कोई प्रोजैक्ट नहीं लगाया गया है। अगर लगाया है तो उसके कागज रख दीजिए। यह महज जोड़ने वाली स्थिति है और महज जोड़कर इस चीज को करते हैं। मेरा मानना है कि जिसमें पिछली चर्चा हो गई है और पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वह पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। आप इसको देखें it should not be part of the record. अगर

पिछली चर्चा में ये सारे कागजात आ चुके हैं और जिसमें पूरी इंक्वायरी हो चुकी है। वैसे भी सी0बी0आई0 इंक्वायरी कर रही है, हाई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है तो एक और चार्जशीट दाखिल कर दो। यह चीज आपको करनी है। ये केवल अपने व्यक्तिगत गलतियों को जो व्हाइट पेपर की कमेटी बनी है, उसमें छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 है, चाहे आई0पी0एच0 है, चाहे इसमें हमारा एजुकेशन है, चाहे पेखूबेला वाला है, आप इन सभी के डॉक्यूमैंट्स सभा

18.11.2026/1130/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

पटल पर रखिए। मैंने आपको जवाब देना है और जवाब के समय मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप वॉकआउट करके मत जाना, आराम से बैठकर सुनना और जिसके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष एन0एस0 से शुरू...

18-11-2026/1135/NS-AS/1

नियम-67 पर चर्चा------जारी

Speaker : We have already utilized more than 35 minutes. Again I will request all the Hon'ble Members to be very specific about the allegations. माननीय विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, पेखूबेला को लेकर सदन में काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। मैं मुख्य मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आपने जो पेखूबेला प्रोजैक्ट के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाया है वह पूरी तरह से पानी में डूब गया है? उसे बचाने के लिए आज भी वहां रिटेनिंग वॉल लगाई जा रही है लेकिन यह प्रोजैक्ट बचने वाला नहीं है क्योंकि उसका डिजाइन बिल्कुल गलत बनाया गया है जिसके कारण पेखूबेला प्रोजैक्ट का बुरा हाल हो गया है। मैं इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से निश्चित तौर पर जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी विधान सभा क्षेत्र में जब कोई प्रोजैक्ट बनता है तो उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाता है। मेरे क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय का कार्य हो रहा था। उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिली थी। इसके बाद टेंडर हुआ और काम हो गया लेकिन हम पैसे मांगते-मांगते थक गए और पैसे नहीं मिल पाए। हम मंत्री जी के पास जाते थे तो वे मुख्य मंत्री जी के पास भेजते थे और मुख्य मंत्री जी के पास जाते थे तो वे मंत्री जी के पास भेजते थे। पैसा न मिलने के कारण काम पूरा नहीं हो सका। लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि हमीरपुर में एक बस स्टैंड का निर्माण कार्य हो रहा है। उसे 32 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिली है।

अध्यक्ष : माननीय विनोद जी यह पिछले कल एग्जॉस्टिवली डिस्कस हो गया है। Hon'ble Chief Minister reply to that कि क्या परिस्थितियां थीं, उसको क्यों एस्केलेट किया तो उसको ये बता देंगे।

18-11-2026/1135/NS-AS/2

श्री विनोद कुमार : हम प्रश्न करेंगे तभी बताएंगे। उसे 42 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है और 37 करोड़ रुपये में कार्य अवॉर्ड होता है। अब स्वाभाविक है कि उसकी डी0पी0आर0 बनी होगी, पूरा डिजाइन तैयार हुआ होगा और एस्टिमेट बनाया गया होगा। 42 करोड़ रुपये की ऐवज में ठेकेदार को 37 करोड़ रुपये में टेंडर अवॉर्ड किया गया। आप देखिए कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 42 करोड़ रुपये की हो और 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो गए तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण प्रदेश में और क्या हो सकता है। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल आदर्श विद्यालय का निर्माण किया जा रहा था लेकिन उसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जिस बस स्टैंड के लिए 42 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिली थी उस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिए गए। यह प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मामले में जिसके द्वारा भी भ्रष्टाचार किया गया है उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

इसके साथ-साथ मेरा उप-मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपके द्वारा दी गई कल की स्टेटमैंट से हम दुखी हैं। आपने जो स्टेटमैंट दी है कि डिपार्टमैंट मेरा है लेकिन मैं इस कार्य को नहीं देख रहा हूं, इसे जी0ए0डी0 देख रहा है। जब इलैक्ट्रिक बसों की खरीद की बात आई और इसके लिए परचेजिंग कमेटी बनाई जानी थी तो आपको उस कमेटी का सदस्य नहीं बनाया गया। बसों की खरीद भी इन्होंने ही की। लेकिन उप- मुख्य मंत्री महोदय, जब भविष्य में भ्रष्टाचार के ये सारे चिट्ठे खुलेंगे तो कहीं-न-कहीं मंत्रालय आपके पास होने के कारण छींटे आप पर भी पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आपको उस कमेटी से बाहर क्यों रखा गया और आपको बस स्टैंड बनवाने की जिम्मेवारी क्यों नहीं दी गई? इसका क्या कारण है? क्या मुख्य मंत्री जी को आपके काम पर विश्वास नहीं है? क्या यही कारण है? मेरा मंत्री जी से भी निवेदन है कि इन मुद्दों पर हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय, पिछले कल

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

18.11.2026/1140/RKS/DC-1

श्री विनोद कुमार... जारी

मल्टीटास्क वर्कर्ज आपसे मिलने आए थे। वे तपोवन में अनेक बार आए हैं लेकिन उनकी बात आज तक नहीं सुनी गई। उनकी आवाज बनकर मैं आपके समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि उन्हें केवल 6,000 रुपये मानदेय मिलता है और वे जल शक्ति विभाग में 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो उन्होंने अपनी दो छोटी-छोटी मांगें आपके समक्ष रखी हैं, उसमें चाहे उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो या शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात हो, आप इन मांगों पर भी विचार करें। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में 5 वर्ष तक चली। आज जो सत्ता में हैं वे उस समय विपक्ष में थे और इसी तरफ बैठकर जोर-जोर से कहते थे कि आपने इतना लोन ले लिया और प्रदेश को इतने कर्जे में डाल दिया। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि श्री जय

राम ठाकुर जी की 5 वर्ष की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए 22,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था। मैं समझता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने इस 22,000 करोड़ रुपये के लोन से हिमाचल प्रदेश में विकास के नए-नए आयाम स्थापित किए। उस सरकार के दौरान कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं था जिसके पास विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो। मुझे आज भी ध्यान में है कि गरीब कल्याण के लिए श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय एक नहीं बल्कि अनेक योजनाएं चलाई गईं। हमने कोरोना का 2 वर्ष का काल भी देखा। इसके बावजूद श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के दौरान हजारों की संख्या में स्कूल अपग्रेड किए गए, नये स्कूल बनाए गए और खोले गए। कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थान खोले गए। हजारों भवनों का निर्माण किया गया। मिनी सचिवालय, बस स्टैंड और इंडोर स्टेडियम बनाए गए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको बोलते हुए 17 मिनट हो गए हैं, कृपया वाइंड-अप करें।

18.11.2026/1140/RKS/DC-2

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई लेकिन इस सरकार ने 4 वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये से ऊपर का लोन ले लिया और इसके बदले हिमाचल प्रदेश के 2,400 से अधिक संस्थान बंद कर दिए। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि यह पैसा कहां गया? किसी भी विभाग के पास बजट नहीं है और कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं की गई है। जो काम हमारी सरकार के समय शुरू हुए थे वे सारे काम आज भी वहीं लटके हुए हैं। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 40,000 करोड़ रुपये का जो लोन लिया गया है उस लोन से आपकी सरकार ने क्या किया? प्रदेश की जनता आज एक-एक रुपये का हिसाब जानना चाहती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया कंक्लूड कीजिए।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष : आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद कुमार : अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो वहां भी स्थिति ऐसी ही है। यहां पर बात आई कि एम0आर0आई0, सीटी स्कैन की मशीनें और 28 करोड़ रुपये का एक रोबोट लिया गया है। ...(व्यवधान) वह रोबोटिक सर्जरी का रोबोट है, सर्जरी तो रोबोट ने ही करनी है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आम तौर पर यह माना जा रहा है कि इन सारी चीजों की खरीद में भी सरकार की ओर से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। आज की स्थिति यह है कि डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। स्टाफ नर्सों की भर्ती भी नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। पहली बार स्टाफ नर्सों को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया है और यह भी बताया गया कि उन्हें भी पैसे लेकर रखा गया है। पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है। हमारे अस्पतालों में आज सबसे छोटी और जरूरी चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं। पट्टी

18.11.2026/1140/RKS/DC-3

नहीं मिल पा रही है, कॉटन नहीं मिल पा रहा है, टिंचर नहीं मिल पा रहा है, सीरिंज नहीं मिल पा रही है और पैरासिटामोल की गोली तक नहीं मिल पा रही है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1145/बी.एस./डी.सी.-1

श्री विनोद कुमार जारी...

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अस्पतालों में स्थिति यह है कि ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पैरासिटामोल की गोली तक नहीं मिल पा रही है। यदि हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो यह सुविधा शुरू हो गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन

गरीब लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं क्या उनकी सर्जरी को भी इस सुविधा में शामिल किया गया है? क्या बी0पी0एल0 परिवारों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा? लेकिन इसका उत्तर मैं स्वयं देना चाहता हूं कि उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहता है उससे 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये 80,000 रुपये और यहां तक कि 1 लाख रुपये तक लिए जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अंत में मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां धारा 118 को लेकर चर्चा हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि धारा 118 डॉ0 वाई0 एस0 परमार जी की देन है। प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री ने इसे इसलिए बनाया था ताकि हिमाचलियत बनी रहे और हिमाचल प्रदेश की जनता के हित सुरक्षित रहें। आपकी सरकार इसमें भी दूसरी बार अमेंडमैंट लेकर आई है ताकि अपने चहेतों को लाभ दिला सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि धारा 118 के अंतर्गत लगभग 500 मामले सामने आए हैं जिनका जिक्र कल श्री बिट्टू वर्मा जी ने भी किया था। उपायुक्तों के माध्यम से प्राप्त इन 500 मामलों की जांच भी की गई है। मेरा निवेदन है कि जो लोग इन मामलों में दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि धारा 118 के तहत भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

18.11.2026/1145/बी.एस./डी.सी.-2

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि साथ-साथ तथ्य सामने आ जाएं तो ठीक रहेगा। एक कहावत है कि जब कोई लड़की ससुराल जाती है तो मां उससे कहती है कि कमकार हो न हो लेकिन जुबान ते न हारदी। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी यह सिस्टम है कि तथ्य हो या न हों लेकिन अपनी जुबान से नहीं हारना है। अब इन्होंने कहा कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने 22,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार आपसे इसलिए निवेदन किया है कि जो माननीय सदस्य बिना तथ्य के अपनी

बात कहते हैं उस पर आप अपना निर्णय दें। इन्होंने कहा कि 22,000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया।

मैं कहना चाहता हूं कि जब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार बनी थी तो उस समय प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। डॉ0 हंस राज जी ने मुझे करेक्ट किया कि प्रदेश पर 47,800 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसके लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं 48,000 करोड़ रुपये कह रहा था लेकिन इन्होंने सही तथ्य रखते हुए बताया कि उस समय प्रदेश पर 47,800 करोड़ रुपये का कर्ज था। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप फैक्ट्स रखते हैं। जब हमने 1 अप्रैल, 2023 को बजट प्रस्तुत किया था तो उस समय प्रदेश पर 76,730 करोड़ रुपये का कर्ज था। यदि उस समय प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था तो 22,000 करोड़ रुपये कर्ज उठाया गया। मैं इसे सही करना चाहता हूं कि उस समय 76,730 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष भ्रष्टाचार की बात कर रहा है हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उन सभी के विरुद्ध सख्त-से-सख्त एक्शन लेगी।

अध्यक्षः अभी मैंने दो-तीन बार इसका रेफरेंस दे दिया है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1150/DT/HK/01

अध्यक्ष मैने पहले ही दो-तीन बार इसका रेफरेंस दे दिया है। मुख्य मंत्री जी को बैठने तो दीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष के मेरे दोस्तों मुझे बैठने तो दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता- कही श्री जय राम जी की सीट पर कोई स्प्रिंग तो नहीं लगा है? अभी दौड़े-दौड़े बाहर से आए और एकदम वहां बैठ गए तथा फिर एकदम खड़े होकर बोलने लगे। पहले आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विपिन जी से कहना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स हैं उनको साथ-साथ करेक्ट करना अच्छी बात होती है क्योंकि मैं अभी सदन में बैठा हूं इसलिए सारे फैक्ट्स

करेक्ट कर दूंगा मेरे ख्याल से वही अच्छा रहेगा। इसलिए 48,800 करोड़ रुपये का कर्ज था जिसे हंसराज जी ने करेक्ट किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 01 अप्रैल, 2023 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश पर 76,830 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई। जब हमारी सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो प्रदेश पर 76,830 करोड़ रुपये का कर्ज था।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने बार-बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारी चीजें इस माननीय सदन के रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और एक्सहॉस्टिवली डिस्कस भी हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरा सहयोग करें otherwise I have to go for a final ruling. Then I will likely to expunge whatever is out of record. श्री जय राम ठाकुर जी अब आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की एक आदत बन गई है- नहीं मानना, नहीं मानना। वे बच्चों की तरह जिद करते हैं। दो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं उसमें मुख्य मंत्री जी आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं? माननीय मुख्य जी आपकी एक और आदत बन गई है वह यह है कि जो आप सदन के अंदर कहते हैं वह आप नहीं करते। इसी सदन के अंदर मुख्य मंत्री जी आपने बहुत सी बातें की हैं। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं उनमें एक मामला इस सदन के सदस्य श्री सुंदर सिंह जी भी एक हैं।

अध्यक्ष महोदय, फैक्चुअल पोजीशन यह है कि जब मैं मुख्य मंत्री बना था तो प्रदेश के ऊपर लगभग 48,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदेश के ऊपर था और

18.11.2026/1150/DT/HK/02

जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ तो यह ऋण 69,600 करोड़ रुपये हो गया था। 11 दिसंबर को श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी आप मुख्य मंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के अंत तक प्रदेश पर 69,600 करोड़ रुपये का ऋण था तथा हमारी लोन लिमिट 6,000 करोड़ रुपये थी जिसे हमने लिया नहीं था। हमें इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही थी क्यों हमारा काम ठीक चल रहा था। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने 31 मार्च से पहले वह 6,000 करोड़ रुपये की जो लोन

लिमिट थी उसे 31 मार्च से पहले लिया। 11 दिसम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 का पीरियड जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई थी उस समय उन्होंने 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने लगभग 6,000 करोड़ रुपये का लोन लिया और उसे हमारे फाइनेंशियल ईयर के खाते में डाला गया। जबकि उस समय हमारी सरकार एक्सिस्ट ही नहीं करते थे क्योंकि हम सत्ता से बाहर हो गये थे, तो हम वह लोन कैसे अवेल कर सकते हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी आपने 11 दिसंबर को शपथ ली थी और उसके बाद आप सत्ता में आ गए थे। उसके बाद की जिम्मेवारी जयराम ठाकुर की नहीं है? ...(व्यवधान) मैं खर्चों की बात नहीं कर रहा हूं। खर्चे तो आपने इतने कर रखे हैं जिसकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। मैं केवल फैक्टुअल पोजीशन स्पष्ट कर रहा हूं और वह यह है कि सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये लिए और उस राशि को हमारे खाते में डालकर ऋण की राशि को 76,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया है, जो फैक्ट नहीं है। यहां अधिकारी भी बैठे हैं अगर इनमें से कोई वित्त विभाग का अधिकारी है तो मैं उनसे अनुरोध कररूंगा कि वह सही ढंग से मुख्य मंत्री जी को उस बारे में ब्रीफ कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी गलत बातें मत कीजिए क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वे फैक्ट्स ही हैं। हमारा वास्तविक ऋण वह 69,600 करोड़ रुपये था। यदि पूर्व सरकारों के रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो धूमल जी की गवर्नमेंट, वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में ऋण लेने की सबसे कम दर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के समय रही है जो वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक सत्ता में रही। यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। And the present Government has crossed all the limits. आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। प्रदेश आने वाले समय तक इस बात को याद रखेगा कि वह कौन सा

18.11.2026/1150/DT/HK/03

मुख्य मंत्री था जिस समय हिमाचल प्रदेश का ऋण एक लाख करोड़ रुपये से पार हो गया। उस समय माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को याद किया जाएगा। मैं केवल फैक्ट्स स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ था। मुझे इतना ही कहना है। आपने अंत में जवाब देना है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1155/एच.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात..... जारी

...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि मुझे सच तो बोलने दीजिए।...(व्यवधान) आप लोग सच बोलने से रोक नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, जब एक बजट बनता है तब उसमें पूरे साल की योजनाएं लाई जाती हैं। पूर्व सरकार के समय दिनांक 01-04-2022 से लेकर पूरे वित्तीय वर्ष यानी दिनांक 31-03-2023 तक के लिए बजट बना।...(व्यवधान) अरे, सुन लीजिए।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

(विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

Speaker : Please take your seats. ...(Interruption) Let him complete. ...(Interruption) Please take your seats. ...(व्यवधान) चलिए, चलिए।...(व्यवधान) Please take your seats. ...(Interruption) Now I would request the Hon'ble Town and Country Planning Minister Shri Rajesh Dharmani ji, to take part in the Motion. ...(व्यवधान) चलिए, अब आप सभी बैठ जाइए। ...(Interruption)

(विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर पुनः बैठ गए।)

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन की यह व्यवस्था रही है कि यदि विपक्ष की ओर से किसी विभाग के ऊपर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उस समय उसका जवाब संबंधित मंत्री द्वारा दिया जाता है और मुख्य मंत्री जी द्वारा अंत में जवाब दिया जाता

18.11.2026/1155/एच.के.-एन.जी./2

है। लेकिन यहां पर तो हर बात का जवाब मुख्य मंत्री जी द्वारा ही दिया जा रहा है। (बिना अनुमति के अपने स्थान से खड़े होकर कहा गया।)...(व्यवधान)

(सत्तापक्ष व विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

Speaker : ...(Interruption) The issues which have been raised are related to the Hon'ble Chief Minister. So obviously he has to reply to them and state the record. ...(Interruption) Please, please ...(Interruption) Hon'ble Minister please continue. ...(Interruption) Order in the House please. ...(Interruption)

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के तहत विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया गया और कल जब अचानक से माननीय उप-मुख्य मंत्री ने चर्चा पर अपनी सहमति दी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा था कि वे वॉकआउट की तैयारी करके आए थे और अचानक से जब उनको बोलने के लिए कहा गया तो वे हक्के-बक्के रह गए कि क्या बोलें। यहां पर यह बात सोचने की है कि नियम-67 क्यों लाए? आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जोकि माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में अगले महीने चार साल पूरे करने वाली है। लोगों ने पहली बार एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में देखी, जो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, जिसने व्यर्थ खर्चों पर अंकुश लगाया और इस

सरकार के समय पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया गया। ऐसी कई पेंडिंग लेनदारियां जो कई वर्षों से लम्बित पड़ी थीं, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस सरकार ने उसकी तरफ कदम उठाए। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश लिटरेसी के मामले में 100 प्रतिशत लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हुआ है। हिमाचल प्रदेश का मतदाता जागरुक है और अंदर ही अंदर एक चर्चा भी चली हुई है। हिमाचल प्रदेश के जो बुद्धिजीवी व जागरूक लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश का हित चाहते हैं, जो लारे-लप्पे वाली सरकार की बजाय काम करने वाली

18.11.2026/1155/एच.के.-एन.जी./3

सरकार चाहते हैं, उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू किया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है, जोकि कई सालों से चलती आई है कि हर पांच साल बाद सरकार बदलो, वे लोग इस बार इस प्रथा को बदल देंगे और यह सरकार 2027 में

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1200/वाई0के0/ए0पी0/-01

नियम-67 जारी .....

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी .....

तो सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन सुधारों को आगे भी जारी रखेगी। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, please no interruption.

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐसी विरासत बनाई जाए जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी वर्तमान पीढ़ी पर गर्व महसूस कर सकें। अब जब ऐसा माहौल बनने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक रूप से हलचल होनी ही थी। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी इनके ऊपर दबाव

बना कि आप क्या कर रहे हैं? इसी के बाद इन्होंने अचानक स्थगन प्रस्ताव माननीय सदन में लाया है। अध्यक्ष महोदय, अब ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में किस तरह संलिप्त रहे हैं, यह आप सब जानते हैं। पूर्व में हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए वीडियो फुटेज में पैसे लेते हुए पकड़े गये थे। हम सबने टेलीविजन पर भी देखा था। किस तरह वे पैसे लेते हुए पकड़े गए थे और वहां से यह सिलसिला आगे चलाता आया है। ...(व्यवधान) वह व्यक्ति अब स्वर्गीय हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, please no interruption. ...(Interruption) Let the Hon'ble Minister speak. Please, take your seats. ...(Interruption)

18.11.2026/1200/वाई0के0/ए0पी0/-02

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : वह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह सभी ने देखा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हो चुकी है। हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष-1980 के दशक से राम मंदिर के नाम पर हिंदुस्तान के मतदाताओं को ठगती आई है। राम मंदिर सबकी आस्था का प्रतीक है और भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। ...(व्यवधान)

Speaker : Dr. Hans Raj ji, please take your seat. Let him speak. आपके अगले स्पीकर माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी हैं, वह जबाव देंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर के लिए सबने पैसे दिए, हमने भी दिए। जब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के नाम पर कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने आते थे, तब राम मंदिर न्यास ने यह भी कह दिया था कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद जब ये समूह बनाकर चंदा लेने आते थे तो हमारे पास भी आए। सभी ने पैसे दिए, क्योंकि कोई भी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। सभी की भगवान में, विशेष रूप से भगवान राम में आस्था है। लेकिन वह पैसा कहां गया, इसको लेकर काफी चर्चा होती थी।

बीच-बीच में मीडिया में भी खबरें आती थी कि जिस जमीन को एक ही दिन में दो करोड़ रुपये में खरीदा गया था, उसी जमीन को उस व्यक्ति ने उसी दिन राम मंदिर न्यास बोर्ड को 18 करोड़ रुपये में बेच दिया। उस समय ऐसा लगता था कि शायद ये केवल आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस विचारधारा से जुड़े लोगों ने एक बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मंदिर में लोग आस्था के साथ जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे की भी चोरी हुई। चंदे की चोरी हुई। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी घटना और कोई नहीं हो सकती, जो पूरे विश्व में भारतवर्ष की छवि और हिंदू धर्म की आस्था पर धब्बा लगाती है। जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो आपको भ्रष्टाचार पर चर्चा करने का क्या अधिकार है? कल जब आपने यहां इस विषय पर चर्चा की तो उसमें कोई तथ्य नहीं थे। केवल बेबुनियाद आरोप लगाए गए। कल शाम को मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि आप कुछ तथ्य और रिकॉर्ड तो प्रस्तुत करें, ताकि हम उस पर जांच कर सकें। लेकिन जांच के लिए तथ्य देने की बजाय केवल wild allegation लगाने की कोशिश की गई। अब बात आती है कि हमारी वर्तमान सरकार ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से हमारे पक्ष में माहौल बना है? **श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

18.11.2026/1205/AT/YK/-01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी....

उसकी क्या बजा है? आप सब जानते हैं कि वर्ष-2000 के आसपास वाइल्ड फ्लावर हॉल का निर्माण करके उसे सेवाओं के संचालन के लिए दे दिया गया था। तब से लेकर आज तक उसमें हमेशा घाटा ही दिखाया जाता रहा और हिमाचल सरकार को एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ।

यह इसी सरकार का निर्णय था और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम था कि आज हमें 200 करोड़ रुपये से भी अधिक की लंबित देनदारियां (Pending Liabilities) एकमुश्त प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं जब टेंडर के माध्यम से उसी कंपनी को दोबारा काम दिया गया तो वही कंपनी हर महीने 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि देने के लिए तैयार हुई है। यदि इसे संसाधन जुटाना (Resource Mobilization) नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि पावर प्रोजेक्ट्स से मिलने वाली रॉयल्टी को 12 प्रतिशत से

बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। आज हमें एक ही प्रोजेक्ट से सालाना 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त होनी शुरू हो गई है।

इसी प्रकार, बिजली में राज्य के हिस्से के रूप में हमें जो बिजली मिलती थी उसका सही हिसाब-किताब नहीं रहता था कि वह कहां जा रही है। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाई गई। इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से वर्तमान में हिमाचल सरकार के हिस्से की बिजली 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से दूसरे राज्यों को बेची जा रही है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि संसाधन जुटाने की दिशा में इतना प्रभावी प्रयास किया जा सकता है। मैं इसे हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

इसी प्रकार, एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जाती थी। इसके पीछे क्या कारण थे यह समझ से परे है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि इनकी खुली नीलामी की जाएगी। जब पहली बार खुली नीलामी की गई तो उसी वर्ष लगभग 400 से 450 करोड़ रुपये के राजस्व में वृद्धि हुई।

18.11.2026/1205/AT/YK/-02

इसके अतिरिक्त, हमने अपने अन्य संसाधनों का भी उचित उपयोग करने और अनुत्पादक खर्चों में कटौती करने का प्रयास किया है। वाटर चार्जेज तथा जल निकायों से संबंधित अन्य शुल्क लगाने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं। इन सभी कदमों के परिणामस्वरूप हमारी सरकार लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर रही है। हालांकि, आपकी ओर से यह प्रयास किया गया कि आर0डी0जी0 बंद करवा दी जाए और केंद्र सरकार की ओर से हमें जो जी0एस0टी0 मुआवजा मिलना चाहिए था उसे नहीं दिया गया। इसके कारण प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको यह चिंता सता रही है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन की जो संभावना है उससे आप विचलित हो रहे हैं। यही कारण है कि आप हर बार इस तरह के प्रस्ताव लेकर आते हैं।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, सर। वर्ष 2017 में जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से बड़े-बड़े नेता हिमाचल आए थे। उनका आना अच्छी बात थी, लेकिन हिमाचल के भोले-भाले लोगों को एक बड़ा नारा देकर गुमराह किया गया कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। लोगों ने सोचा कि जब दिल्ली और हिमाचल दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो हिमाचल के वारे-न्यारे हो जाएंगे। लेकिन अब उन पांच वर्षों का अवलोकन करना जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार से हिमाचल को क्या मिला और क्या खोना पड़ा? जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब प्रदेश को कोई विशेष वित्तीय पैकेज नहीं मिला जबकि हिमाचल के लोगों को इसकी बहुत उम्मीद थी। उस दौरान आर0डी0जी0 ग्रांट और जी0एस0टी0 मुआवजे के रूप में प्रदेश को लगभग 70,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।...(व्यवधान)

Speaker : Please, don't pay attention towards them.

18.11.2026/1205/AT/YK/-03

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : यदि उस राशि का सही उपयोग किया गया होता और प्रदेश की देनदारियों जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने स्वयं कहा था कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी उस समय प्रदेश पर लगभग 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। यदि उस समय प्राप्त राशि में से कुछ हिस्सा भी कर्ज चुकाने के लिए खर्च किया गया होता तो आज प्रदेश पर कर्ज का इतना बड़ा बोझ नहीं होता। लेकिन डबल इंजन की सरकार के नाम पर हिमाचल के साथ एक बड़ा खेल खेला गया। इस नारे के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और हिमाचल के हितों के साथ समझौता किया गया। अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा जिससे स्पष्ट होगा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हिमाचल को कितना नुकसान हुआ। किसाऊ बांध को लेकर आजकल काफी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मामले में बहुत सफलतापूर्वक बातचीत करके समझौता किया है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यमुना नदी के एक ओर उत्तराखंड है और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश। इस परियोजना में जितना अधिकार और हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश की है उतनी ही उत्तराखंड की भी है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने केंद्र की भाजपा सरकार के साथ इस विषय को सफलतापूर्वक उठाया और बातचीत के माध्यम से प्रदेश के हितों को सुरक्षित किया। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की

सरकार होने के बावजूद डबल इंजन की सरकार इस मामले में बातचीत के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित नहीं कर पाई। आज हमें इस मामले में सफलता मिली है और बिना किसी निवेश के हमें वहां से लगभग 600 करोड़ रुपये

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

18.11.2026/1210/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
नियम- 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव... जारी
नगर एवं ग्राम योजना मंत्री .... जारी

प्रति वर्ष आने वाले समय में इन बॉन्ड्स के माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में हैं और हमने इसमें कोई पैसा नहीं लगाया। यदि यहां डबल इंजन की सरकार होती तो यहां भी ये ब्लैकमेल हो जाते और अपनी बात नहीं रख पाते। इनके समय में डबल इंजन की सरकार होने के कारण प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ, धौलासिद्ध, सुन्नी और लूहरी के पावर प्रोजैक्ट्स में हिमाचल प्रदेश के हितों से समझौता किया गया और हमारी रॉयल्टी जीरो कर दी गई। हम कहां इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 12 से 18 की बात कर रहे हैं और इन्होंने 12 से जीरो पर प्रोजैक्ट्स अलाऊ कर दिए। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने साहसिक कदम उठाया और यह फैसला लिया कि या तो आप हमारी शर्तें मानें या हम इन प्रोजैक्ट्स को आपसे वापस लेकर खुद चलाएंगे। यह बात हमने केंद्र सरकार के साथ रखी।

अध्यक्ष महोदय, अभी डबल इंजन के नाम पर यहां क्या-क्या हुआ, आप सब जानते हैं। इनके समय में पी0डब्ल्यू0डी0 में क्या-क्या हुआ, हमें याद है कि उस समय झाड़ियां काटने और बरम (नालियां) रिपेयर के नाम पर कितने फर्जी टेंडर लगते थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यदि उनकी कोई जांच भी करेगा तो कोई जांच नहीं होगी। इनके समय में इस तरह के फर्जी टेंडर लगते थे। हमारे एक एसोसिएट में तो ओवरहेड टैंक बनकर तैयार हो गया लेकिन उसका टेंडर अभी भी नहीं हुआ है। इस तरीके से काम होता था और अब ये इस तरह की बातें करते हैं। हमारी सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनी और हमारे 40 विधायक यहां चुनकर इस माननीय सदन में आए । अभी हम चंदा चोरी की बात कर रहे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी तक सीमित नहीं है बल्कि वोट चोरी तक पहुंच

जाती है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित करके सिद्ध किया है कि किस तरह मध्य प्रदेश में लोगों ने सरकार बनाई लेकिन वहां विधायक चोरी हो गए। अभी महाराष्ट्र में विधायक और शिवसेना के एम0पी0 और तृणमूल कांग्रेस के एम0पी0 चोरी हो गए। आज से 2 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर

18.11.2026/1210/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

एक बहुत बड़ा धब्बा लगा जब हमारे विधायक चोरी हो गए। साधारण आदमी के वोट गायब होते हैं लेकिन विधायक के वोट भी गायब हो जाएं, यह पहली बार यहां देखने को मिला। इस धब्बे को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मिटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे थे लेकिन उप-चुनावों में लोगों ने दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। जो आजाद उम्मीदवार इनके गलतफहमी में फंस गए थे, उन्हें लग रहा था कि मोदी जी के वेब में उनकी नैया दोबारा पार हो जाएगी। वे भूल गए कि वे वैसे भी जा सकते थे और वैसे भी समर्थन दे सकते थे लेकिन हमारी बहन कमलेश ठाकुर जी और श्री हरदीप सिंह बावा जी के भाग्य में विधायक बनना लिखा था इसलिए उन विधायकों की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। इनको राजयोग था और उनका खत्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के प्रति लालसा बढ़ गई है। सत्ता का ऐसा चस्का लग गया है जैसे कई बार (***) लैपर्ड को मुंह में खून लग जाए तो वह बार-बार आदमी का शिकार करने की तरफ बढ़ता है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो (***) शब्द का प्रयोग किया है, हमें इस पर सख्त एतराज है और इसे कार्यवाही से निकाला जाए।

Speaker: (***) will be removed from the record.

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे तो ये यहां पीटरॉफ और एच0पी0टी0डी0सी0 के होटल बेचने की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा चली है कि लोन लेते रहो और लोन लेकर घी पीते रहो। इस प्रथा को बंद करना पड़ेगा। यदि आप इसे बेचना कहेंगे तो

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

18-11-2026/1215/NS-AG/1

नगर एव ग्राम योजना मंत्री ------जारी

आदरणीय जय राम ठाकुर जी जब मुख्य मंत्री थे तब इन्होंने जंजैहली में ए0डी0बी0 के पैसे से एक होटल बनाया था और उसे क्लब महिंद्रा को दिया गया था। क्या उसे बेचा हुआ बोलेंगे? मैं तो उसे बेचा हुआ नहीं बोलता। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया था। ...(व्यवधान) हालांकि, उसमें टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई थी। वह नॉमिनेशन बेसिस पर दिया गया था और उसके लिए कोई टेंडर नहीं हुआ था। हमारी सरकार तो टेंडर करवा रही है। बिना टेंडर के तो कुछ नहीं हुआ। आपने तो नॉमिनेशन पर किया था। अभी मनाली में ए0डी0बी0 का लगभग 200 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट है जिसे मुम्बई की एक एक्ट्रैस को कौड़ियों के भाव दे दिया गया है। वह भी नॉमिनेशन बेसिस पर दिया गया। आपकी सरकार ने दिया था और कोई टेंडर नहीं हुआ था। ...(व्यवधान) आप लोग बिना टेंडर के करोड़ों रुपये की संपत्ति लुटा दें ...(व्यवधान) जब डॉ0 हंस राज जी खड़े हुए थे तो यहां पर श्रीमती आशा कुमारी जी कहती थीं कि आप करें तो कृष्ण लीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। वही बात आप पर भी लागू होती है। यदि आप बिना टेंडर के ऐसा करें तो ईमानदार हैं और हम टेंडर की प्रक्रिया अपनाएं तो बेईमान हो गए। हम टेंडर की प्रक्रिया अपनाकर प्रदेश के रिसोर्सिज बढ़ा रहे हैं तो हम बेईमान हो गए। कमाल है! इस सोच को थोड़ा बदलना चाहिए। हमारी सरकार पैसे कमा रही है और पैसा सरकार के खाते में जा रहा है किसी की जेब में नहीं जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर बद्दी-नालागढ़ में एक कंपनी किनविन प्राइवेट लिमिटिड है जिसको 300 बीघा जमीन आबंटित की गई थी जो 2,25,600 स्क्वेयर मीटर बनती है। पूर्व सरकार के समय यह जमीन महज 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से अलॉट की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल के युवाओं ने क्या गुनाह किया है? ...(व्यवधान) हिमाचल के छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटे उद्यमियों को आपने 2000 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से प्लॉट दिए थे। ये पूर्व सरकार ने दिए हैं। जो हिमाचल के छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर अपना

उद्यम लगाकर काम-धंधा करना चाहते थे उन्हें आपकी सरकार ने 2000 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से प्लॉट दिए। लेकिन किनविन को वही जमीन 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दी गई। दूसरा, एक और प्रोजैक्ट एस0एम0पी0पी0 एम्युनिशन प्राइवेट लिमिटिड को 4000 बीघा जमीन दी गई जो 32,37,600 स्क्वेयर मीटर बनता है उसे भी 1 रुपये प्रति

18-11-2026/1215/NS-AG/2

स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दिया गया। इसके बाद इंडो फार्म इक्विपमेंट को जमीन दी गई। ...(व्यवधान) एस0एम0पी0पी0 के मामले में अभी उद्योग मंत्री जी बता रहे हैं कि जिसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट समझ रहे थे वह फ्रॉड निकला। वह फ्रॉड करके चला गया और अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटिड को 150 बीघा जमीन दी गई जो 1,21,410 स्क्वेयर मीटर बनती है। उसे किस रेट पर जमीन दी गई? 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दी गई। हिमाचली उद्यमियों को वही जगह 2000 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दी गई जबकि इन कंपनियों को 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से जमीन आबंटित की गई।

इसके अतिरिक्त हिमाचली उद्यमियों को बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट लगेगी जबकि इन कंपनियों को 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। हिमाचली उद्यमियों को पानी किस रेट पर मिलेगा? उन्हें कॉमर्शियल रेट पर पानी मिलेगा जबकि इन कंपनियों को पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हिमाचली उद्यमियों को वहां सड़क भी बनानी पड़ेगी, सीवरेज, बिजली और ड्रेनेज की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ेगी। उन्हें अपने स्तर पर आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और अपना वेयरहाउस भी बनाना पड़ेगा। जबकि इन कंपनियों को सरकार वेयरहाउस बनाकर देगी। बिजली और पानी भी मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी तथा अन्य सुविधाएं भी विकसित करके देगी।

इसके अतिरिक्त ग्रीनको जीरो प्राइवेट लिमिटेड को 73,825 स्क्वेयर मीटर जमीन 1 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दी गई। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जमीन दी गई। यह भारत सरकार का कॉर्पोरेशन है। हालांकि, यह कॉर्पोरेशन था इसलिए इनसे भी कुछ चार्ज करना चाहिए था। हमारी सरकार यदि किसी कॉर्पोरेशन

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

18.11.2026/1220/RKS/AS-1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री... जारी

भी दे रही है तो उसमें भी बोर्ड/कार्पोरेशन के लिए रेट बढ़ाकर 5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर किया गया है ताकि हिमाचल के संसाधनों को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक सोच का फर्क है। आज हमें इस बारे में सोचना है कि हम जो व्यर्थ का एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें अंकुश लगाया जाए। हिमाचल के संसाधनों पर हर हिमाचली का हक है। हर आदमी स्टेकहोल्डर है और हमें हर आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने जो पासिंग रेफरेंस में बातें बताई हैं उनका मुख्य मंत्री महोदय विस्तार से जवाब देंगे। यहां बस अड्डे के बारे में कहा जा रहा था कि 200 करोड़ रुपये का घपला हो गया है। घपला उसे कहते हैं जिसमें पैसा खर्च ही न हुआ हो। आप इसकी जांच करवाएं कि क्या वहां 200 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं? क्या वहां उतनी राशि का स्ट्रक्चर नहीं बना है? वहां पर पैसा खर्च हुआ है। आप जो बता रहे हैं वह केवल एक कागजी प्रक्रिया है जिसके तहत समय-समय पर रिवाइज्ड AA&ES दी जाती है। बड़े प्रोजैक्ट्स के लिए रिवाइज्ड AA&ES होती है। इस तरह सरकार समय और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेती है।

(माननीय सभापति, श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार सुधारात्मक, सकारात्मक और भविष्यन्मुखी राजनीति देखी है। लोगों में एक विजन देखने को मिल रहा है कि किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी विरासत तैयार की जाए और इस दिशा में काम हो रहा है। हम सबको इसमें सहयोग देना है। मैं रूलिंग पार्टी के अपने साथियों का भी धन्यवाद करूंगा कि वे कम-से-कम इस बात को समझ रहे हैं और इस लड़ाई में पूरी तरह सरकार के साथ हैं। हमारी सरकार आम आदमी के हक के लिए जो लड़ाई लड़ रही है उसमें हम सब एकजुट हैं। हम सबने मिलकर हिमाचल को जिताना है और हिमाचल के हकों की रक्षा

करनी है। पिछले दिनों श्री अनिल शर्मा जी ने भी एक अच्छा बयान दिया था कि हमारे अनप्रोडक्टिव खर्चों को कम करना है और हिमाचल के संसाधनों को बढ़ाना है। हम जानते हैं कि पंडित सुख राम जी जब कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तो वे जल, जंगल और जमीन की बात करते थे। आज सरकार भी वही कर रही है। हमने वाटर सेस लगाने की कोशिश की लेकिन उसमें

18.11.2026/1220/RKS/AS-2

अड़ंगा लगाया गया। अब भूमि से जुड़े संसाधनों पर लैंड टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। जंगलों के संबंध में भी हमने प्रयास किया है कि इको टूरिज्म के माध्यम से प्रोजैक्ट अलॉट किए जाएं। कल आपकी तरफ से एक वक्ता कह रहे थे कि इसमें फ्रॉड हुआ है। इसमें क्या फ्रॉड हुआ है? अगर ओपन बिडिंग के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में किसी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वह यहां अपना सेटअप बनाए जिससे हमारे पर्यटक भी इसका आनंद ले सकें और हिमाचल के लोगों को रोजगार भी मिल सके तो ऐसी गतिविधियां क्यों न की जाएं? आपके समय में भी ऐसा हुआ था। शोघी के पास भी एक प्रोजैक्ट था हालांकि अब वह बंद हो गया है लेकिन वह अच्छा प्रोजैक्ट था। अगर हमारे इको टूरिज्म के प्रोजैक्ट ऐसे हों जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिलता हो और हमारे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होती हो तो ऐसी गतिविधियों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जहां तक जमीन आवंटित करने का विषय है तो आपके समय में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर निःशुल्क जमीनें दी गई थीं। हमने इस तरह जमीनें देने से मना किया है। इसके स्थान पर खुले बाजार में प्रचलित बाजार दर पर जमीनों का आवंटन करने का निर्णय मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने लिया है। यह निर्णय काबिले तारीफ है। इसमें हमारे राजस्व मंत्री का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है क्योंकि यह कमेटी उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और हमारा मिशन स्पष्ट है कि to make Himachal self-reliant, to make Himachal most prosperous state, not only in the country but in the whole world. और इस मिशन में आप सभी भी अपना सहयोग दें। हम विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहेंगे कि आप विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन इस भूमिका को और प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आप

तथ्यों के साथ सदन में आएं ताकि उन पर विचार करके सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा। यहां श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा था कि बी0बी0एन0डी0ए0 द्वारा सी0एल0यू0 दिया जाता है। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए बी0बी0एन0डी0ए0 के बजाय सीधे टी0सी0पी0 विभाग या सचिव, टी0सी0पी0 के माध्यम से सी0एल0यू0 देने के लिए कदम उठाए जाएं। यहां सचिव, टी0सी0पी0 भी उपस्थित हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि यह बी0बी0एन0डी0ए0 का काम नहीं है बल्कि टी0सी0पी0 विभाग का कार्य है और टी0सी0पी0 विभाग इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

18.11.2026/1220/RKS/AS-3

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष द्वारा लाया गया यह स्थगन प्रस्ताव राजनीति से की सरकार दोबारा बनने जा रही है। यह सरकार फिर से रिपीट होगी। ऐसा न हो इसी हताशा में विपक्ष द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1225/बी.एस./ए.एस.-1

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय आपने समय दिया आपका धन्यवाद। यहां इस माननीय सदन में नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है 'आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार के शासन में बिकता हिमाचल" इस चर्चा में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने बहुत विस्तार से अपना विषय सदन में रखा और आदरणीय बिक्रम

सिंह जी, श्री सुधीर शर्मा जी और डॉ0 हंस राज जी ने भी भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार के बारे विस्तार से चर्चा की है।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश किसी की जागीर नहीं है लेकिन इसे जागीर होने की भावना के आधार पर अपने कृत्यों से समाज में यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई नए योद्धा आए हैं और उन योद्धाओं ने संजय बनकर प्रदेश की कायाकल्प कर दी है, शायद वे गलतफहमी में हैं। यह हिमाचल प्रदेश 72 लाख लोगों का है। डॉ0 वाई0एस0 परमार के उपरांत जितने भी मुख्य मंत्री इस प्रदेश में रहे हैं चाहे वे आदरणीय ठाकुर राम लाल जी हों, चाहे श्री वीरभद्र सिंह जी हों, चाहे श्री शांता कुमार जी हों चाहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी हों और वर्ष 2017 से 2022 के बीच आदरणीय जय राम ठाकुर जी रहे हों। इन सभी ने हिमाचल प्रदेश को सजाया और बनाया है। साथ-ही-साथ हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता की खुशबू पूरे देश में पहुंचाई है। इसलिए बड़े-बड़े पोस्टरों में योद्धा की उपमा देकर मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू स्वयं ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

यह हिमाचल प्रदेश किसानों का है, बागवानों का है, नौजवानों का है, युवाओं का है और खेत-खलिहानों में काम करने वाले किसानों का है। क्या यह प्रदेश वर्ष 2022-23 के बाद ही अस्तित्व में आया है? हां यह अस्तित्व में जरूर आया है। जो कहानियां पटकथाएं लिखी जा रही हैं वे आज हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति की जुबान पर हैं। यहां चाहे वह जमीन हो, चाहे जल हो और चाहे जंगल हो। वहां पर सरकार और इनके लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे हिमाचल प्रदेश बदनाम हो रहा है। अब तो हिमाचल प्रदेश में निवेशक भी निवेश करने से डर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की खबरें प्रकाशित हो रही हैं जो सभी को झकझोर कर रख देती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे हिमाचल प्रदेश की छवि खराब हो रही है।

18.11.2026/1225/बी.एस./ए.एस.-2

मुख्य मंत्री जी का एक सपना है और आप उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं। आप गग्गल, कांगड़ा में बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं लेकिन वहां फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला सामने आया है। इस संबंध में विधान सभा में एक प्रश्न का

उत्तर भी आया है। इस मामले में 9 लोग शामिल बताए गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे 9 लोग कौन हैं? मेरे पास उनके नाम हैं। उनमें नेता भी शामिल हैं और वे चुनाव भी लड़ते हैं। उनके विरुद्ध चार आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन 9 लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। साथ-ही-साथ यह भी बताया जाए कि मुआवजा मिलने से पहले कितनी हेक्टेयर जमीन खरीद ली गई थी? रछियालू में 100 कनाल जमीन खरीदे जाने का मामला है। वे मुख्य मंत्री जी के बहुत नजदीकी हैं। डर के मारे यहां धर्मशाला और कांगड़ा से तहसीलदारों ने अपना तबादला तक करवा लिया है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1230/DT/DC/01

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

यहां से धर्मशाला और कांगड़ा के तहसीलदारों ने अपनी ट्रांसफरें करवा लीं। सरकार की ओर से दबाव बनाया गया कि इसका जो मार्किट रेट है उसे कम किया जाए। इस पर राजस्व विभाग के अधिकारी कहने लगे कि यहां नौकरी करना बहुत मुश्किल है। एरोसिटी में क्या हुआ? अभी छह दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने एरोसिटी बनाने की घोषणा की है। मैं सरकार से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि एरोसिटी के नजदीक 100 बीघा जमीन किन-किन लोगों ने खरीदी है। उन सभी लोगों के नाम इस माननीय सदन में सामने रखे जाएं क्योंकि अब एरोसिटी के चक्कर में उन्हें कंपनसेशन या विस्थापित होने के एवज में लाभ मिलने वाला है और उनकी जेबें भारी होने वाली हैं। ऐसे कौन लोग हैं? मेरे पास उनके नाम हैं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि एरोसिटी जहां बन रही है वहां गांव जुगेड़, बड़ी खुर्द और बड़ी खास में जमीन खरीद ली गई है और इस बात को नोट कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त बडोत में लगभग 200 कनाल से अधिक जमीन खरीद ली गई है। अब जो हुडको से करोड़ों रुपये का लोन लिया गया है वह किन लोगों की जेब में जाने वाला है? माननीय राजस्व मंत्री जी आप इस पर जरूर गौर करें। हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने का अधिकार किसी को भी नहीं है और न ही किसी भी सूरत में ऐसा होना चाहिए। इसलिए हम यह प्रस्ताव लेकर आए हैं क्योंकि ब्लैक मनी का निवेश जमीनों में किया जाता है। यदि पैसा बैंक में रखा जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा जबकि यहां जमीनों की प्लॉटिंग

की जा रही है। धर्मशाला में प्लॉटिंग नहीं हो रही है क्योंकि यह नगर निगम का क्षेत्र है और यहां इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है परंतु अन्य क्षेत्रों में धड़ाधड़ प्लॉटिंग हो रही है। यह हिमाचल प्रदेश को बेचने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसीलिए हम यहां यह प्रस्ताव लेकर आए हैं कि हिमाचल प्रदेश भू-संपदा से संबंधित धारा 118 के नियमों में संशोधन किया जा रहा है तथा इस संबंध में सेलेक्ट कमेटी बनाई जा रही है। हम इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार से यह भी जानना चाहते हैं कि पिछले तीन वर्षों में धारा 118 के अंतर्गत कितने लोगों ने आवेदन किया है? कितने लोगों ने जमीन के लिए आवेदन किया और कितने लोगों को जमीन मिली तथा कितने लोग छूट गए एवं कितने मामलों में विलंब हुआ। हमारे पास इसकी पूरी सूची उपलब्ध है। पहले सैक्शन-118 में ऑनलाइन एप्लिकेशन देनी पड़ती थी परंतु अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं है। अब तो किसी एक मित्र का टेलीफोन

18.11.2026/1230/DT/DC/02

जाता है और उसके बाद 118 में जमीन की फाइल सरकती है और फिर आगे पहुंचती है। शिमला में क्या घटना घटी थी? मुख्य मंत्री के बहुत नजदीकी जो अखबारों में बोलते हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं उनके बेटे के ऊपर किसने आक्रमण किया था और क्यों आक्रमण किया गया? हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम इस माननीय सदन में किसी के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि हम व्यवस्था के विरुद्ध हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने झूठी गारंटियों के माध्यम से सरकार को सत्ता में बिठाया था। वे बिल्डर हैं। शिमला में यदि वह नौजवान छलांग नहीं लगाता तो मृत्यु उसके जीवन को गले लगा सकती थी। ऐसी सारी घटनाएं सरकार के उन्हीं दफ्तरों में घटित हो रही हैं। अब पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का मामला है। पूरा पालमपुर तो एक परिवार का है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर जो मुख्य मंत्री जी के आई0टी0 सैल को देखते हैं वे दिल्ली में किसका समझौता करवा रहे थे?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1235/डी.सी.-एन.जी./1

श्री विपिन सिंह परमार..... जारी

उनके पास पालमपुर में हजारों एकड़ जमीन है। कृषि विश्वविद्यालय की जमीन के ऊपर ही उनकी नजर क्यों अटकी है? क्या कभी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ढाबे, होटल और टूरिज्म की एक्टिविटीज़ चलाई जा सकती हैं? सरकार इतनी भयभीत हो गई कि कृषि मंत्री जी ने डायसेंटिंग नोट दे दिया और दबाव में आकर के कृषि विश्वविद्यालय से जमीन लेकर टूरिज्म के काम के लिए दी जाए, ऐसा कैबिनेट में एजेंडा लगा दिया। वहां के लोग, स्टूडेंट व साइंटिस्ट उठे और माननीय हाई कोर्ट गए। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि इस जमीन को टूरिज्म के लिए नहीं दिया जा सकता। इतनी बेचैनी हो गई थी कि प्रदेश सरकार माननीय हाई कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "गो बैक"। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस जमीन की रक्षा-सुरक्षा की है। धारा-118 के तहत जो सुरक्षा कवच प्रथम मुख्य मंत्री डॉ0 वाई0एस0 परमार जी ने दिया था, उसको प्रदेश सरकार छिन्न-भिन्न कर रही है। मैं आई0टी0 के उन सलाहकार को कहना चाहता हूं कि तुम किसी को खुश करने के लिए पालमपुर की कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को कौड़ियों के भाव बेचना चाहते हो लेकिन इसका अधिकार या हिमाचल प्रदेश की जमीन को बेचने का अधिकार हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं दे सकती। श्री जय राम ठाकुर जी के अगुवाई में, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठानी होगी तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। आई0टी0 के जो भी इंचार्ज हैं, वे अपनी जमीनों में से कोई भी जमीन दे दें क्योंकि उनके पास बहुत जमीन है, पूरे-के-पूरे पहाड़ हैं, चाय

बागान हैं, लेकिन उनकी नज़र इसी जमीन पर पड़ी हुई है? मैं इन जमीनों का जिक्र कर रहा हूं। बनूरी में क्या हुआ?

18.11.2026/1235/डी.सी.-एन.जी./2

लगभग 90 कनाल जमीन, मुजारों की जमीन, वहां पर जो राजस्व के अधिकारी हैं, उनके तालमेल के बाद उसको बेच दिया गया। जब वहां पर बिल्डर आए कि अब तो काम शुरू करना है, तो वे कहने लगे कि यह तो हमारी जमीन है। वे कोर्ट में गए, एस0डी0एम0 के पास गए, जिस कारण काम अभी रुका हुआ है। मैंने पिछले मानसून सत्र में भी कहा था कि राजस्व के बड़े-बड़े अधिकारी तथा पालमपुर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन वे सभी वहां पर डटे हुए हैं। वे राजस्व अधिकारी नहीं हैं, वे तो ब्रोकर बने हुए हैं। उनको किसका संरक्षण है? चाहे वहां पर तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है। मैं यहां पर जिन सारी जमीनों की बातें कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश को बेचने के लिए कार्रवाई इस वर्तमान सरकार, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की सरकार ने शुरू की है, इसको हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। ये हमारे लिए माननीय सदन है और इसके माध्यम से हम अपनी बात को उठाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, पूर्व में पेखुबेला का बड़ा जिक्र हुआ है। जहां पर जेब गर्म होती हो, वहां पर सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता, चाहे वहां पर सरकार का पैसा बाढ़ में चला जाए, किसी भी तरफ चला जाए या प्रदेश की संपदा का नुकसान हो। एक योग्य अधिकारी श्री विमल नेगी जी, उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े, क्यों? उन दबाव बनाया गया। उनसे कहा गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दो। उस ईमानदार अधिकारी ने कहा कि नहीं, मैं किसी भी सूरत में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे सकता हूं। मांग हो रही थी लगभग 15 करोड़ की

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1240/ए0जी0/ए0पी0/-01

नियम -67 जारी .....

श्री विपिन सिंह परमार जारी .....

मांग की जा रही थी। सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस विषय में हमें अवगत करवाए। जो चालान पेश हुआ है, हमें यह भी जानकारी मिली है कि सरकार की ओर से टालमटोल की जा रही है ताकि इस मामले को दबाया जा सके और इसे खत्म कर दिया जाए। इस तरह सरकार प्रदेश के खजाने पर डाका डाल रही है और हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों का जिस प्रकार दोहन किया जा रहा है और पेड़ों का कटान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम धर्मपुर गई थी। जब वे वापस आए और हमें इस बारे में बताने लगे कि ऐसा सरकार के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। जब यह मामला अखबारों में उजागर हुआ तो आनन-फानन में उस व्यक्ति ने कुछ पेड़ों को पहाड़ों के नीचे गिरा दिया और कुछ पेड़ों को जे0सी0बी0 से मिट्टी के नीचे दबाने का प्रयास किया। ये जंगल और जमीन किसी एक परिवार या किसी एक पार्टी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के जंगल, जल और जीवन हैं। अभी डेढ़-दो साल पहले जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें ब्यास नदी में बहुत कुछ बहकर आया था। ब्यास नदी में इतने बड़े-बड़े स्लीपर और पेड़ आ गए थे और वह पंडोह के समीप इकट्ठे हो गए थे। इस बारे में अखबारों में भी खूब खबरें छपी थी।

सभापति महोदय, वे पेड़ और स्लीपर कहीं-न-कहीं तो गए होंगे और किसी-न-किसी ने तो उन्हें खरीदा होगा। सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किया? फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से कौन-सा मैकेनिज्म अपनाया गया? दोष करने वालों को कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें सरकार और सरकार में बैठे मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए माफिया दनदना रहे हैं। इसका जिक्र मुझसे पहले विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी यहां किया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए बताया है कि माफिया सक्रिय हैं। और तो और, केंद्र सरकार द्वारा एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से सड़क बनाने के लिए

18.11.2026/1240/ए0जी0/ए0पी0/-02

पैसा आता है। धर्मशाला से शिमला की ओर, कांगड़ा से मंडी और नेरचौक से मनाली की ओर सड़कें बन रही हैं। लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रियल हब है, जिसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश की मजबूती के लिए दिया था, वहां भी एक फोरलेन बनना है। वहां अधिकारी मिले और कहने लगे कि नहीं, हम वहां काम नहीं कर सकते। वहां तो पहले ही यह तय किया जा रहा है कि गिट्टी, पत्थर और बजरी हमसे ही लो और जिस रेट पर हम तय करेंगे, उसी रेट पर लो। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग पड़े तो फिर उस फसल का क्या होगा? मेरे सामने सत्तापक्ष के उस इलाके के एक विधायक बैठे हैं। मैं उस इलाके के अन्य विधायकों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जिस इलाके से होकर वह सड़क बननी है, वहां के विधायक के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूं। केवल बड़ा बनने और ऊंची-ऊंची बातें करने से कोई बड़ा नहीं बनता। अपना व्यवहार जनता के प्रति और जनता के काम के प्रति होना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इस प्रकार के एक नहीं, दर्जनों उदाहरण हमारे पास हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री जय राम ठाकुर जी की अगुवाई में जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है, वह समय की जरूरत थी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रस्ताव यहां लेकर आए हैं। यह मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1245/AT/HK/-01

श्री विपिन सिंह परमार जारी.....

अब गारंटियों की बात आती है। गारंटियों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को लुभावने नारे दिए जा रहे हैं। आजकल एक नारा दिया जा रहा है, 'मेरा परिवार, सुखी परिवार'। आपका परिवार तो लगभग साढ़े तीन लाख लोगों का है। आपने तो कहा था कि 28 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस हिसाब से चार वर्षों में प्रत्येक महिला के 72,000 रुपये बनते हैं। "हिमाचल प्रदेश की महिलाएं की पुकार 72,000 रुपये

हमारा अधिकार है" और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपको बोलना हो तो 15 लाख का बोलिए, 20 लाख का बोलिए। शाहपुर में भी आपके ध्यान में आने वाला है कि वहां क्या कुछ होने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि युवा इंतजार कर रहे हैं और किसान-बागवान भी इंतजार कर रहे हैं।

सभापतिः माननीय सदस्य, नियम-67 पर बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमारः जो लोग राम मंदिर के विषय पर बोलकर चले गए उनकी पार्टी तो राम को काल्पनिक बताती है। इन्होंने रामसेतु को तोड़ने की योजना भी बना दी थी। लगभग 500 वर्षों तक यह सवाल बना रहा कि राम मंदिर कहां बनेगा और भगवान श्री राम का जन्म कहां हुआ था? भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बना। ...(व्यवधान) उस मामले में अच्छी तरीके से पैरवी की गई थी। आपके उस समय... (व्यवधान) और सुनिए, सुनिए।

Chairman : Please, please ...(Interruption) Please don't disturb. ...(Interruption) Hon'ble Member please don't disturb.

18.11.2026/1245/AT/HK/-02

श्री विपिन सिंह परमारः सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजेश धर्माणी जी बोल रहे थे। खैर, उन्हें मुख्य मंत्री जी ने ब्रीफ किया था, क्योंकि जब विपक्ष से हमले हो रहे थे तो वे असमंजस में पड़ रहे थे और भगवान श्रीराम के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। (***)...(व्यवधान)

Chairman : It will not be part of the record. ...(Interruption) It will not be part of the record. ...(Interruption) It will not be part of the record.

श्री विपिन सिंह परमारः सभापति महोदय, मैंने किसी का जिक्र नहीं किया है और न ही किसी का नाम लिया है।

सभापतिः आपने मुख्य मंत्री जी, यानी सदन के नेता के बारे में टिप्पणी की है। It will not be part of the record. ...(Interruption) आप कृपया नियम-67 पर बोलें। ...(व्यवधान) माननीय परमार जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियम-67 के विषय पर ही बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमारः राजेश धर्माणी जी ने जो कहा था, मैं उसी का संदर्भ दे रहा हूं। मैं कोई मनगढ़ंत बातें तो नहीं कर रहा हूं। आप भी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा माननीय अध्यक्ष के आसन पर विराजमान रहें। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं।

सभापतिः धन्यवाद। आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री विपिन सिंह परमारः सभापति महोदय, मैं ये सारी बातें इस रूप में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि... (व्यवधान) हिमाचल प्रदेश पर लगभग एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है और प्रदेशवासी कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यह

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

18.11.2026/1245/AT/HK/-03

पैसा कहां जा रहा है? यदि इस विषय पर चर्चा करनी है तो सरकार श्वेत पत्र लाए और इसकी पूरी जानकारी सदन को दे। इस सरकार की हालत यह है कि हमारे उप-मुख्यमंत्री जी परिवहन मंत्री हैं लेकिन उनके पास बस अड्डा बनाने तक का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में भी उनके पास वित्तीय अधिकार नहीं हैं।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

18.11.2026/1250/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
नियम- 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव... जारी
श्री विपिन सिंह परमार .... जारी

इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये 5 वर्ष तक लड़ते रहे और आवाज बनकर लोगों के बीच रहे लेकिन इलेक्ट्रिक बसें ले ली गईं तथा इनकी पर्चेजिंग कमेटी में भी कोई भागीदारी नहीं है। राजनीति में पावर डीसेंट्रलाइज होती है और सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठाकुर साहब (शिक्षा मंत्री) स्मार्ट रूम के लिए पैसा आया लेकिन उसका टेंडर नहीं हुआ बल्कि नॉमिनेशन हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के सुधार के लिए आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत किस ठेकेदार का चयन हुआ है? बिजली में सुधार होना चाहिए था लेकिन जब यहां से संरक्षण मिल रहा है तो फिर सब कुछ उसके लिए अच्छा ही अच्छा है।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार जिस तरीके से इस प्रकार के लोगों को संरक्षण दे रही है उससे हिमाचल प्रदेश की अस्मिता, अस्तित्व, सुंदरता और भविष्य को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह जी, यह सब कुछ आपके माध्यम से हो रहा है। आप संभल जाइए और रुक जाइए। यह हिमाचल प्रदेश आपका नहीं है। आपकी ही पार्टी के सर्वप्रथम मुख्य मंत्री डॉ. वाई0एस0 परमार जी ने हिमाचल को संवारने का काम किया और हिमाचल को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश कोई व्यापारिक सौदा नहीं है कि सौदे किए जाएं और न ही हिमाचल प्रदेश कोई नीलामी की वस्तु है। आप तो इसे नीलाम करने पर तुले हुए हैं।

सभापति महोदय, सारी जानकारियां सदन में रखी जाएं। कांगड़ा में 200 कनाल जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां हुई हैं और झूठे कृषक प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इनकी पूरी जानकारी मैं सदन में रखूंगा। जम्मू से कोई व्यक्ति आया और वह सरकार के नजदीक आ गया। सरकार के नजदीक आने के बाद जाली प्रमाण पत्र और फर्जी रजिस्ट्रियां कैसे हों, इसकी पटकथा लिखी जा रही है। ...(व्यवधान)

सभापति : यदि आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप सदन के पटल पर रख दें।

18.11.2026/1250/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

श्री विपिन सिह परमार : सभापति महोदय,जरूर रख देंगे। आपकी सरकार ने भी कहा है और मुख्य मंत्री की एक स्टेटमैंट आई है कि ऐसे लोगों के दस्तावेज हमारे पास पहुंच रहे हैं

कि उनकी प्रॉपर्टी और जमीनों को अटैच किया जाएगा। ...(व्यवधान) मैं एक बज़े समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, मैंने ये सारी बातें आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। हमें बड़ी खुशी हुई जब रोबर्ट यहां आए ...(व्यवधान) वह दिल्ली वाले रोबर्ट नहीं।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में ई0डी0एल0 (इसेंशियल ड्रग लिस्ट) के तहत वर्ष 2017 और 2022 के बीच जब हमारी सरकार थी, तब मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है लेकिन हिमाचल प्रदेश के हर अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में 1,300 दवाइयां और हैल्थ सब सेंटर में 400 दवाइयां उपलब्ध थीं तथा ये टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती थीं। लेकिन इस सरकार ने इसका बजट आधा कर दिया है। आप कह रहे हैं कि रोबर्ट लगाएंगे क्योंकि यह 28 करोड़ का है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत कमजोर है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

18-11-2026/1255/NS-YK/1

श्री विपिन सिंह परमार------जारी

आप एम्स का जिक्र करते हैं लेकिन हिंदुस्तान मेड एस0एस0आई0 मंत्रा मशीन हिंदुस्तान के बहुत-से बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों में लगी हुई है। यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। केंद्र सरकार ने औषधियों के लिए 235 करोड़ रुपये दिए थे जिनमें से 45 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हो सके। स्थिति यह है कि अस्पतालों में पैरासिटामोल से लेकर अन्य आवश्यक दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि यहां लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पर बल दिया जाए। यहां से टांडा नजदीक है और वहां पर लैप्रोस्कोपिक सेट पिछले अढ़ाई वर्षों से खराब पड़ा है। पोर्टेबल सेट 50 हजार रुपये से लेकर 5.50 लाख रुपये तक का आता है। इसके बावजूद आप रोबोटिक मशीन की चिंता कर रहे हैं कि उसके द्वारा उपचार करेंगे। यहां पर कहा गया है कि उसके माध्यम से उपचार नहीं होता। बी0पी0एल0 परिवारों, आई0आर0डी0पी0 और अन्य गरीब परिवारों के लोगों का उपचार उससे नहीं होता है। उससे गायनी का ऑपरेशन 1.25 लाख रुपये से होता है और अन्य ऑपरेशन भी महंगे हैं। मैं ये सारी बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यहां वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सुक्खू जी आए, महाराज साहब आए तो वोट चोरी नहीं हुई। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पिछले 55 वर्षों से नहीं हैं। आप कहां वोट चोरी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में 32 वर्षों से नहीं हैं। आप कहां वोट चोरी का बात कर रहे हैं? दिल्ली में 22 वर्षों से नहीं हैं। ओडिशा में तो आपका सफाया हो चुका है। इसके बावजूद आप बार-बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। फिर भी आप बार-बार वोट चोरी, वोट चोरी कह रहे हैं। आप इस माननीय सदन में यह कौन-सी बात रख रहे हैं?

सभापति महोदय, यदि वोटर लिस्ट में आपके ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र में बी0एल0ओ0 के माध्यम से और राजनीतिक पार्टियों के पंजीकृत बी0एल0ए0 के माध्यम से नाम दर्ज किए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बी0एल0ए0 की संख्या लगभग अढ़ाई लाख है तथा वे वहां पर वोट सत्यापित करते हैं। वर्ष 2005-06 के बाद हिमाचल प्रदेश की वोटर लिस्ट से मृत व्यक्तियों के नाम नहीं काटे गए। अब एस0आई0आर0 के माध्यम से जो संशोधन और सुधार किया जा रहा है तो क्या वह

18-11-2026/1255/NS-YK/2

वोट चोरी है? यदि मेरे या आपके विधान सभा क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी युवा को मतदान का अधिकार प्राप्त है और बी0एल0ओ0 के माध्यम से उसका वोट बनाया जाता है तो क्या यह वोट चोरी है? यदि कहीं पर किसी व्यक्ति के नाम पर दो जगह वोट दर्ज हैं जैसे धर्मशाला और शिमला दोनों जगहों पर वोट हैं और उनका शुद्धीकरण किया जा रहा है तो क्या यह वोट चोरी है? यदि कांगड़ा का कोई व्यक्ति चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया है और वहां उसका वोट दर्ज हो रहा है तो क्या यह वोट चोरी है? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है वह हिंदुस्तान का नागरिक बनकर वोट नहीं बनवा सकता।

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप कीजिए।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, मैं यहां अच्छी बात रख रहा हूं। चुनावों के दिनों में इसका ज्वालामुखी में आपको भी फायदा हो सकता है। इससे आपको नुकसान नहीं

बल्कि फायदा होने वाला है। सभापति महोदय, मैं इसका उत्तर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां वोट चोरी का जिक्र किया गया और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। ...(व्यवधान) इस सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी शक्ल देखकर कहते हैं कि 150 कनाल जमीन एयरपोर्ट और ऐरोसिटी के नजदीक खरीद ली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को प्रदेश के रिसोर्सिज बढ़ाने का काम करना चाहिए। आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं और किशाऊ बांध के बारे में कह रहे हैं। यह 12 प्रतिशत रॉयल्टी किसने दिलवाई थी? चलिए, उस समय वे देश के प्रधानमंत्री थे और मैं उनका जिक्र करने वाला हूं। आदरणीय शांता कुमार जी वर्ष 1990 में मुख्य मंत्री थे और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी पार्टी के अध्यक्ष थे।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

18.11.2026/1300/RKS/AG-1

श्री विपिन सिंह परमार....जारी

उस दौरान अधिकार यात्रा निकाली गई थी जिसमें जनप्रतिनिधि शिमला से दिल्ली तक पहुंचे थे। जब वे दिल्ली पहुंचे तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी एवं अन्य वरिष्ठ नेता तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव जी से मिलने गए। शांता कुमार जी ने बताया था कि उन्हें डर लग रहा था कि वे श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव जी के पास अपनी बात रखने के लिए कैसे जाएंगे। इस पर उन्हें कहा गया कि आप अपनी बात रखिए। श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव जी ने शांता कुमार जी से कहा कि राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनती हैं लेकिन सरकारों की कोई पार्टी नहीं होती। शांता कुमार जी वहां से खुश होकर लौट आए। श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मदन लाल खुराना जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ जो विषय लेकर आए हैं उस पर हम अपनी कैबिनेट की बैठक में अवश्य चर्चा करेंगे।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहा हूं।

सभापति : आप नियम-67 के अंतर्गत ही अपनी बात रखें।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, मुझे इन सभी बातों का उल्लेख इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस तरफ से बार-बार इन बातों का जिक्र किया जा रहा था। जहां तक वोट चोरी का सवाल है तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से भी जीती है और ई.वी.एम. से भी जीती है। इसलिए वोट चोरी का नारा शायद फ्लॉप हो गया है और लोगों ने उस पर ताला लगा दिया है। ठीक उसी तरह जैसे आपने संस्थानों पर ताला लगाया है और अब दस महीनों के बाद आपके ऊपर भी ताला लगने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आकंठ भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की जो बदनामी हुई है, उस विषय पर मैंने सदन में अपनी बात रखी है।

सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.11.2026/1300/RKS/AG-2

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

18.11.2026/1405/बी.एस./ए.एस.-1

(**सदन की बैठक** दोपहर के **भोजनोपरांत 02.05 बजे अपराह्न** माननीय सभापति श्री संजय रत्न की अध्यक्षता में **पुनः आरंभ हुई**)

सभापति : अब राजस्व मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, जिस नियम के तहत यहां चर्चा चल रही है और जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को लाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनमें से एक भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। इससे उनकी इस चर्चा के प्रति गंभीरता का पता चलता है। सदन की अगली पंक्ति की सभी सीटें खाली पड़ी हैं। यहां तक कि जिन

माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है और जो इसके मूवर हैं वे भी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री भी सदन में उपस्थित नहीं है।

राजस्व मंत्री : इसमें किसी मंत्री का काम नहीं है। नियम-67 आपका है। (...व्यवधान...)

सभापति : प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को अपनी बात रखने दीजिए। (...व्यवधान...)

राजस्व मंत्री : इससे लगता है कि विपक्ष इस चर्चा के लिए कितना गंभीर है। हमारे विधान सभा के जो नियम बने हैं उन नियमों में नियम-67 एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यह विपक्ष के पास एक ऐसा हथियार है जिसके अंतर्गत यदि चर्चा की अनुमति दी जाती है तो सदन का पूरा शासकीय कार्य पीछे चला जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है जब कोई अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है तभी इसे सदन में चर्चा के लिए लाया जाता है। कल इन्होंने इसी नियम के अंतर्गत हिमाचल ऑन सेल को लेकर भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा मांगी थी। सरकार ने तुरंत इनकी बात मान ली। पहली बार ऐसा हुआ कि ये रॉन्ग फुट पर पाए गए। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता। नेता प्रतिपक्ष को मैंने पहली बार इतना बेबस और विचलित देखा कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। शुरुआत तो उन्हें ही करनी पड़नी थी। जिन्होंने इस प्रस्ताव को मूव किया था उनकी तरफ बार-बार देखा ताकि वे आक्रोशित हों।

इसका मतलब यह था कि इनकी सोच थी कि सरकार इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। इन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सरकार इनके प्रस्ताव को मान लेगी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1410/DT/एएस/01

राजस्व मंत्री जारी....

क्योंकि इनके समय में भी इन्होंने कभी हमें नियम-67 के अंतर्गत चर्चा के लिए अवसर नहीं दिया। आप भूल गए हैं और अब आपकी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। हमारी वर्तमान सरकार ने और जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि तेरह में से केवल तीन प्रस्ताव ही रिजेक्ट हुए हैं और शेष सभी प्रस्तावों पर नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हुई है। इसलिए यहां सरकार की तरफ से किसी भी तथ्य पर पर्दा डालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम सोच रहे थे कि शायद कोई बड़ा धमाका होने वाला है। हमें नेता प्रतिपक्ष से भी बड़ी उम्मीद थी और ये बार-बार कह रहे थे कि अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। जब उनके हाथ में इतने सारे कागजों का एक पुलिंदा था तो मैं देख रहा था कि कभी वे उसका लास्ट पेज ढूंढ रहे थे और कभी बीच वाले पेज को ढूंढ रहे थे लेकिन जिस हथियार की ये बात कर रहे थे वे निकल ही नहीं रहा था। ...(व्यवधान) फिर यह प्रस्ताव क्यों लाया गया? इस प्रस्ताव को अगले साल लाना था तो अभी क्यों लाया गया? आपने हमारा समय क्यों खराब किया। आपने प्रश्नकाल क्यों खराब कर दिए? आप इस प्रस्ताव को अगले साल ही लाते।...(व्यवधान) वे दस्तावेज निकले ही नहीं। इन्होंने कहा था कि आगे अब मामला बहुत तीखा होने वाला है लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। इनके वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे यह लगे कि जिस अर्जेंसी और मुद्दे को लेकर वे सदन में आए थे वह कहीं दिखाई दिया हो। अब देखा जाए तो बहुत सारे माननीय सदस्य अलग-अलग विषयों पर चले गए। कोई सी0बी0एस0ई0 के ऊपर चला गया तो कोई कहता है कि मेरे क्षेत्र में हैल्थ की स्थिति ठीक नहीं है। कोई पैरासिटामोल पर चला गया लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में तो ये भूल ही गए। यानी जिस मुद्दे को लेकर उन्हें सदन में आना था उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला होता तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे उसके दस्तावेज भी पेश करते। लेकिन एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। केवल एक स्विपिंग स्टेटमेंट देना कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है क्या इसे ही सही मान लिया जाए? ...(व्यवधान) चार्जशीट के लिए विधान सभा से बड़ा मंच और कहां होना चाहिए? चार्जशीट की यह प्रथा तो इन्होंने ही शुरू की थी। अब वे चार्जशीट कहां गईं? पिछली चार्जशीट कहां गईं?

पिछली चार्जशीटों में मैं स्वयं भुगतभोगी हूं। मेरा मामला हाईकोर्ट में दस वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ा है। हाईकोर्ट ने एक एक्यूज्ड के विरुद्ध तो यह कह दिया कि उसके विरुद्ध दफा 500 का केस बनता है। बाकी जो उसमें आठ-दस लोग बड़े-बड़े लोग हैं उनके विरुद्ध मामला अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। उनके वकील वहां आते नहीं हैं जिसके कारण यह केस बार-बार एडजर्नमैंट हो रहा है।

चार्जशीट के नाम पर जनता को गुमराह ही किया जाता है क्योंकि चार्जशीट में निकलता कुछ नहीं है। जब उस चार्जशीट को निकालकर देखते हैं तो एक कहावत है न कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, लेकिन इनकी चार्जशीट में चुहिया भी मरी हुई निकलती है। इसलिए इन्होंने चार्जशीट के नाम पर एक तरीका निकाला है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जाए क्योंकि उस चार्जशीट का कोई परिणाम नहीं निकलना है। इन्होंने जो चार्जशीट दी है उस चार्जशीट के आधार पर कम-से-कम एक केस भी दर्ज करवाया होता तो हम मानते कि इनकी बात सही थी। परंतु केवल जनता को गुमराह करने के लिए ही नियम-67 के अंतर्गत प्रस्ताव लेकर आए हैं। इनका तो यह भी एक प्री-प्लान था कि अध्यक्ष पीठ से इसकी परमिशन तो मिलने से रही और प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा लेकिन इन्होंने प्रेस के लोगों को भी पहले ही कह दिया था कि आप ठीक 12 बजे बाहर आ जाना क्योंकि हम उस समय बाहर आ रहे हैं। क्योंकि आधा-पौना घंटा इन्होंने यहां प्रदर्शन करना था और विरोध जताना था तथा उसकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ताकि समाचार पत्रों मबड़ी-बड़ी हेडलाइन लगाई जा सकें कि नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मामले में सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह अच्छी बात है कि सरकार ने नियम-67 को अलाउ किया और यहां चर्चा शुरू हुई और नियम-67 के अंतर्गत बहुत सारी बातें कीं। यदि मैं इस विषय पर विस्तार से जाऊं तो सबसे पहले अपने विभाग से ही शुरुआत करता हूं। इन्होंने सबसे पहले यह आरोप लगाया कि धारा-118 के तहत बहुत बड़ी धांधली हुई है। केवल इतना ही इन्होंने कहा। इसके बाद कोई ऐसा केस जिसमें 118 का उल्लंघन हुआ हो वह न तो नेता प्रतिपक्ष और न ही इनके दूसरे साथी यहां प्रस्तुत कर पाए। माननीय सदस्य बलबीर जी भी इस सदन में बैठे हैं, इन्होंने भी धारा-118 के 500 मामलों को लेकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, ऐसा कुछ है नहीं जो यह कह रहे हैं। न ही माननीय नेता

प्रतिपक्ष ने धारा-118 के उल्लंघन का कोई केस नहीं बताया बस एक पासिंग रेफ्रेंस दिया उस रेफ्रेंस में इतना कहा गया कि **श्री एन0जी0 द्वारा जारी**

18.11.2026/1415/डी.सी.-एन.जी./1

राजस्व मंत्री..... जारी

फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ती, जब तक डी0सी0 को फोन न करें। इन्होंने धारा-118 में इतना ही दोष लगाया है। ये यहां पर भी गलत कह गए क्योंकि अब सारा-का-सारा काम ऑनलाइन है। सचिव स्तर तक सारा-का-सारा का काम ऑनलाइन पर है। ऑनलाइन पर हर व्यक्ति देख सकता है कि कहां केस पड़ा हुआ है या कितना समय हुआ है। यह एक पूरा पारदर्शी तरीका है। किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि धारा-118 में कहीं कोई धांधली हो रही है या फाइल को आगे बढ़ने के लिए फलाने व्यक्ति ने, फलाने अधिकारी ने या फलाने राजनेता ने कोई पैसा लिया हुआ है। यह बात भी यहां पर नहीं आई है। तो फिर धारा-118 का वॉयलेशन कहां हुआ? धारा-118 के सूत्रधार हमारे प्रथम मुख्य मंत्री डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी थे क्योंकि उनके समय में ही यह बिल आया और कानून बना। उसमें यह था कि हिमाचल प्रदेश की भूमि को हम बाहर के लोग या हिंदुस्तान के लोगों को जोकि गैर हिमाचली कृषक हैं, नहीं देंगे। इसमें एक राइडर लगाया गया कि जो अप्लाई करेगा उसको सरकार परमिशन देगी और उसमें किस-किस पर्पज के लिए देना है, वह सरकार तय करेगी। इसके तहत इंडस्ट्री को दे सकते हैं, हाउसिंग को दे सकते हैं, टूरिज्म को दे सकते हैं या जो व्यक्ति यहां पर लंबे समय से रह रहा है, उनको रेजिडेंस के लिए दिया जा सकता है। ये सारे प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। वर्ष 1972 के बाद से लेकर लगातार पूर्व की सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही या भाजपा की रही, सभी ने इस कानून के तहत इंडस्ट्री, टूरिज्म, हाउसिंग और रेजिडेंस को अनुमत्तियां दी हैं। जहां-जहां जो भी नियम थे, उनके अनुसार दी गई हैं। यह सरकार के विवेक के ऊपर है। इसके लिए नियम बना हुआ है। तो उसमें कहां से हिमाचल सेल हो गया? पहले ये बताइए। जब श्री जय राम

ठाकुर जी की सरकार थी, तब इन्होंने भी 1400 से ज्यादा केसिस स्वीकृत किए। इन्होंने 13,000 बीघा से ज्यादा भूमि दी है।

18.11.2026/1415/डी.सी.-एन.जी./2

हमने कभी नहीं कहा कि इन्होंने गलत किया है। हमने यदि किसी को दिया है तो नियम के तहत दिया है। हमने सारे प्रोसीजर्स को फोलो करने के बाद दिया है। वे सभी बिल्कुल सही हैं क्योंकि इसके लिए कानून बना हुआ है। उसमें कहां लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार हो गया? अगर किसी एक जगह पर किसी भी राजस्व अधिकारी ने, मैं कह रहा हूं कि किसी और ने भी कहीं पर भी कुछ गलत किया है तो विपक्ष के लोग एक केस हमारे सामने लाएं और बताएं कि धारा-118 में कुछ लिया-दिया गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोग इस पर तो कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। अभी हमारे समय में हमने 1400 से ज्यादा मामलों को दिया है लेकिन उसमें हमारी जो जमीन गई है, वह पूर्व सरकार के समय से कम जमीन गई है। इन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया था। इन्होंने धारा-118 को डाइल्यूट करने का तरीका निकाला। इन्होंने एक कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम से, जिसके बारे में मेरे सब साथी यहां डिटेल में कह गए हैं। हमारे मंत्री महोदय ने भी बताया कि कैसे एक रुपये वर्ग मीटर में इन्होंने 5,000 बीघा भूमि धारा-118 की परमिशन के बिना एक कस्टमाइज्ड पैकेज का नाम देकर दे दी है। यह है असली "हिमाचल ऑन सेल"। इन्होंने ऐसे लोगों को दिया, जिन लोगों ने अभी तक इंडस्ट्री नहीं लगाई। पांच साल का समय इनका चला गया और उसके बाद हमारा भी चार साल का समय पूर्ण हो रहा है। उसमें इन्होंने बिजली सस्ती, पानी सस्ता और जमीन तो कोड़ियों के भाव 99 साल की लीज पर दे दी है। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये लोग उस भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार में धारा-118 का वॉयलेशन तो हुआ ही नहीं है। मैंने धारा-118 में कोई भी बात आप लोगों से छिपाने की नहीं की है। माननीय सदस्यों ने यहां पर इसके बारे में अपनी जो भी शंकाएं जाहिर की हैं, मैं उसके अंदर भी बताना चाहता हूं कि अभी तक जो धारा-118 के पेंडिंग केस हैं...(व्यवधान)

18.11.2026/1415/डी.सी.-एन.जी./3

Chairman: Please let him complete. इनको कम्पलीट करने दो, उसके बाद मैं आपको (श्री जय राम ठाकुर जी को कहा) टाइम दूंगा।...(व्यवधान) इन्होंने अभी धारा-118 की पूरी बात ही नहीं की है और आप अभी से रिप्लाई देने में फंस गए।...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : अभी तो आधे शब्द मेरे मूंह में ही पड़े हुए हैं और आप बीच में ही रोक रहे हो।...(व्यवधान)

सभापति : श्री जय राम ठाकुर जी, प्लीज let him complete. मैं इनके बाद आपको टाइम दूंगा।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, डॉ0 हंस राज, प्लीज बैठ जाइए।

राजस्व मंत्री : डॉ0 हंस राज जी, आप इनकी वकालत क्यों कर रहे हो? ...(व्यवधान)। डॉ0 हंस राज जी, आप इनकी वकालत मत कीजिए। क्या आपको कुछ मिलने वाला है? सभापति महोदय, मैंने अभी बताया कि धारा-118 के तहत अनुमति लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सचिव स्तर तक ऑनलाइन है। उसके बाद जब वह मामला हमारे लेवल पर आता है तो उसकी छानबीन करके फाइनल किया जाता है।

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1420/डी0सी0/ए0पी0/-01

राजस्व मंत्री जारी ....

यह प्रक्रिया मुख्य मंत्री के लेवल तक पूरी होती है। आज की तारीख में सभी जिलों को मिलाकर कुल 234 मामले पेंडिंग हैं। अब आप बताइए कि इसमें गड़बड़ी कहां हो रही है? अभी यहां पर कहा गया कि बहुत अधिक वायलेशन हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका पालन सुनिश्चित किया जा सके। यदि

कानून का वायलेशन होता है और हम उस पर कार्रवाई नहीं करते, तब आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आपत्ति किस बात की है? सिरमौर में केवल 12 वायलेशन के मामले हैं जो उपायुक्त के स्तर पर पेंडिंग हैं और उनका संज्ञान लिया गया है। सोलन में 76 मामले हैं, उनमें भी संज्ञान लिया गया है। ऊना में 21 मामले हैं, मंडी में केवल एक मामला, कांगड़ा में तीन और चंबा में चार मामले हैं। कुल्लू में अभी तक वायलेशन का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है। इसी तरह, सोलन जिले में भी काफी मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 28 ऐसे मामले थे जिनमें वायलेशन हुआ था। उन पर फैसले लिए जा चुके हैं और लगभग 300 बीघा भूमि जिस पर वायलेशन हुआ था वह भूमि सरकार में निहित हो चुकी है। इसलिए जहां भी कोई मामला हमारे ध्यान में आता है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। यदि कानून का वायलेशन होने पर हम कार्रवाई न करें तब आप कह सकते हैं कि हम भी इसमें मिले हुए हैं। लेकिन जब हम हर मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और वायलेशन वाली भूमि को सरकार में निहित भी कर रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार का मतलब कहां से आ गया? केवल sweeping statement या बिना सोचे-समझे आरोप लगाने से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है। यदि आप भ्रष्टाचार साबित करना चाहते हैं तो आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। तभी हम आपकी बात मानेंगे। केवल जनता को गुमराह करने और सुर्खियों में बने रहने के लिए नारेबाजी करने से कुछ साबित नहीं होता। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि धारा-118 में कहां वायलेशन हुआ है? स्वयं नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि वे डी0सी0 को फोन करते हैं। डी0सी0 को फोन कौन नहीं करता? आप भी तो करते होंगे। सिफारिश कौन

नहीं करता? आप भी अपने कार्यालय से सिफारिश करवाते होंगे। आपके समय में भी ऐसा होता रहा है। मेरे पास कोई पेगासस नाम को कोई उपकरण तो नहीं है। वह तो दिल्ली में रखा हुआ है। यदि वह उपकरण मेरे पास होता तो मुझे रोज पता चलता कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप तो सदन में हमें डराते भी हैं। कई बार कहते हैं कि हम आ रहे हैं, आपको देख लेंगे। आप डराने का काम भी करते हैं। हम तो बेचारे केवल सिफारिश करने वालों की बात कर रहे हैं, जबकि आप तो सीधे डराने का काम कर रहे हैं। अब हम धारा-118 से आगे के मामलों की बात करते हैं। धारा-118 में तो काफी कुछ हो चुका है। माननीय

सदस्य श्री बलबीर जी ने जो 500 मामलों की बात कही है, वे 500 मामले कहां हैं? कृपया बताइए कि आपको ये सूचनाएं कहां से मिलती हैं? आप मुझसे ही पूछ लिया कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। मेरे खिलाफ भी जो बोलना हो, वह जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। क्योंकि जब आप यहां थे उस समय आप सच बोलते थे। लेकिन अब आप ऐसी पार्टी में चले गए हैं, जिसका नाम ही बहुत झूठी पार्टी है। अरे क्या आपका तो हृदय परिवर्तन हो गया? इसलिए, आपके द्वारा लगाए गए इन तमाम आरोपों को साबित करने के लिए आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के विषय पर एक और बात कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि धन का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार है और पद का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार है। कल मेरे युवा साथी जो धर्मपुर से हैं, उन्होंने यहां कहा था कि भौतिक भ्रष्टाचार भी होता है। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर एक और भ्रष्टाचार है जिसे बौद्धिक भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। आज यदि हिंदुस्तान के सामने भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खतरा है वह धन का दुरुपयोग तो है ही लेकिन इसके साथ-साथ बौद्धिक भ्रष्टाचार भी एक बड़ा खतरा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि भ्रष्टाचार किस प्रकार होता है। 700 करोड़ रुपये का एक जहाज खरीदना था। जिसका नाम राफेल था। आपने उसे 2,300 करोड़ रुपये में खरीद लिया। अब बताइए, इसमें भ्रष्टाचार कहां नहीं है? वह जहाज चांदी का तो बना नहीं था। उसकी कीमत 700 करोड़ रुपये थी, लेकिन उसे 2,300 करोड़ रुपये में खरीद लिया गया। क्या उस राफेल में चांदी और सोने का परत लगा हुआ था? क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए? आप बताइए, कहां छूटे? उल्टे अपने ही छक्के छूट गए। भ्रष्टाचार उस स्तर पर भी होता है, जहां बड़े-बड़े आर्थिक फैसले लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार कैसे होता है? आपके बैंकों और आपके मित्रों के बैंकों के माध्यम से, जहां पांच लाख करोड़ रुपये के एन0पी0ए0 दिए जाते

हैं और उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। यह भी भ्रष्टाचार है। अडानी, अंबानी और नीरव मोदी जैसे लोगों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। हमारे लिए भी आप ऐसी उदाहरण लाते। आपने पांच लाख करोड़ रुपये के कर्ज के मामले को बट्टे खाते में डाल दिया गया। अब आप बताइए। साथ ही, आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया। 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज तो पहले से ही आपके

समय का था। आपने कर्मचारियों के 10 हजार करोड़ रुपये भी नहीं दिए। अरे, केंद्र सरकार हमारा कर्ज माफ क्यों नहीं करती।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1425/AT/HK/-01

राजस्व मंत्री जारी...

उसमें तो आपका भी कर्ज था। आखिर अदानी-अंबानी इतने बड़े क्यों हो गए? क्या वे देश की जनता से भी ऊपर हो गए हैं? आप उनके सारे कर्ज माफ कर देते हैं। आखिर यह सारा पैसा कहां जाता है? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि माफ किए गए कर्ज का पैसा कहां-कहां गया है। मैंने इसका प्रमाण भी दिया है। आपका बजट सत्र होता है और हर बजट सत्र में मैं इसका प्रमाण देता हूं।...(व्यवधान)

Chairman: Hon'ble Member Shri Rakesh Jamwal ji, please don't disturb. ...(Interruption) Please don't disturb.

राजस्व मंत्री: सभापति महोदय, ये सारे तथ्य सी0ए0जी0 (CAG) की रिपोर्ट में हैं। मैं सारी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दूंगा। सारा विवरण सीएजी की रिपोर्ट में दिया गया है और सीएजी केंद्र सरकार की ही संस्था है। उसी की रिपोर्ट में ये सारे तथ्य दिए गए हैं। मैं जो बता रहा था ...(व्यवधान) उसकी हद तो यह हो गई कि आपने पांच लाख करोड़ रुपये का पैसा भी बट्टे खाते में डाल दिया। ...(व्यवधान)

Chairman: Shri Rakesh Jamwal ji, please don't disturb. अभी आपके बाद अगले वक्ता बोलेंगे।

राजस्व मंत्री: मैं संविधान को मानता हूं, नियमों को मानता हूं, नेहरू जी को मानता हूं, महात्मा गांधी को मानता हूं, लेकिन गोडसे को नहीं मानता। सभापति महोदय, मैं आज भ्रष्टाचार के एक ऐसे स्वरूप की बात करना चाहता हूं जिसकी चर्चा हमारे साथी नहीं करते हैं। इन्होंने धन के दुरुपयोग के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए मैं

उस विषय को यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन पहली बार विपक्ष पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और वह भी प्रमाणों के साथ। आज सुबह हमारे उप-मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यह सरकार चोर है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी केंद्र में सरकार थी और आज भी है

18.11.2026/1425/AT/HK/-02

तथा यहां यह विपक्ष में थे। यहां एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, वह भी भ्रष्टाचार है। दल-बदल करवाकर, पैसों का लालच देकर और ई0डी0 (ED) तथा सी0बी0आई0 (CBI) का डर दिखाकर इन्होंने हमारे छह विधायकों को तोड़ लिया। उन्हें खरीद लिया, खींच लिया या चुरा लिया आप कुछ भी कह सकते हैं।...(व्यवधान)

सभापतिः भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है चाहे वे किसी भी प्रकार का हो। आप बैठ जाइए।

राजस्व मंत्रीः इसके अतिरिक्त हमारे तीन निर्दलीय विधायक भी थे, जिन्हें इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी बना दी कि वे कहीं के नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। हिमाचल में ऐसा कभी नहीं होता था। इस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती थी, लेकिन आज इन्होंने इस देवभूमि हिमाचल को भी भ्रष्ट कर दिया है। यह नंबर एक का भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार का कोई जवाब नहीं है। यह सब इन्होंने किया है।...(व्यवधान)

Chairman: Shri Rakesh Jamwal ji, please don't disturb. ...(Interruption) Shri Rakesh Jamwal ji, please don't disturb.

राजस्व मंत्रीः इनके राजनीतिक मापदंड अलग-अलग हैं। सत्ता में रहते हुए ये कुछ करते हैं और विपक्ष में रहते हुए कुछ और करते हैं। यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। ये

जी0एस0टी0 (GST) का विरोध करते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद जी0एस0टी0 लागू कर दिया। ये आधार कार्ड के खिलाफ थे लेकिन सत्ता में आने के बाद आधार कार्ड की व्यवस्था को भी अपना लिया। जब ये ऐसा करें तो ठीक है। ये करें तो रामलीला और हम करें तो रासलीला! आखिर ऐसा कैसे चलेगा? ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा इसी वैचारिक लड़ाई से पैदा हो रहा है। इन्होंने आज देश में एक प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रखा है। ऐसा लगता है कि ये देश को बांटने और उसके टुकड़े-टुकड़े करने पर तुले हुए हैं। आपने तो संविधान की शपथ लेकर सत्ता संभाली है। संविधान की शपथ लेने का अर्थ है कि उसके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का सम्मान

18.11.2026/1425/AT/HK/-03

किया जाए। लेकिन सत्ता में आने के बाद आप संविधान की शपथ के विपरीत काम करते हैं। आप हिंदू-मुसलमान और जाति-पाति के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीति करते हैं और दंगे-फसाद करवाते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है और यह भी भ्रष्टाचार का ही एक स्वरूप है। इसे मैं वैचारिक और नैतिक भ्रष्टाचार कहूगा। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आजकल हमारे नौजवानों के साथ भी यही हो रहा है। स्कूलों में उनका पाठ्यक्रम बदला जा रहा है। गलत इतिहास और झूठे तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं। आप पूरा इतिहास बदलकर हमारे नौजवानों के दिमाग को भी दूषित कर रहे हैं। आप उन्हें भी भ्रमित कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। Corrupting the minds of the youth is itself a form of corruption और ये सबसे बड़ा खतरनाक corruption है। क्योंकि अगर youth हमारा corrupt हो जाए...(व्यवधान)

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी....

18.11.2026/1430/टी0सी0वी0/एच0के0-1

सभापति : आप सुनिए, ये भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। प्लीज, प्लीज। Let him complete. ...(Interruption) Let him complete.

राजस्व मंत्री : जो विधान सभा में दूसरे सदस्य को बोलने न दें, यह भी एक भ्रष्टाचार है, यह भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।...(व्यवधान)

सभापति : डॉ0 हंस राज जी, प्लीज। आप बोल चुके हैं और आपने अपना पक्ष रख दिया है। प्लीज, बैठ जाइए। डॉ0 हंस राज जी, प्लीज।

राजस्व मंत्रीः आप कम-से-कम सभापति का सम्मान तो कीजिए। आप इतिहास में सबसे बड़ा झूठ लिख रहे हैं तथा नेहरू जी और महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं। जब आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो हर कंट्री में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति लगी होती है, वहां जाकर आपके विश्वगुरु दंडवत प्रणाम करते हैं और वहां गांधीवादी बनते हैं। हिंदुस्तान में आते हैं तो हिटलर बन जाते हैं। वे हिंदुस्तान के अंदर हिटलरवादी बन जाते हैं और बाहर विदेशों में जाकर गांधीवादी बन जाते हैं। यह भी भ्रष्टाचार है। मैं विचारों के भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। इतिहास को अपने हिसाब से लिखना भी भ्रष्टाचार है। मैंने इतने सारे भ्रष्टाचार तो गिना दिए हैं। आप कहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुई। यहां श्री विपिन सिंह जी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा भ्रष्टाचार करें क्योंकि हम यहां बैठे हुए थे ताकि इसे रोक सकें। क्या ये ऐसा कर सकते थे? ...(व्यवधान) यह वोट चोरी है ...(व्यवधान) एस0आई0आर0 के समय 2003 में हुआ। ...(व्यवधान)

Chairman: Please, please don't disturb. ...(Interruption) Shri Rakesh Jamwal ji, please. ...(Interruption) Please, please don't disturb.

राजस्व मंत्री : हमारे बिहार और बंगाल के 13 करोड़ वोटर्स बाहर निकाल दिए। क्या वे 13 करोड़ लोग घुसपैठिए थे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर न कोई घुसा और न कोई घुसेगा, फिर ये 13 करोड़ लोग कहां से घुस गए? ये 13

करोड़ कौन हैं? ...(व्यवधान) हमारी पूरी सेना बॉर्डर पर है और उसकी कमांड बी0जे0पी0 के पास है। इनके विश्वगुरु हैं और अगर हम अपने नेता को योद्धा कहेंगे तो क्या दिक्कत है? वे तो वॉरियर हैं। आप तो विश्वगुरु हैं ही नहीं फिर भी विश्वगुरु कह रहे हैं। किस चीज

के विश्वगुरु? गटर में से गैस निकालने वाले विश्वगुरु? आप बताइए। ...(व्यवधान) मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आप ताली, थाली और घंटा बजाकर कोविड खत्म कर दोगे, यह विश्वगुरु हैं आप? आप बताइए, आप किस किस्म के विश्व गुरू हैं? क्या आपने ताली, थाली, घंटा नहीं बजाया? सबसे पहले आप थाली बजा रहे थे, थाली भी तोड़ दी, वह भी मुफ्त की थाली थी। सभापति महोदय, ये विश्वगुरु कैसे बन गए? सर, झूठ बोलना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है।

Chairman : Dr. Hans Raj ji, please ...(Interruption) Dr. Hans Raj ji, please let him complete. ...(Interruption) Let him complete. आपको इसके लिए टाइम देंगे। Let him complete. ...(Interruption) Please, please don't disturb.

राजस्व मंत्री : आप बताइए कि आपने ताली नहीं बजाई? ...(व्यवधान)

Chairman : Please, Hon'ble Member Dr. Hans Raj ji, let him complete. ...(Interruption) आप लोगों के यहां से सभी लोग बोले हैं। जो यह बोल रहे हैं, उसको आप लोगों ने काट देना। अभी तो आप लोगों की लंबी लिस्ट है, नेता प्रतिपक्ष जी और टाइम मांग रहे हैं। Let him complete. ... (Interruption) Let him complete. डॉ0 हंस राज जी, प्लीज बैठिए। डॉ0 हंस राज जी, आप प्लीज बैठिए। ...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : आप इस माननीय सदन में कसम खाओ। ...(व्यवधान)

सभापति : आप अपना नाम भेजो, आप उसमें बोल देना। यहां जो लिस्ट दी गई है उसमें आपका नाम ही नहीं है। आप बाद में बोल देना। Let him complete. ...(Interruption)

राजस्व मंत्री : आप कसम खाओ, भारत माता की जय कहो। बोलो, आपने भारत माता के नाम पर ताली नहीं बजाई, थाली नहीं बजाई, घंटी नहीं बजाई?

एन0एन0 द्वारा .... जारी

18-11-2026/1435/NS-YK/1

सभापति : ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। प्लीज वाइंड-अप कीजिए। Hon'ble Member Shri Trilok Jamwal ji, please don't disturb. माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप कीजिए। ...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, मुझे केवल दो मिनट और दीजिए। ...(व्यवधान) कोविड के समय भ्रष्टाचार हुआ। हमने सोचा था कि वैक्सीन लगवाने से हम सब सुरक्षित हो जाएंगे लेकिन उसमें भी धांधली की गई। वैक्सीन के साथ विश्वगुरु का फोटो भी लगा दिया गया। हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में कितने नौजवान बे-मौत मारे गए। आज यह साबित हो रहा है कि फाइजर कंपनी हो या कोविड की दूसरी जो भी वैक्सीन लगाई गई थी वह टैस्ट ही नहीं की गई थी। उसमें भी धांधली हुई और अरबों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी यह सब उस समय हुआ जब इनकी सरकार थी। पी0पी0ई0 किट जो 250-300 रुपये में मिलती थी उसे हजारों रुपये में खरीदा गया। सैनेटाइजर नया-नया चलन में आया था कि इसे हाथों में लगाएं। 15-20 रुपये के आसपास मिलने वाले सैनेटाइजर को भी इन्होंने 250-250 रुपये में बेचा। उसके क्या कारण था। ...(व्यवधान) क्या आपने 250 रुपये का सैनेटाइजर यूज नहीं किया? इन लोगों को स्पैशल बैग दिए गए थे। हमें वह नहीं मिलता था और ये स्पेशल झोला लेकर बांटते थे। कोविड जैसी महामारी के समय भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

जब कारगिल में युद्ध हुआ और 500 लोगों की जानें चली गईं तब भी इन्होंने कफन और बूट तक में पैसे खाए। हमारे पास इसकी भी जानकारी है। आपको इसमें क्या दिक्कत है? क्या आपको भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है? मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। आप भी इसके खिलाफ हैं और मैं भी इसके खिलाफ हूं। आइए, मिलकर इसके खिलाफ लड़ते हैं। आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के चक्कर में क्यों हैं? आपने और मैंने तो यह सब नहीं किया है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिन्होंने किया है उन्हें कार्रवाई का सामना करने दीजिए। ...(व्यवधान) दूसरी बात यह है कि ये क्यों छाए हुए हैं? इन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया है। उसमें नाम प्रधानमंत्री का है और उसमें हमारे देश के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी उसके सदस्य हैं। जब हमने आर0टी0आई0 में पूछा कि इस फंड में कितना पैसा आया और उसका कहां-कहां उपयोग हुआ तो जवाब दिया गया कि यह

प्राइवेट फंड है। यह कैसे हो सकता है? यह भी भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री केयर फंड में भी अरबों रुपये का भ्रष्टाचार

18-11-2026/1435/NS-YK/2

हुआ और उसके तहत ...(व्यवधान) आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर आए और वे वेंटिलेटर खराब हो गए। यह तो इनकी कारगुजारी है। फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया। अब आप यहां कह रहे हैं कि गायनी में मेल को फीमेल के पार्ट्स आ गए। अब आप बताइए कि वह कैसा ऑपरेशन हुआ? कैसे हुआ? ...(व्यवधान) आपको पता है कि यह कैसे हुआ? उसमें तो आप माहिर हैं। ...(व्यवधान)

सभापति : डॉक्टर साहब जब बोलेंगे तब बताएंगे। Please wind-up, please. ...(Interruption) Please don't disturb.

राजस्व मंत्री : सर, इनका झूठ क्यों बिक रहा है? एक ईमानदार व्यक्ति ने कहा है कि "You can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time." इनके भी दिन आने वाले हैं। दिल्ली में भी आ रहे हैं और यहां भी आ रहे हैं। ये सब जगह जाने वाले हैं क्योंकि इनके इतिहास में वर्ष 1925 से लेकर आज तक देखें तो ये झूठ के सहारे ही रहे हैं। इन्होंने पूरी-की-पूरी हिस्ट्री झूठ बताई। इन्होंने आजादी की लड़ाई में भी झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हम थे लेकिन ये नहीं थे। इनके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसका नाम ये ले सकें कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। हमारे पास तो लाखों लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी और इस संविधान को बनाने में अपनी कुर्बानी दी। मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठ

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.11.2026/1440/RKS/वाईके-1

राजस्व मंत्री.... जारी

इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। लेकिन आज हिंदुस्तान में यह जज्बा राहुल गांधी ला रहे हैं और हम झूठ को बिकने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल लोग झूठ बोलकर शर्मिंदा नहीं होते हैं। इन्हें शर्म तक नहीं आती। इन्होंने ताली, थाली और घण्टी बजाई लेकिन फिर ये कहते हैं कि हमने नहीं बजाई। इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। ये झूठ बोलकर बेगुनाहों को गुनहगार बना देते हैं। यही इनकी एक बड़ी खूबी है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय नेता प्रतिपक्ष इस चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, जो नियम-67 के अंतर्गत चर्चा दी गई है, उस चर्चा का विषय यह है कि 'आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार के हाथों बिकता हिमाचल' - 'हिमाचल ऑन सेल'। मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि सत्तापक्ष की ओर से एक वरिष्ठ मंत्री बोल रहे हैं और उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिनका इस पूरे विषय से कोई लेना-देना ही नहीं है। वे कहां राफेल में पहुंच गए, कहां राम मंदिर में पहुंच गए और कहां थाली बजाने की बात करने लगे। ...(व्यवधान) शायद राम मंदिर की बात आपसे छूट गई होगी। क्या आप इस पर दोबारा बोलना चाह रहे हैं? हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यदि पहली बार कोई माननीय सदस्य सदन में बोल रहा है और वह विषय पर नहीं बोल पाया तो यह समझ में आता है लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल इतने वरिष्ठ नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि कम-से-कम वे विषय पर तो बोलें। माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रखते हुए सबसे पहले कहा कि हम कागज पलटते रहे। हां यह ठीक है कि हमने कागज में तथ्य ढूंढते हुए अपनी बात कही है। सबसे बड़ी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि कल हमने यहां भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर आरोप तथ्य सहित लगाए थे। उसके बाद सरकार के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को कल से यह कहा जा रहा है

कि अंदर की इंफोर्मेशन विपक्ष तक कैसे पहुंची? इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं कि अंदर की बातें अंदर ही रहनी चाहिए थीं तो वे विपक्ष तक कैसे पहुंच गईं? इसका मतलब है कि हमने सरकार की नब्ज ठीक पकड़ी है। हमने जो बातें कही हैं, वे तथ्यों के आधार पर कही हैं। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस सरकार का चौथा वर्ष पूरा होने जा रहा है। आपके चार वर्ष बीत चुके हैं। मैं विशेष तौर पर इंडस्ट्रियल पैकेज के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे इस विषय पर थोड़ा ध्यान दें। पूरे देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने अपने-अपने प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नियमों और निर्धारित नीति के अनुसार कस्टमाइज्ड पैकेज न दिए हों। पूर्व में चाहे हमारी सरकार रही हो या आपकी सरकार, इस प्रदेश में भी उद्योगों को नियमों और नीति के मुताबिक पैकेज दिए गए हैं। इसके बावजूद आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जमीन दे दी गई। आप पिछले चार वर्षों से लगातार यही गीत गाए जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि यह निर्णय गलत था तो पहले ही वर्ष में आप इसे रद्द कर देते। लेकिन आप इसे रद्द नहीं कर पाए। आपने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्वीकृति को रद्द किया। लेकिन सच्चाई यह है कि उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें प्रदेश में आकर्षित करने के उद्देश्य से जो जमीन दी गई थी उसे लेकर अब यह कहा जा रहा है कि इस जमीन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। अब मैं आपको वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए जाने थे। पूरे देश में केवल 3 मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किए गए थे और उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला था। लेकिन इन्होंने कहा कि हम यहां मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित नहीं करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से 30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जिन्हें वापस कर दिया गया। जो जमीन मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए दी गई थी उसकी प्लॉटिंग की जा रही है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1445/बी.एस./ए.एस.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

प्लॉटिंग करने के बाद उस जमीन को बेचा जा रहा है। सवाल यह है कि वह जमीन किसको बेची जा रही है? किस व्यक्ति को बेची जा रही है और किस रेट पर बेची जा रही है? इसमें क्या पारदर्शिता रखी गई है? यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। (***) यही इनकी मंशा थी। यदि मेडिकल डिवाइस पार्क की तरह दूसरा कस्टमाइज्ड पैकेज दिया है यदि वह जमीन भी इनके हाथ लग जाती तो ये उस जमीन के प्लॉट काटकर बांटते और बेचते। जिस तरह रियल एस्टेट में काम करने वाले प्रमोटर जमीन की प्लॉटिंग करके बेचते हैं उसी तरह इनकी मंशा भी प्लॉट बनाकर बेचने और पैसा कमाने की थी लेकिन वह जमीन इनके हाथ से निकल गई। यदि आपको वास्तव में लगता है कि कस्टमाइज्ड पैकेज नियमों और पॉलिसी के मुताबिक नहीं दिया गया है तथा उसमें कोई गलत निर्णय हुआ है तो उसे रद्द कीजिए। आप चार साल से क्या कर रहे हैं? केवल आरोप लगाते जा रहे हैं। आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। पूरे देश में कोई-न-कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसने इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज न दिया हो। आप उत्तर प्रदेश में जाइए। तेलंगाना में आपकी सरकार है। वहां जाकर देखिए कि किस प्रकार कस्टमाइज्ड पैकेज दिए जा रहे हैं। आप कर्नाटक में जाइए जहां आपकी सरकार है। वहां भी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए किस तरह के कस्टमाइज्ड पैकेज दिए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में हमने नियमों के मुताबिक कस्टमाइज्ड पैकेज दिया है। यही प्रक्रिया श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय भी अपनाई गई थी। इसी प्रकार आदरणीय धूमल जी की सरकार के समय भी कस्टमाइज्ड पैकेज दिए गए थे। ऐसे में बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं है।

झूठ बोलने की आदत कहां से शुरू हुई है? इसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्य मंत्री से हुई है। आप सदन में सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे मैं हैरान हूं कि मुख्य मंत्री इस माननीय सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं?

18.11.2026/1445/बी.एस./ए.एस.-2

सचमुच यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि सदन की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। थोड़ा आत्मचिंतन तो करें। आने वाली जनरेशन जब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के इतिहास को देखेगी और यह अध्ययन करेगी कि यहां कौन-कौन से लोगों ने किस विषय पर क्या-क्या कहा था तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? यह सदन की गरिमा का विषय है और हम सभी का दायित्व है कि इसे बनाए रखें। सभापति महोदय, इन सभी विषयों को लेकर हमने कल भी अपनी बात रखी थी। आपके पास सभी फैक्ट्स उपलब्ध हैं और आप गवर्नमैंट में हैं। इसलिए आप प्रत्येक विषय की जानकारी हासिल करिए। हमने हेल्थ सैक्टर को लेकर बात रखी है। हमने इंडस्ट्री सैक्टर और एजुकेशन के ऊपर अपनी बात रखी है। हमने प्रत्येक सैक्टर में जहां हमें गलत लगा वहां अपनी बात रखी है।

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, आपने माननीय मंत्री जी को यहां बोलने का अवसर दिया। लेकिन जिस विषय पर चर्चा हो रही थी उस पर सही मायने में उन्होंने कितना समय बोला है? मुझे इस बात को लेकर दुख है। आप विषय पर बोलिए आप बोलिए और हमारी बातों का विरोध कीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस तरफ हैं और आप उस तरफ हैं। आप अपनी बात रखिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को तार-तार कर दें, यही मेरा कहना है।

सभापति : ठाकुर साहब ने जो यह शब्द कहा है कि (***) इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है यह अलग चीज है। राजस्व मंत्री जी आपनी बात रखेंगे।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, मुझे एक बार फिर बोलने का अवसर मिल गया है। अभी यहां श्री विपिन सिंह परमार साहब ने कई रजिस्ट्रियों के बारे में जिक्र किया है। कांगड़ा में एयरपोर्ट के नजदीक जमीन के मामले में चार एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं। जैसे ही यह मामला हमारे ध्यान में आया तो इसे विजिलेंस को सौंप दिया गया। एक मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी भी इम्प्लीड किए गए हैं। इसलिए इसमें जो भी वायलेशन हुआ है उस पर केस चल रहा है। इसके बाद बड़ा हल्ला मचाया गया कि

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

18.11.2026/1445/बी.एस./ए.एस.-3

यहां से ऊपर तक पूरा पहाड़ बिक गया है। अब यदि हिमाचलियों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? बड़े बंगाल में पिछले चार वर्षों में कुल 31 रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसमें लगभग साढ़े छह हैक्टर जमीन थी और कुल संपत्ति की अमाउंट 1.75 करोड़ रुपये थी। इसी तरह छोटे भंगाल में पिछले चार वर्षों में केवल दो रजिस्ट्रियां हुई हैं। ये दोनों भी हिमाचलियों के बीच आपसी लेन-देन के तहत हुई हैं। इसे आप कैसे भ्रष्टाचार कहेंगे? इसलिए इस तरह सनसनी फैलाना गलत बात है। एक बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है कि अभी हमने सदन में जो विषय रखे हैं उनमें सभी ने नियम -67 के अलावा अन्य विषय उठाए हैं। सबसे पहले आप कल का इनका भाषण निकलवा लीजिए और देख लीजिए कि इन्होंने किन-किन विषयों पर भ्रष्टाचार के अलावा बात की है।

इसके बाद इनके पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनमें से कोई सी0बी0एस0ई0 में चला गया तो कोई धुआं निकालने में भी चला गया। उस लकड़ी से धुआं ज्यादा निकला। कोई किसी अन्य विषय पर चला गया। इस तरह की पासिंग रिमार्क्स तो सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही करते हैं। इसमें हमारी कोई गलत मंशा नहीं है। अभी यहां कस्टमाइज्ड पैकेज की बात की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह इंडस्ट्री आई कहां से? बताइए कि यह श्रीयुक्त किनवन प्राइवेट लिमिटेड है इसे 300 बीघा जमीन दी गई। इसके बाद आप बल्क को छोड़ दीजिए।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1450/DT/AG/01

राजस्व मंत्री जारी...

मैं चलो एक बात मान लेता हूं कि आप बल्क ड्रग पार्क के प्रोजैक्ट को प्रदेश में लेकर आए लेकिन बाकि सभी को डक क्यों कर दिया आपने? यहां पर श्रीयुक्त कम्पनी है, एमिनिशन

प्राइवेट लिमिटेड है, इस का भी कुछ काम नहीं हुआ। श्रीयुक्त इंडो फार्मा इसका भी कोई काम नहीं हुआ। इसमें से एक तो अंदर भी चला गया जो कस्टमाइज है। मेरा यह कहना है कि कस्टमाइज के नाम से 118 में फटाफट परमिशन दे दो ताकि प्रदेश को राजस्व तो प्राप्त हो। यहां तो इण्डस्ट्रीज को पैसे भी हम दे रहे हैं, पानी भी हम दे रहे हैं, बिजली भी हम दे रहे हैं, फिर भी वे नहीं आ रहे। इसमें मेरा इतना ही कहना है।

सभापति : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हो। चलिए आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, माननीय जयराम जी ने कल भी मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में जिक्र किया था और मैंने उन्हें इस संबंध में विस्तृत रूप से जवाब भी दिया है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी तक कोई भी लैंड अलॉट नहीं की गई है। हां, तैयारी तो की जा रही है लेकिन आप ही बताएं कि हमें किस तरह से उसे अलॉट करना है, यह हम आपसे पूछ लेंगे? ...(व्यवधान) नहीं देखिए, बात ऐसी है कि जो दलाल है उनका काम है बोलना, आपकी सरकार के समय भी ऐसा ही करते थे और हमारी सरकार के समय में भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी तक एक भी प्लॉट नहीं दिया गया है। हमने प्लॉट आवंटित करने के लिए पैरामीटर निर्धारित किए हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी इंप्लॉयमेंट होगी तथा रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा क्योंकि हम इसे एक रुपये में नहीं देंगे, हम इसे मार्केट रेट पर देंगे, नहीं तो हम इसे ऑक्शन के आधार पर आवंटित करेंगे। यदि आपको लगता है कि इन्हें यह प्रोसिजर अपना लेना चाहिए तो आप हमें वह प्रोसीजर बता दीजिए हम वह अपना लेंगे। लेकिन वह प्रोसिजर ऐसा होना चाहिए जिसमें पारदर्शिता

हो। इसलिए आप बार-बार ऐसी बात न कहें क्योंकि मेडिकल डिवाइस पार्क में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं इस सदन में कह रहा हूं कि जो भी होगा वह पारदर्शिता के साथ होगा।

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, पिछले कल जो आदरणीय बिक्रम सिंह ठाकुर जी, श्री सुधीर शर्मा जी, डॉ0 हंस राज जी द्वारा नियम-67 के अंतर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, नियम-67 का विषय था कि "आकंठ डूबी वर्तमान सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को बेचना"। इस विषय पर हमारे साथियों ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। मैं कल से देख रहा हूं कि सत्तापक्ष की ओर से जो भी वक्ता बोल रहे हैं वे हमारी तरफ से लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की बजाय इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। आज नेगी जी ने जो भाषण दिया है वह इसका स्पष्ट उदाहरण है। इससे पहले कि मैं नियम-67 के विषय पर आऊं उससे पहले राजेश धर्माणी जी और श्री जगत सिंह नेगी जी ने जो बातें कही हैं, उनका जवाब देना भी आवश्यक समझता हूं। श्री राजेश धर्माणी जी ने चर्चा के दौरान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी तक कर दी हालांकि वे उनका नाम नहीं ले पाए। धर्माणी जी इस समय सदन में नहीं है लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व जमानत पर है और वर्तमान नेतृत्व जमानत पर है, भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है। आप नाम नहीं ले पाए लेकिन मैं उनका नाम लूंगा। (***)मामले में जमानत पर हैं। आप हमारे नेताओं पर आरोप लगाएंगे? ...(व्यवधान) हम बोलें तो वह ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। अभी तो शुरुआत हुई है। ...(व्यवधान)

सभापति : सदन की कार्यवाही से ये तीनों नाम डिलीट कर दिए जाएं। ...(व्यवधान) बाई नेम पहले भी किसी नहीं कहा इसलिए आप भी रहने दो। ...(व्यवधान)

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

18.11.2026/1450/DT/AG/03

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, धर्माणी जी बोले थे और जो उन्होंने बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं धर्माणी जी का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) अभी तो मैंने पहली ही लाइन बोली...(व्यवधान)

Chairman : It will not be a part of the recored. माननीय सदस्य आप नियम-67 पर बोलो।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, मेरे पास इनके नेताओं के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

18.11.2026/1455/ए.एस.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा..... जारी

...(व्यवधान) अभी तो शुरूआत हुई है।...(व्यवधान)

सभापति : कार्यवाही में से तीनों नाम विलोप कर दिए जाएं।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी ने भी नाम लेकर नहीं बोला है, इसलिए आप भी रहने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, इन्होंने जो बोला है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं।...(व्यवधान) माननीय श्री राजेश धर्माणी जी बोले हैं, मैं उनका जबाव दे रहा हूं। ...(व्यवधान) पहली लाइन बोली है।...(व्यवधान)

Chairman: Please be seated. The three names mentioned by Shri Randhir Sharmaji in the House will not be part of the record.

श्री रणधीर शर्मा : ठीक है, सर।

सभापतिः माननीय सदस्य, आप नियम-67 पर बोलिए।...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, मेरे पास इनके नेताओं के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है।

सभापति : माननीय सदस्य, ऐसे तो दोनों पार्टियों के नेताओं के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। आप अपने नियम-67 पर बोलिए। आप हिमाचल प्रदेश के ऊपर अपनी बात रखिए।

श्री रणधीर शर्मा : मैं सत्तापक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि दिनांक 16-11-2026 को आपके राष्ट्रीय नेता ने अपनी माताजी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान क्या भाषण दिया, जरा वह भी सुन लेना।...(व्यवधान)

18.11.2026/1455/ए.एस.-एन.जी./2

हमारे श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा कर रहे थे...(व्यवधान) दे देना।...(व्यवधान) मैं हिमाचल पर आ रहा हूं लेकिन आप स्वयं राष्ट्रीय स्तर की बातें करते रहें। आपने अडानी-अंबानी की बात की, उनके लोन की बात की...(व्यवधान) अरे भाई, सुन तो लो।...(व्यवधान) वह तो केन्द्र सरकार का मामला होगा, है या नहीं, मैं नहीं जानता। परंतु आपकी सरकार के समय तो हिमाचल के कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत कांग्रेस नेताओं को फायदा पहुंचाया गया। ये आरोप यहां पर लगाना चाहता हूं।...(व्यवधान) आपके नेता, आपके पूर्व विधायक, आपके सांसद पद के उम्मीदवार, उनका वन टाइम सेटलमेंट के तहत आपकी सरकार ने लोन माफ किया। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान) वह गरीब लोगों के लिए है, राजनेताओं के लिए नहीं है। इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। श्री जगत सिंह नेगी जी कहते हैं कि हमने सिलेबस बदल दिया। आपका सिलेबस तो अकबर को महान बताता था, हमारा सिलेबस तो शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस को महान बताता है। यह आपके और हमारे सिलेबस में अंतर है।...(व्यवधान) आपने बोला है, मैं नहीं बोल रहा

हूं। मैं तो आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूं।...(व्यवधान) फिर इन्होंने कहा...(व्यवधान) सुनो, सुनो। फिर आपने कहा, हिमाचल में सदी का बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। ...(व्यवधान) आप बोलने तो दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति : प्लीज, प्लीज।

श्री रणधीर शर्मा : श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि सत्ता पक्ष तो भ्रष्टाचार करता है, इन्होंने यह मान लिया है, विपक्ष भी भ्रष्टाचार कर गया। 9 एम0एल0ए0 खरीद लिए। वर्ष 1980 में कांग्रेस ने हिमाचल में कितने खरीदे थे? उस समय पूरा विपक्ष दल बदल करके कांग्रेस में चला गया था। तब क्या हुआ था? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 1967 से वर्ष 1972 के बीच 90 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस सरकार ने इस देश में लगाया था।...(व्यवधान) आज आप हमें बता रहे हो।

18.11.2026/1455/ए.एस.-एन.जी./3

आज हमसे दल बदल की बातें करते हो। आपने कितनी सरकारों को तोड़ा है? दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांकिए। हमारे को पढ़ाने के बजाए अपनी पार्टी का इतिहास देखिए। इस देश में...(व्यवधान) आजादी से पहले का भी सारा जानते हैं। श्री जवाहर लाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी सात बार राष्ट्रपति शासन लगाकर विपक्ष की सरकारों को तोड़ने का काम किया है। आपकी इंदिरा गांधी जी ने तो 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुकी हैं। आपके राजीव गांधी जी तो छह बार राष्ट्रपति शासन लगा चुके हैं। नरसिंह राव जी ने 11 बार...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, आप प्रदेश के बारे में बोलिए। प्रदेश के बारे में और नियम-67 के बारे में बोलिए। आप कहां राष्ट्र पर पहुँच गए? समय-समय पर जो सरकारें होती हैं, उनके समय में क्या कुछ होता है, उसको क्यों आप बोल रहे हैं। आप नियम-67 में प्रस्ताव

लाए हैं, उसके बारे में बोलो। आप सरकार के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ...(व्यवधान) आप आरोप लगाओ, सरकार के ऊपर।...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : आ रहा हूं। अच्छा भी आ रहा हूँ, सारा निकल रहा है।...(व्यवधान) अवस्थी जी, चिंता ना करो।...(व्यवधान) अभी जवाब दिया, बस उतना सा ही हुआ, अभी ठीक आ जाएगा।...(व्यवधान) सभापति महोदय, नियम-67 का विषय भ्रष्टाचार है।

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1500/ए0एस0/ए0पी0/-01

नियम - 67 जारी .....

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

हमने शुरू से ही यह आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार के समय भ्रष्टाचार का केंद्र कहीं और नहीं, बल्कि मुख्य मंत्री कार्यालय है। यह आरोप हमने बाद में नहीं लगाया था। सबसे पहले उसी कार्यालय के एक कर्मचारी ने पत्र लिखा था कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी मुख्य मंत्री कार्यालय आए थे और वहां 25 लाख रुपये का अटैची देकर गए थे। हमें भी लगा कि यह एक गुमनाम पत्र है और इसमें लिखी बातों में सच्चाई नहीं होगी। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी 88वीं बोर्ड मीटिंग में मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को कई लाभ दिए तो हमें इस पत्र में लिखी बातों पर विश्वास होने लगा। कंपनी पर देरी के लिए जो 162 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता था, उसे माफ कर दिया गया। साथ ही 65 दिनों की समय अवधि बढ़ाकर एक्सटेंशन दे दी गई। इसी कंपनी के लिए मलबा हटाने के रेट भी रिवाइज कर दिए गए। पहले मलबा हटाने का रेट 67 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर था। जिसे बढ़ाकर 88 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर कर दिया गया। इसके अलावा मलबे की मात्रा भी 1 लाख 74 हजार क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 3 लाख 74 हजार क्यूबिक मीटर कर दी गई। जब एच0पी0सी0सी0एल0 की बोर्ड मीटिंग में पटेल कंपनी को ये सारे लाभ दिए गए तो हमें लगा कि उस पत्र में जो लिखा गया था, वह वास्तव में सत्य था। इस बात पर मोहर

आपकी ही पार्टी के नेता, आपकी ही पार्टी के उपाध्यक्ष, आपके ही पूर्व संसदीय सचिव और आपके ही पूर्व विधायक ने यह कहकर लगा दी कि हर महीने पांच टैक्सियां मुख्य मंत्री कार्यालय जाती हैं। जिनमें से तीन दिल्ली जाती हैं और दो यहां रहती हैं। इस तरह उस आरोप पर मोहर लग गई। आज मैं कहना चाहता हूं कि एच0पी0सी0सी0एल0 के अधिकारी, जिनके बारे में आप कहते हैं कि पेखूबेला में कुछ नहीं हुआ और पेखूबेला का सोलर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है। उन्हीं अधिकारियों ने शोंगटोंग प्रोजेक्ट में पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाभ पहुंचाया था। उन्हीं अधिकारियों ने पेखूबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया। ये वही अधिकारी थे और बाद में उन्हें

18.11.2026/1500/ए0एस0/ए0पी0/-02

हटाया गया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जरा अपने कार्यालय की ओर भी देखें और वहां क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें। ये आरोप इसलिए और भी गंभीर हो जाते हैं, जब मुख्य मंत्री कार्यालय से जुड़े ऐसे काम सामने आते हैं। कल यहां चर्चा के दौरान हमारे आदरणीय श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी ने बताया कि हमीरपुर बस अड्डे का टेंडर पहले 37 करोड़ रुपये में अवार्ड हुआ था। बाद में उसकी लागत 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और दोबारा टेंडर भी नहीं लगाया गया। यह सब ऑन रिकॉर्ड है। इसके लिए और क्या प्रमाण चाहिए?जब आपने 42 करोड़ रुपये का टेंडर आमंत्रित किया था तो लोगों ने उसी हिसाब से अपनी निविदाएं भरी थी। यदि आपने पहले ही 200 करोड़ रुपये का टेंडर आमंत्रित किया होता तो शायद जो व्यक्ति 37 करोड़ रुपये में यह काम लेकर गया, उसे यह काम नहीं मिलता और कोई दूसरा व्यक्ति यह काम करता। लेकिन पहले 37 करोड़ रुपये में काम देकर बाद में उसकी लागत 200 करोड़ रुपये तक पहुंचा देना सरासर भ्रष्टाचार है। इसके लिए किसी अलग आरोप की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम उप-मुख्यमंत्री जी को बोलते रहे, वे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। हमें तो कल ही पता चला कि पहले बस अड्डे बनाने का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बस अड्डा अथॉरिटी करती थी। हमारे सवारघाट में भी बस अड्डा इसी बस अड्डा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बना है। लेकिन अब ये बस अड्डे जी0ए0डी0 बना रहा है। This is for the first time.

जी0ए0डी0 बस स्टैंड बनाने का काम कर रहा है। जी0ए0डी0 किसके अंतर्गत आता है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अंतर्गत आता है। जी0ए0डी0 न तो कभी टेंडर लगाता है और न ही कोई डेवलपमेंट का काम करता है। This is for the first time कि जी0ए0डी0 के माध्यम से इस तरह के भ्रष्टाचार का काम किया गया है। जहां तक संपत्तियां बेचने का सवाल है, हमने कहा था कि आप पीटरहॉफ को बेच रहे हैं और उसे पी0पी0पी0 मोड (Public-Private-Partnership) पर दे रहे हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1505/AT/DC/-01

श्री रणधीर शर्मा जारी....

इस पर इन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। इन्होंने हमसे सबूत मांगा। सभापति महोदय, मैं इसका सबूत लेकर आया हूं। यह आपके ही उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), हिमाचल प्रदेश सरकार का पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है 'Regarding reconstruction of existing building of State Guest House Peterhof on PPP mode'. अब क्या इसके लिए भी किसी और सबूत की आवश्यकता है? आप इसे जहां रखना चाहें रख लें।

इसके बाद हमने आप पर आरोप लगाया कि हिमाचल निकेतन को भी...(व्यवधान) सर, जब हमने पी0पी0पी0 मोड की बात कही तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूछा कि पी0पी0पी0 मोड पर देने की बात कहां कही गई है हमें दिखाइए। मुख्य मंत्री जी की ओर से सबूत मांगा गया और हमने वह सबूत भी प्रस्तुत कर दिया। हिमाचल निकेतन की बात आई। अभी इसे देने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 150 कमरों के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आप बताइए कि एक कमरे पर कितना खर्च आया है? हमें थोड़ी पता है कि ठेकेदार ने कितनी राशि किस तरह और कितनी किस्तों में ली है। लेकिन यदि 150 कमरे बनाने पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे तो क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा? क्या एक कमरा डेढ़ करोड़ या सवा करोड़ रुपये में बनता है? आप बताइए कि किस प्रकार के कमरे बनाए जा रहे हैं? आप भ्रष्टाचार के सबूत

मांगते हैं जबकि भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह चर्चा लाई गई है क्योंकि ये मामले अत्यंत गंभीर हैं।

इसके बाद आपने कहा कि हम कोई होटल निजी हाथों में नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपकी ही अधिसूचना इसका प्रमाण है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 14 होटलों को O&M (Operation and Maintenance) basis पर निजी हाथों में दिया जा रहा है। यह आपकी ही अधिसूचना है, जिसका विषय है 'Regarding running units of HPTDC on O&M (Operation and Maintenance) basis'. यह 23 अक्टूबर, 2025 का पत्र है। इसके संबंध में विज्ञापन भी जारी किया गया है। अब आप ही बताइए कि हम आपको और कौन-सा सबूत दें?

18.11.2026/1505/AT/DC/-02

जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कहा गया कि चलिए 14 में से कुछ होटल अपने पास रख लेते हैं लेकिन 8 होटलों को तो निजी हाथों में देना ही है। उन 8 होटलों के संबंध में विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार यदि HPTDC की ही बात करें तो नादौन में एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। क्योंकि आप बार-बार सबूत मांगते हैं इसलिए मैं अभी यह नहीं कह सकता कि इसके लिए किसकी जमीन ली गई और उसे कितनी राशि का भुगतान किया गया। लेकिन समय आने पर यह जानकारी भी अवश्य सामने रखेंगे। उस जमीन को पर्यटन विभाग को देने की प्रक्रिया में भी अपने आप में घोटाला है।

इसके अतिरिक्त, इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा करवाया जा रहा है। इसका टेंडर बहुत कम राशि का हुआ था लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर साढ़े 27 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह विधान सभा के भीतर का ही जवाव है। साढ़े 27 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस कॉम्प्लेक्स का काम अभी चल रहा है। पता नहीं यह काम कहां तक पहुंचेगा और इसकी लागत आगे कितनी बढ़ेगी।

सभापति महोदय, कल हमारे साथियों ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में घोटाले का मुद्दा उठाया। इस पर माननीय उप- मुख्यमंत्री जी तैश में आ गए और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बात बिल्कुल सीधी है। जब आपने बसें ट्रायल के आधार पर खरीदनी थीं तो पहले उनका ट्रायल तो ले लेते। बसें आकर खड़ी हो गईं लेकिन आपने उनका ट्रायल नहीं लिया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर सीधे रूटों पर भेज दिया। अब जब वे बसें रूटों पर खड़ी हो रही हैं तो लोग क्या कहेंगे?

जब माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को लगा कि मामला गंभीर है तो उन्होंने स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे बसों की खरीद के लिए गठित परचेज कमेटी में शामिल ही नहीं हैं।....(व्यवधान) आपने कल सदन में स्वयं कहा कि आप परचेज कमेटी में नहीं हैं। हमारी आपके प्रति सहानुभूति है। आपको बस अड्डे बनाने की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया और बसों की खरीद की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी....

18.11.2026/1510/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री रणधीर शर्मा..... जारी

इसके बावजूद भी आप मंत्री क्यों बने बैठे हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। जो मुकेश अग्निहोत्री कभी होता था, अगर वह आज होता तो आज ऐसी असहाय स्थिति में उप-मुख्य मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते।

सभापति महोदय, बस खरीदने के लिए एक परचेज कमेटी बनाई गई। यह कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, मैं आपको बताना चाहता हूं। सामान खरीदने के लिए अलग परचेज कमेटी बनाई गई है और बसें खरीदने के लिए एम0डी0 की अध्यक्षता में अलग कमेटी बनाई गई है। श्री मलेन्द्र राजन जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम पहली बार यह सुन रहे हैं, तीसरी बार एम0एल0ए0 बन गए हैं कि परचेज कमेटी में नॉन-ऑफिशियल मेंबर शामिल किए गए हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा सुना है? श्री अनिल शर्मा जी बहुत समय से सरकारों में और राजनीति में रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं क्या डिजर्व करता हूं और क्या नहीं करता हूं, उसे छोड़िए। लेकिन इन नॉन-ऑफिशियल मेंबर्स को क्यों

शामिल किया गया, यह तो पूछिए। आप तो इलेक्टिड एम0एल0ए0 थे। आपको शामिल करते तो बात समझ आती। मुकेश जी को तो पूछा भी नहीं गया। उन्हें तो चेयरमैन होना चाहिए था लेकिन वे मेंबर भी नहीं रहे। इसमें पहला मेंबर अनुराग शर्मा था, कौन अनुराग शर्मा? जिसको आज राज्य सभा का टिकट दिया गया। दूसरा मेंबर अनिल कपिल था, जो राज्य सभा में एम0पी0 बन गया। अनुराग शर्मा जी को यह इनाम दिया गया क्योंकि उन्होंने बसें खरीदने में कमाई करके दी और अटैची दी। अटैची क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो अटैची दी उसके बदले उनको राज्य सभा का टिकट अटैची के रूप में मिल गया। अब हमारे श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी बहुत परेशान हैं। वे विधान सभा और जनसभा में बोल चुके हैं कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। कल तो उन्होंने यहां तक कहा कि कुल्लू वाले क्या बाजा बजाने के लिए हैं? श्री सुंदर सिंह जी, आप कुछ भी बोल लें। जब तक अटैची नहीं जाएगी तब तक आप मंत्री नहीं बनेंगे। ...(व्यवधान) आपने सामान के लिए स्टोर कमेटी बनाई। उसमें बिलासपुर के 2 कांग्रेसी मित्रों को मेंबर बना दिया। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जो कमेटियां

बना रहे हैं उनमें खास तौर पर परचेज कमेटियों में नॉन-ऑफिशियल मेंबर के रूप में कांग्रेसियों और मुख्य मंत्री जी के मित्रों को शामिल करके घोटालों को अंजाम दे रहे हैं।

सभापति महोदय, अब मैं मार्केटिंग बोर्ड की बात तथ्यों के साथ करना चाहता हूं। मार्केटिंग बोर्ड का भवन हमने बनाया था। श्री जय राम ठाकुर जी ने वर्ष 2022 में उसका उद्घाटन किया था। उस नए भवन की रिपेयर की जरूरत क्यों पड़ी? उस नए भवन की रिपेयर के लिए ही आप लोगों ने लगभग 20 लाख रुपये का टेंडर कर दिया। पुराने भवन के लिए टेंडर किया गया और फिर उसी राशि को बढ़ाकर 94 लाख रुपये तक कर दिया गया। उसी टेंडर को एक्सटेंड कर पुराने भवन का काम भी उसी को दे दिया गया। टेंडर एक्सटेंड करने का यह नया सिस्टम हमने अपनी सरकार के दौरान नहीं देखा है।

सभापति महोदय, यह मार्केटिंग बोर्ड माननीय मंत्री, श्री चंद्र कुमार जी के अधीन आता है। वे बुजुर्ग हैं और उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कई बार लिखकर दिया कि फाइल मेरे माध्यम से जाए लेकिन फाइल बायपास हो जाती है। मंत्री के पास फाइल जाती ही नहीं और सीधे सी0एम0 ऑफिस पहुंच जाती है।

सभापति महोदय, यहां 70 करोड़ रुपये का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। उसे साढ़े सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देना चाहिए था लेकिन साढ़े तीन करोड़ रुपये में दे रहे थे। हमने इसका विरोध किया। अब वह वहीं स्टैंडस्टिल है। 70 करोड़

एन0एन0 द्वारा .... जारी

18-11-2026/1515/NS-HK/1

श्री रणधीर शर्मा-----जारी

रुपये खर्च करने के बावजूद भी कोल्ड स्टोर में कुछ नहीं हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसा ही है न? फिर आपने पराला मंडी, शिलारू और टूटू में 70 दुकानें बांटीं। सरकार जब भी कोई चीज बांटती है तो उसके लिए टेंडर, कोटेशन या विज्ञापन जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन 70 दुकानों के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। जिसे दुकानें देनी थीं उससे आवेदन लेकर कौड़ियों के दाम पर किराये पर दुकानें दे दी गईं। ...(व्यवधान) यह मामला स्पष्ट दिखता है कि आप आवेदन के आधार पर दुकानें दे रहे हैं तो उसमें वह मनमर्जी के रेट दे रहा है। आपने ऑक्शन तक नहीं रखी। फिर आप सम्पदा बचाने की बात करते हैं। आप सम्पदा बचा नहीं रहे हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश की सम्पदा लुटा रहे हैं। आज इस चर्चा के बीच मैं आप पर यह आरोप लगाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, फिर पी0डी0एन0ए0 की बात आई। अब पी0डी0एन0ए0 में कोई प्रूफ नहीं है। आज सुबह मुख्य मंत्री जी विनोद जी पर भड़क गए। अब हमारे पास तो रिकॉर्ड है कि पी0डी0एन0ए0 के फंड का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? मैं बताना चाहता हूं, वैसे मैंने यह बात बतानी नहीं थी लेकिन जब इन्होंने आज सुबह यह मुद्दा उठाया तो मुझे बताना पड़ रहा है। आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0डी0एन0ए0 के माध्यम से एक ऐसे

ठेकेदार को पैसा दे दिया जो सेंट्रल रोड फंड से एक सड़क बना रहा है और उसी ठेकेदार को अन्य कार्यों के लिए भी पैसा दे दिया। उसे सेंट्रल रोड फंड से 80 करोड़ रुपये मिले हैं और वह सड़क बना रहा है। आपने उसी सड़क पर डंगे लगाने के लिए भी उसे पैसा दे दिया। परंतु मैं इस विषय को इसलिए ज्यादा नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैंने इसे पिछले सैशन में उठाया था और मंत्री महोदय ने रोक दिया था। पैसा सैंक्शन हो गया था परंतु इन्होंने टेंडर नहीं होने दिए इसलिए मामला रुक गया लेकिन कोशिश भ्रष्टाचार की ही थी। अब मंत्री जी, यह जो हो रहा है इसे भी रोक लीजिए। आपका निर्णय था कि एक लाख रुपये से कम के कामों के लिए ऑफलाइन टेंडर होंगे। आपकी नोटिफिकेशन थी। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी जिसे आपने घटाकर एक लाख रुपये किया था ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। अब आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है कि इस सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। जैसे ही पी0डी0एन0ए0 का पैसा आया तो भ्रष्टाचार वाली आत्मा जाग गई और एक लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर पांच

18-11-2026/1515/NS-HK/2

लाख रुपये कर दिया गया। आज क्या हो रहा है? जो काम 15 लाख रुपये का है उसके भी तीन टुकड़े कर दिए जाते हैं और जो काम 10 लाख रुपये का है उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं फिर अपने ठेकेदारों को मनमर्जी के रेट पर काम दे दिए जाते हैं। ऐसे हालात हो गए हैं।

सभापति महोदय, यहां सत्ता पक्ष के साथी बड़ी पीठ थपथपाते हैं कि एक्साइज में हमने ऐसा कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि आपने एक्साइज में क्या किया है? पहले साल आपने बोलियां कीं, ठीक है। आपने ट्रांसपेरेंसी से काम किया तो हमने उस पर कोई उंगली नहीं उठाई। परंतु दूसरे साल आपने क्या किया? दूसरे साल आपने गड़बड़ शुरू कर दी। पहले छोटे-छोटे यूनिट्स को मिलाकर बड़े यूनिट्स बना दिए। सिरमौर में पांच यूनिट्स का एक यूनिट कर दिया, मण्डी में आठ यूनिट्स का एक यूनिट कर दिया, नूरपुर में पांच यूनिट्स का एक यूनिट कर दिया, चम्बा में 11 यूनिट्स का एक यूनिट कर दिया और बिलासपुर में भी पांच यूनिट्स का एक यूनिट कर दिया। इस तरह बड़े यूनिट्स बनाकर आपने बड़े ठेकेदारों को काम देने का रास्ता तैयार किया। आपने इसी उद्देश्य से

पहले ये यूनिटस बनाए। फिर आपने अपने चहेते ठेकेदारों का अधिकारियों के साथ तालमेल करवा दिया। ...(व्यवधान) एक्साइज तो मुख्य मंत्री जी के पास है।

सभापति महोदय, हालात यह हैं कि उस साल रात के अंधेरे में टेंडर हुए। ठेकेदारों को अगले दिन 11.00 बजे बुलाया गया जबकि एक ठेकेदार को रात 8.00 बजे बुलाकर उसी समय टेंडर डलवाया गया। अगले दिन जब बाकी ठेकेदार 11.00 बजे आए तो उन्हें 12.00 बजे बताया गया कि टेंडर डल चुका है। हमारे पास इसकी सारी जानकारी है जो आज यहीं से ली गई है। आपको चाहिए तो हम दे देंगे। यूनिट्स की जानकारी भी आपने ही हमारे विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में दी हुई है। ...(व्यवधान) बिल्कुल है। लेकिन क्या आपको विधान सभा पर विश्वास नहीं है? यह जानकारी विधान सभा से ही प्राप्त हुई है। इसके साथ पिछले साल क्या हुआ? बोलियां नहीं करवाई गईं बल्कि 10 प्रतिशत हाइक देकर ठेके दे दिए गए। आप भी आदरणीय जय राम ठाकुर जी की नीति पर आ गए। आपने फिर 10 प्रतिशत हाइक पर ठेके दे दिए

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.11.2026/1520/RKS/एचके-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

अगले साल फिर बोलियां लगाई गई और इस साल भी बोलियां लगाई गई। स्थिति यह हो गई है कि जो ठेकेदार पिछले 4- वर्षों से काम छोड़ चुके थे वे दोबारा ठेके लेने नहीं आए। आपको शराब की दुकानें सरकारी कर्मचारियों से चलवानी पड़ीं। सरकारी कर्मचारियों ने आपकी शराब की दुकानें चलाई। इसके बाद आपने एक हैदराबाद, तेलंगाना की एपीटको (APITCO) कंपनी को कुल्लू, मंडी और बिलासपुर के ठेके दे दिए। इस कंपनी से आपका क्या संबंध है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। परंतु जब अन्य ठेकेदारों से 25 से 50 प्रतिशत तक एडवांस लिया जाता था तो इस कंपनी से कितना एडवांस लिया गया यह मुझे बताया जाए। इस कंपनी ने उसके बाद कितना पैसा जमा करवाया यह भी बताया जाए। हिम्मत है तो इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए कि इस कंपनी ने आज तक सरकार को कितना

पैसा दिया है? यदि श्री संजय अवस्थी जी आप ऑन-लाइन सर्च करेंगे तो आपको इस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। यह कंपनी तकनीकी कार्य करती है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। आपका इस कंपनी से क्या संबंध है यह मुझे पता नहीं है। ...(व्यवधान) क्या हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार नहीं थे? क्या आज तक हिमाचल प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं चल रही थीं? इसके बावजूद आपने जो यह धंधा किया है उसके कारण निश्चित रूप से कई प्रश्नचिह्न खड़े हुए हैं। इसके अलावा आपने एक और बदलाव किया है। पहले शराब की बोतल पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) लिखा होता था। इससे अधिक कीमत पर ठेकेदार शराब नहीं बेच सकता था। अब आपने इसमें बदलाव करके मिनिमम सेल प्राइस (MSP) कर दिया है। यह न्यूनतम कीमत है और इससे अधिक कीमत पर जितनी मर्जी रेट पर शराब बेच सकते हैं। इस प्रकार आपकी सरकार ने आबकारी विभाग में लोगों को लूटने का धंधा बना दिया है। इसके बाद आप कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं और हम बड़े पाकदर्शी हैं। आपकी उपलब्धि क्या है? हमारी सरकार के समय वर्ष 2018-19 में राजस्व में 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी थी और वर्ष 2019-20 में 10 प्रतिशत से अधिक थी। जबकि आपकी सरकार के समय वर्ष 2025-26 में यह बढ़ोतरी केवल 2.63 प्रतिशत और वर्ष 2024-25 में 4.64 प्रतिशत रही है। यह आपका रिकॉर्ड है। आपने आबकारी विभाग की यह स्थिति कर दी है जबकि आप इस विभाग को लेकर बहुत दावे करते थे। इसके अलावा इस सदन में कई बार अधिकारियों की डाउटफुल

18.11.2026/1520/RKS/एचके-2

इंटीग्रिटी को लेकर चर्चा हुई है। शायद न्यायालय ने भी कहा है कि ओ0डी0आई0 की सूची में शामिल अधिकारियों को प्रमुख जिम्मेदारी वाले पद नहीं दिए जा सकते। हमने पहले भी कई बार कहा है कि आपकी सरकार को एक सेवानिवृत्त अधिकारी चला रहा है जिसे आपने एडवाइजर नियुक्त किया है। उनका नाम प्रमुखता से ओ0डी0आई0 की सूची में शामिल है। आपके दो मुख्य सचिव रिटायर्ड हो चुके हैं। ये दोनों ही अधिकारी ओ0डी0आई0 की सूची में शामिल थे। कल आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी के प्रश्न के उत्तर में आपने ही जानकारी दी है कि एक अन्य अधिकारी भी ओ0डी0आई0 सूची में शामिल हैं। उनका नाम श्री हरमिंदर सिंह बवेजा है जो डॉ0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी

विश्वविद्यालय, नौणी के वाइस चांसलर हैं। आपने स्वयं यह जानकारी दी है और उसके बावजूद आपने उन्हें वी0सी0 नियुक्त किया है। फिर आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। ...(व्यवधान) श्री संजय अवस्थी जी मैं तो आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। जब आप कहेंगे तो आप हमारी सरकार की बात कीजिए, हमने आपको कब मना किया है। ...(व्यवधान) वे उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना पूरा सेवाकाल यहीं नौकरी करते हुए बिताया है।...(व्यवधान) आपको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की निराधार बातें करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं नियम-67 के बाहर बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए। ...(व्यवधान) हमारा एक मामला बिलासपुर का भी है। लगभग 2 वर्ष पहले मुख्य मंत्री जी बड़े तामझाम के साथ वहां गए थे और घोषणा की थी कि गोविंद सागर झील में पर्यटन गतिविधियों को विकसित किया जाएगा और पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इसी उद्देश्य से मुंबई की तरफ से किसी ठेकेदार से संपर्क करके क्रूज लाया गया था। इस पूरे मामले में श्री राजेश धर्माणी जी की प्रमुख भूमिका थी। उस समय भी आरोप लगाए गए थे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

उस समय कहा गया कि कुछ लोग बिलासपुर को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। यहां तो पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्रूज एक महीने बाद कहां गया?

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री रणधीर शर्मा : आदरणीय धर्माणी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह क्रूज कहां गया? वह एक महीना भी नहीं चला और एक महीने बाद गायब हो गया। हम पिछले दो वर्षों से ढूंढ रहे हैं कि वह क्रूज आखिर कहां है? मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था

और स्वयं क्रूज में बैठे थे। प्रदेश में आज यह स्थिति है और फिर आप कहते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है।

अब ट्रेजरी की बात है। यह ठीक है कि हमारे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि कमीशन किसको दी गई और कितनी दी गई। लेकिन हमारे पास इसका प्रमाण जरूर है कि ट्रेजरी को हमने सैंक्शन दी है और एम0एल0ए0 फंड की सैंक्शन नहीं हुई है। ट्रेजरी में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग ने ठेकेदारों के बिल भेज रखे हैं लेकिन उन बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। परंतु सी0एम0 ऑफिस या फाइनेंस ऑफिस से फोन जाता है तो उन्हीं के बिल क्लियर होते हैं। उसी की पेमेंट क्लियर होती है जिसकी पेमेंट कम-से-कम करोड़ों रुपये में होती है। अब हम इसका क्या अर्थ समझें, ऐसा क्यों हो रहा है?

यदि पारदर्शिता रखनी है तो ट्रेजरी में पैसा दीजिए। जिसकी टोकन पहले आती है उसका भुगतान पहले होना चाहिए। जिसकी सैंक्शन की चिट्ठी पहले आती है उसे पहले पैसा जारी कर देना चाहिए। आपकी ट्रेजरी खाली पड़ी है। एम0एल0ए0 फंड की सैंक्शन की चिट्ठी तो आप जारी कर रहे हैं लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है। फिर आप कहते हैं कि महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने हैं। पिछले चार वर्षों से आप यही बात कह रहे हैं।

18.11.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-2

सभापति महोदय, इसी तरह मैं कुछ और विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। आदरणीय अनुरुद्ध जी यहां बैठे हैं। आदरणीय बिक्रम सिंह जी ने कल डस्टबिन की बात कह दी है। लेकिन पंचायतों में आपने अपने वेंडर बनाए हुए हैं। पहले हर पंचायत में ओपन टेंडर करके वेंडर निर्धारित किए गए थे। आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही उन वेंडरों को हटाकर ब्लॉक वाइज वेंडर बना दिए। इससे जितनी डवलपमैंट प्रभावित हुई वह अलग बात है। लेकिन यह समझ से परे है कि आखिर यह व्यवस्था क्यों बनाई गई है? पंचायतों में छोटे-छोटे लोग वेंडर का काम करते हैं और इंटरलॉकिंग टाइल्स की सप्लाई करते हैं। जब पूरे ब्लॉक में एक ही वेंडर होगा तो सभी काम उसी के माध्यम से होंगे।

हमने उस समय भी कहा था कि इस व्यवस्था को बंद किया जाए लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यदि पंचायत वाइज वेंडर निर्धारित होंगे तो पंचायत प्रधान का भी उन पर नियंत्रण रहेगा और समय पर सामान उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए वेंडर पंचायत स्तर पर ही रखे जाने चाहिए। ब्लॉक स्तर पर वेंडर बनाने की यह नई प्रथा शुरू नहीं करनी चाहिए। कल को कोई और सरकार आएगी तो वह कहेगी कि हम पूरे जिले का काम एक ही वेंडर को दे देते हैं। बाकी जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है और दिख रहा हैं लेकिन सबसे दुख का विषय तब होता है जब बेरोजगार नौजवानों से भी पैसा लिया जाता है। यदि वह नियमित भर्ती हो रही हो तो भी बात समझ में आती है। लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जा रही हो और उस भर्ती में लाखों रुपये की उगाही की जा रही हो तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जहां तक प्रमाण की बात है तो हर बात के प्रमाण नहीं होते। आप कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। अभी भी समय है कि आप सुधार कर लें अन्यथा जनता आपको सुधारेगी। जनता इसके लिए तैयार है। यह सच्चाई है और एक हार्ड फैक्ट है। प्राइवेट में आप भी मिलते हैं और आप भी इन बातों को स्वीकार करते हैं परंतु बेरोजगार नौजवानों को भी इन हालात से नहीं बख्शा जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा होगी।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

18.11.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-3

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, आप बार-बार वाइंडअप करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में रखता हूं। हमारे साथियों ने जो आरोप लगाए हैं उनमें से अधिकांश आरोपों को मैंने दोहराया भी नहीं है। अभी राजस्व मंत्री जी भी चले गए हैं लेकिन मैं हिमाचल ऑन शेल के विषय में कहना चाहता हूं। टूरिज्म और होटल्स के संबंध में हमने आपको उदाहरण दिए हैं और पत्र भी बताए हैं। इसी प्रकार हमने इंडस्ट्रीज के विषय में भी अपनी बात रखी है। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप आर्टिकल-118 और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 में संशोधन किस मंशा से ला रहे हैं? ठीक है कि मैं इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह मामला सिलेक्ट कमेटी के पास है और मैं स्वयं उस कमेटी का सदस्य हूं। जब यह मामला चर्चा के लिए आएगा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु हमारी आशंका है कि इसका मकसद हिमाचल को बेचना और हिमाचलियत

को खत्म करना तथा हिमाचल की संस्कृति को तबाह करना है। इसलिए सरकार को अभी भी संभलने की आवश्यकता है। अभी यह अमेंडमैंट सदन में आया नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इस संबंध में सरकार का जो रुख हमने देखा है वह हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं था इसलिए सभापति महोदय, मैं अपनी बात को लंबा न करते हुए अपने विषय तक सीमित रखता हूं और अपनी बात आप सभी के समक्ष रखकर यह कहना चाहता हूं कि

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1530/DT/YK/01

श्री रणधीर शर्मा जारी...

सत्ता पक्ष केवल यह कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि हम कोई प्रमाण नहीं दे रहे। मैंने कुछ आरोपों के प्रमाण दिए हैं शायद कुछ नहीं भी दिए होंगे। परंतु हालात ये हैं कि सरकार पूरी तरह से नाकाम ही नहीं अपितु भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यह बात आम आदमी भी जानता है। आज आप एक नई छवि लेकर आना चाह रहे हैं। आप बी0बी0एम0बी0 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वर्ष 2011 में ही हो गया था यह फैसला आदरणीय धूमल जी के कार्यकाल में हुआ थ और केवल इम्प्लीमैंटेशन का मामला फंसा हुआ था वह आपके समय में हुआ। इतने में आपकी पार्टी के लोग कहने लगे कि हमारा नेता तो योद्धा है। आपने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीत लिया उस पर भी आपकी पार्टी के लोग कहने लगे कि हमारे नेता तो योद्धा है। अब उसी वाइल्ड फ्लावर हॉल को आप ओबरॉय को ही देने की तैयारी कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं। फिर आप किशाऊ बांध की बात करते हैं जिसका समझौता उस समय हुआ था जब दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार विरोध करती थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार विरोध करती थी इसलिए समझौता हुआ। फिर आपकी इसमें विजय कैसी हुई? मैं अंत में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि सर हमें योद्धा नहीं चाहिए। हमने कोई कुश्ती थोड़ी करवानी है हमनें कोई कोई छिंज थोड़ी रखी है। हमें तो परफॉर्मेंस वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का सर्वे है कि हिन्दुस्तान में यदि किसी मुख्य मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी है तो वे

श्री जयराम ठाकुर रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और उन्हें मुख्य मंत्री बनाएगी। यही निवेदन आप सबके समक्ष करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद! जय हिमाचल!

सभापति : माननीय राजस्व मंत्री महोदय आप कुछ कहना चाहते हैं।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, फिर वही बात है कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे धारा 118 के बारे में आप देते हैं। एक भी ऐसा केस माननीय सदस्य नहीं बता पाए कि जहां पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अब धारा 118 के उल्लंघन की बात कह

18.11.2026/1530/DT/YK/02

दीजिए तो इनके कहने से थोड़ी वायलेशन हो जाएगी।। विपक्ष के सदस्य क्यों नहीं बता रहे हैं कि कहां पर वायलेशन हुआ है और कहां पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है? विपक्ष के साथी जिस सिलैक्ट कमेटी की बात कर रहे हैं एक अमेंडमैंट जो प्रस्तावित था उस पर विचार करने को सिलैक्ट कमेटी को भेजा था। एक दिन पहले ही सिलैक्ट कमेटी की बैठक भी हुई है जिसमें इन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसको भी हम इस मान्य सदन में लाएंगे। फिर आप इस मामले में गुमराह क्यों कर रहे हैं? अमेंडमैंट सरकार की ओर से आया है और आपने सिलैक्ट कमेटी में अपने विचार रखे हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी की ओर से प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना इस प्रकार के स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। है। आपने धारा 118 का बार-बार डर दिखाया। विपक्ष ने अपने शासनकाल में धारा 118 के अंतर्गत कितनी जमीनें दीं और हम इनसे पूछते हैं कि क्यों दीं? यदि आप नहीं देना चाहते तो यह भी बताइए कि क्यों दीं? आपने नियमों के तहत ही दी हैं न? ...(व्यवधान) ये गलत बात कह रहे हैं। जो अमेंडमेंटस हम ला रहे हैं उसमें धारा 118 की स्पिरिट को डाइल्यूट नहीं किया गया। इसके ऊपर सिलैक्ट कमेटी की बैठक में चर्चा भी हुई है। यह भी इन्होंने एक तरीका ढूंढा हुआ है लोगों के बीच में जाकर भ्रम फैलाने का। जब सिलैक्ट कमेटी की बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा हो गई है, फिर आप यहां पर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दोगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथियों की नियत ठीक नहीं है। इसके लिए नियम भी ठीक होनी चाहिए।

18.11.2026/1530/DT/YK/03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत दिनांक 17-11-2026 को प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मुद्दा करप्शन का है जिसे विपक्ष के हमारे साथी इस सदन में लेकर आए। विपक्ष ने यह सोचा था कि यह प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा परंतु कांग्रेस की श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी चीज से डरने वाली नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार को बने लगभग चार वर्ष होने जा रहे हैं और किसी भी विधायक या मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। केवल सदन में किसी भी बात को बोलने के ही डिस्कशन नहीं होनी चाहिए और उसी बात पर सदन में बोलने के लिए खड़े हो गये। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने ही हैं तो अपने पास उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए और उसे सदन के पटल पर भी रखा जाना चाहिए। अगर बोलना ही है तो तथ्य के साथ बोलें। कल मैं आदरणीय जयराम जी की बात सुन रहा था उनकी मंशा क्या थी? यह तो ऐसी बात होगी कि सिर्फ विपक्ष के साथयों ने अज्यूम कर लिया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि अस्म्पशन में के आधार पर आरोप नहीं लगाए जाते कि किसी की मंशा थी या मंशा है और इसीलिए यह कानून चेंज करवाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित बात नहीं है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

18.11.2026/1535/ए.जी.-एन.जी./1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री..... जारी

अगर मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बात करूं, हालांकि व्हाइट पेपर जल्द ही हाउस में ले होगा, लेकिन अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? मैं यह नहीं

बोल रहा हूं कि सदन का कोई भी सदस्य उसमें शामिल है, परंतु क्या वह भ्रष्टाचार नहीं है? जहां हजारों लोगों के घर गिर रहे हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। आप धर्मपुर की बात देख लीजिए। आप मनाली-फोरलेन की बात देख लीजिए। आप शिमला-कालका-परवाणू की बात देख लीजिए। वाकनाघाट से ढ़ली की बात देख लीजिए। अभी तो ऐसी टनल बन रही है, सभापति महोदय, मैं माननीय सदन में रिकॉर्ड के ऊपर बोलना चाहूंगा कि जिसकी आज तक अलाइनमेंट भी अप्रूव नहीं हुई है और इतने घर, तकरीबन 25 घरों में दरारें आ गई हैं। जब पूरी छानबीन की गई तो यह पाया गया कि जो ठेकेदार हैं, उन्होंने एन0एच0ए0आई0 व दिल्ली वालों से सांठ-गांठ की है और उसका कोई भी तथ्य नहीं है। उसका फ्रंट साइड व लास्ट साइड का एफ0सी0ए0 जरूर करवाया गया है, लेकिन बीच की जो अलाइनमेंट है, उसके कागज ही कहीं नहीं हैं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? वे लोग तो डेप्युटी कमिश्नर तक की नहीं सुनते। उनके पास परमिशन ही नहीं है। बिना परमिशन के बनाना, यह किसी की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। आप पांवटा साहिब-शिलाई की रोड देख लीजिए। हर साल या दो-तीन महीने में कोई-न-कोई वहां पर हादसा हो जाता है। कभी कोई चट्टान आ जाती है, कोई डंगा बैठ जाता है या कोई गाड़ी गिर रही है। क्या वह भ्रष्टाचार नहीं है? अभी हमारे बड़े भाई श्री रणधीर शर्मा जी ने यहां पर धारा-118 की बात की है। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी ने बोला कि हमने नियमों के अनुरूप किया। हमने तो नियमों के साथ किया। हम लोग भी नियम के अनुसार ही करेंगे। इन्होंने अपने समय में नियम बदले।

18.11.2026/1535/ए.जी.-एन.जी./2

पिछली सरकार में कितनी चीजों में नियम बदले गए और अगर नियम भलाई के लिए बदलने पड़े हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें अनुचित बात है। छोटी-सी बात को लेकर हो-हल्ला करेंगे और हिमाचल फॉर सेल कह देंगे। हम ईज ऑफ बिजनेस लाना चाहते हैं। सेक्शन-118 में भी ईज ऑफ बिजनेस होता है। सभी जानते हैं, सभी सरकारें रही हैं, पिछली बार बीजेपी की सरकार रही और अभी कांग्रेस की सरकार है। हमें भी

इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 22-23 साल हो गए हैं। धारा-118 की जो परमिशन लेने आता है और सभापति महोदय, मुझे सदन में बोलने पर कोई गुरेज़ भी नहीं है कि पटवारी से लेकर ऊपर तक दलाल बैठे हुए हैं और आम लोग इसमें पिस जाते हैं। हम लोग उस चीज को खत्म करना चाहते हैं ताकि करप्शन खत्म हो और ईज ऑफ बिजनेस हो सके। क्योंकि बिल अभी आना बाकी है, उसका अमेंडमेंट आना बाकी है और उस दिन सबके सामने ही चर्चा होगी। कोविड की करप्शन किसको बोलते हैं? "आपदा में अवसर" यह बहुत बड़ा नारा लगाया था। क्या यह मना कर देंगे कि जो दान दी हुई दवाइयां थीं, उनकी रेट लिस्ट बदलकर बेचा गया? बाद में उसके ऊपर कोई-न-कोई एक्शन भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वे कौन लोग थे? क्या वह करप्शन नहीं था? तो किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना, यह उचित बात नहीं है। जब हमारी कारगिल वार हुई, तब ताबूत बेचे गए। क्या वह करप्शन नहीं था? क्या वह लोगों के सेंटिमेंट्स से खिलवाड़ नहीं था? क्या उनकी मजबूरियों का फायदा नहीं उठाया गया? इसको करप्शन बोलते हैं। अभी तक विपक्ष एक भी कागज नहीं दिखा पाया कि कांग्रेस सरकार ने तकरीबन चार सालों के अंदर कहीं करप्शन की है। करप्शन तो लोगों से चंदा इकट्ठा करके खाने वालों ने किया है। इतना बड़ा स्कैम हुआ है, हजारों करोड़

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1540/ए0जी0/ए0पी0/-01

नियम-67 जारी .....

ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री जारी .....

रुपये का चंदा रोजाना आ रहा था और उसमें से पैसा गायब हो गया। यह सबको पता है कि वहां लैंड डील्स हुई हैं। दस रुपये की चीज खरीदी गई और अगले ही दिन अठारह रुपये में बेच दी गई। यह सबको पता है। इसे करप्शन कहते हैं। क्या वोट चोरी करप्शन नहीं है? वोट चोरी का इतना बड़ा मामला सामने आया है। 14 करोड़ लोगों के वोट काटे गए हैं। जिनमें कई राज्यों के वोट शामिल हैं। इसमें बंगाल भी है। ...(व्यवधान) मेरी बात सुन

लीजिए, क्या यह वोट चोरी नहीं है? अगर मैं बंगाल की बात करू, बिहार की बात करूा तो क्या वह वोट चोरी भ्रष्टाचार नहीं है ? वोटिंग होने के बाद उन 14 करोड़ लोगों को कहा गया कि नहीं-नहीं, आप तो एलिजिबल थे। यह तो गलती से हो गया। उन राज्यों में दोबारा चुनाव क्यों नहीं कराए जाते? इसे करप्शन कहा जाता है। इसके साथ ही, चार हजार ई0वी0एम0 मशीनों को जला दिया गया ताकि सबूत ही खत्म हो जाएं। मेरे कहने चाहता हूं कि इसे करप्शन कहते हैं। अभी पिछले कल माननीय विधायक भाई बिक्रम ठाकुर जी ने यहां डस्टबिन का मामला उठाया था। मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। इस समय भाई बिक्रम ठाकुर जी सदन में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि पंचायत राज विभाग द्वारा पठानकोट की एक कंपनी से 25 लाख रुपये के डस्टबिन खरीदने का काम किया गया है। मैं आदरणीय विधायक श्री बिक्रम जी को बताना चाहूंगा कि 25 लाख रुपये की यह जानकारी आपके पास बिल्कुल गलत है। यह रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं है। सही जानकारी यह है कि वर्ष 2024-25 में जिला कांगड़ा के विकास डी0पी0ओ0 कार्यालय द्वारा नियमानुसार टेंडर आमंत्रित किए गए थे। ये टेंडर स्वच्छ भारत मिशन (एस0बी0एम0) के तहत सेग्रीगेशन शेड के लिए आमंत्रित किए गए थे। ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सेग्रीगेशन शेड की आवश्यकता रहती है और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके लिए प्रावधान भी है। दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 को जिला द्वारा समाचार पत्रों में टेंडर आमंत्रित किए गए थे। जिन्हें दिनांक 02.11.2024 को खोला गया। इसके बाद संबंधित नियमों के अनुरूप टेंडर खोलने पर L1 यानी सबसे कम दर 45 हजार रुपये पाई गई। इसके बाद निगोशिएट

18.11.2026/1540/ए0जी0/ए0पी0/-02

करके इसे घटाकर 44,200 रुपये प्रति शेड निर्धारित किया गया। जो L1 था, सभी को बताया गया कि यही L1 रेट है। L1 आने के बाद भी नेगोशिएशन हुई और 45 हजार रुपये से घटाकर 44,200 रुपये प्रति शेड की दर से टेंडर दिया गया। सभी को बताया गया था कि L1 रेट यही है। सेग्रीगेशन शेड का कार्य एस0आई0टी0सी0 एसोसिएट को अवॉर्ड किया गया था और प्रति शेड 12 करोड़ 376 लाख रुपये का व्यय किया गया। यह सारा कार्य भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुरूप

किया गया था। इसके अंतर्गत जो L1 होगा, उसी को काम मिलेगा। अभी भाई रणधीर जी ने मेरी जानकारी में एक और मामला लाया है जो टाइल्स से संबंधित है। पहले भी इस सदन में टाइल्स का काफी गंभीर मामला उठाया गया है। हमारी स्पष्ट हिदायत है कि टाइल्स के मामले में किसी प्रकार की मोनोपॉली नहीं बनाई जाएगी। पहले इसी सदन में टाइल्स की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया गया था। जिसके बाद हमने आई0एस0आई0 मार्क अनिवार्य कर दिया था। कुछ जिलों में सिंगल टेंडर के माध्यम से एक ही व्यक्ति को काम देने की तैयारी की जा रही थी। यह प्रक्रिया उस समय प्रदेश के जिलों में डी0सी0 स्तर पर हुई थी। हमने इस संबंध में बाकायदा चिट्ठी लिखी है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1545/AT/AS/-01

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी.....

वह पत्र मैं आपको दूंगा और सदन में भी प्रस्तुत करूंगा। हमने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि इससे मोनोपॉली स्थापित हो जाएगी और....(व्यवधान) मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। इसमें 44,200 रुपये की दर से टेंडर आमंत्रित किए गए थे। जो फर्में पात्र थीं उनकी फाइनेंशियल बिड का मूल्यांकन करने के लिए 18 नवंबर, 2024 को कमेटी की बैठक हुई। इसमें ब्लोरिया ट्रेडर्स, वी0पी0ओ0 सेहान, तहसील शाहपुर, 45,000 रुपये की दर के साथ L-1 थे। सभी संबंधित फर्मों को बातचीत के लिए बुलाया गया और दर 40,200 रुपये निर्धारित की गई। इसके तहत SITC पठानकोट ने भी इसमें भाग लिया था और बातचीत के दौरान निर्धारित दरों पर कई फर्मों को काम आवंटित किया गया। आपने जो जानकारी मांगी थी उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए अलग-अलग मदों में 12 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। नूरपुर में 132 सेग्रीगेशन शेड, इंदौरा में 53, नगरोटा सूरियां में 73 तथा परागपुर में 28 शेड स्थापित किए गए। इस प्रकार कुल 286 सेग्रीगेशन शेड स्थापित किए गए। इस फर्म को 12 करोड़ 64 लाख 12 सौ रुपये का भुगतान किया गया। अन्य फर्मों को भी भुगतान किया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरे कांगड़ा जिला या हिमाचल प्रदेश का कार्य केवल इसी एक फर्म को दे दिया गया हो। L-1 दर के आधार पर कई अन्य फर्मों को भी काम आवंटित किया गया है।

जैसा कि अभी रणधीर जी ने भी इस विषय को उठाया है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी स्थिति में एकाधिकार स्थापित नहीं होने देंगे। इससे पहले टाइल्स के मामले में भी एक ही टेंडर आमंत्रित किया गया था। उस समय हमने विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति या फर्म को न दिया जाए बल्कि ब्लॉक स्तर पर टेंडर आमंत्रित किए जाएं। ब्लॉक स्तर पर टेंडर में कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकता था। यदि पांच, आठ या दस व्यक्ति टेंडर प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उनमें से जो भी L-1 दर पर कार्य करने के लिए सहमत होते हैं उन्हें पंचायत स्तर पर काम आवंटित किया जाएगा। यह हमारी स्पष्ट नीति और दिशा-निर्देश हैं कि पंचायत एवं

18.11.2026/1545/AT/AS/-02

ब्लॉक स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर L-1 दर पर काम करने के लिए तैयार होगा, उसे नियमानुसार काम दिया जाएगा। मैं यह इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का एकाधिकार स्थापित न हो। फिर भी मैं इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा और इसकी जानकारी सदन में भी प्रस्तुत करूंगा। प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर की इम्पैनलमेंट 44,200 की दर से की गई थी उससे संबंधित दस्तावेज भी मैं सदन में प्रस्तुत करूंगा और आपको उनकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

रणधीर जी, यदि आपके बिलासपुर क्षेत्र में किसी कार्य के लिए सिंगल टेंडर आमंत्रित किया गया है तो उसे तत्काल रद्द किया जाएगा। और जिन-जिन लोगों ने उस कार्य के लिए टेंडर भरे होंगे। उन्हें L-1 दर पर इम्पैनलमेंट का अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता था।

अब यहां बेल के विषय में भी चर्चा हुई। हालांकि, मेरा मानना है कि इस विषय को यहां नहीं उठाया जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी के संबंध में कहा गया कि वे बेल पर हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? बेल पर होना कोई असामान्य बात नहीं है। यहां पक्ष और विपक्ष, दोनों ओर के अनेक जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा अनेक जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज हैं। FIR does not mean that you are convicted. FIR does not

mean कि आप सजायाफ्ता हो गए हैं। एफ0आई0आर0 चलती रहती है this is part and parcel of politics also. Frustration is part of politics. इसलिए एफ0आई0आर0 भी पॉलिटिशियनों के साथ ही चलती है। कब एफ0आई0आर0 हो जाए कोई पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सजा होगी। Court will take its own course. मैं समझता हूं कि ये तो सिर्फ बेल का मामला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तड़ीपार हैं। उनका भी जिक्र यहां पर कर देना चाहिए। सभापति महोदय, मेरा सिर्फ यही बोलना था। आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी।

18.11.2026/1545/AT/AS/-03

श्री जीत राम कटवाल : धन्यवाद सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों श्री सुधीर शर्मा जी, डॉ0 हंस राज जी और श्री बिक्रम ठाकुर जी

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी....

18.11.2026/1550/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री जीत राम कटवाल..... जारी

ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर चर्चा शुरू हुई। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी तक पक्ष और विपक्ष में जो चर्चा हुई है उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं इस चर्चा के मूल बिंदुओं पर अपनी और अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा। विपक्ष की तरफ से हमारे मंत्री श्री अनुरुद्ध सिंह जी ने बहुत नपे-तुले शब्दों में अपनी बात रखी है। मैं उनकी बातों का भी जवाब दूंगा लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं कुछ अलग तरीके से अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय, इनके सम्माननीय नेता राहुल गांधी जी संविधान और एस0आई0आर0 की बात करते हैं। पिछले 2-3 महीनों से एस0आई0आर0 को बहुत बड़े

एजेंडे के रूप में उठाकर अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। कितना सच है और कितना गलत है, यह देश पढ़ा-लिखा है और इस सदन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति भी इसे समझते हैं। राहुल गांधी जी 'मोहब्बत की दुकान', कॉपरेटिव फेडरलिज्म और संघीय ढांचे की बात करते हैं। ...(व्यवधान) सुनिए, सुन लीजिए। There is no arrogance on my part. आप सुन तो लीजिए। मैंने आपको बड़े सम्मान से एड्रेस किया है और मैं सम्मान से अपनी बात कहूंगा। मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा और रिपीटिशन नहीं करूंगा। ये बातें ठीक हैं कि यहां आप अकेले बोल रहे हैं या मैं अकेला बोल रहा हूं but these are subject to the confirmation and understanding by the public. जो हिमाचल प्रदेश में सौभाग्यवश शिक्षित हैं। यहां पर प्लान डवलपमेंट की बात हुई ...(व्यवधान) आपने एस0आई0आर0 की बात की है। एस0आई0आर0 12 दफा हुआ है जिसमें 10 दफा कांग्रेस सरकार ने कराया है और 2 दफा वर्ष 2004 और 2026 में बी0जे0पी0 की सरकारें थीं। इसकी एक प्रक्रिया है। मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात बता दूं कि एस0आई0आर0 को लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन पार्लियामैंट की डाइरेक्शंस और एक्ट की स्पिरिट के अनुसार दिशा-निर्देश देता है। आज आपके डिप्टी कमिश्नर, एस0डी0एम0 और तहसीलदार इन्हें लागू करते हैं। यदि आप यह सही मानते हैं कि वोट चोरी हुई है तो आप भी चोरी करके बने होंगे। इस पर भी आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। वेस्ट बंगाल

18.11.2026/1550/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

की बात करें तो वहां 4 करोड़ वोट डुप्लीकेट थे और यह मैं निजी तौर पर जानता हूं। मैं वहां इलेक्शन ऑब्जर्वर रह चुका हूं। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार वहां से 80 लाख लोग देश के अन्य हिस्सों में कारीगर, मिस्त्री, राज मिस्त्री या मार्बल मिस्त्री के रूप में काम करते थे। ये लोग बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल में भी काम करते थे। यह वर्ष 2013 का आंकड़ा है।...(व्यवधान) सुन लीजिए, it is not that much objectionable. यह सामान्य जानकारी है और जब मैं सदन में खड़े होकर यह जानकारी दे रहा हूं तो इसे इतना गलत न लें और अन्यथा न समझें। वर्ष 2013 में 80 लाख लोग वहां से बाहर काम कर रहे थे। मैंने स्वयं मुर्शिदाबाद में चुनाव करवाया था। यदि यहां चोरी होती तो कर्नाटक में भी चोरी हुई होती। इसलिए इस विषय पर इस तरह कहना बहुत गलत है। डुप्लीकेट वोट को यू0आई0डी0 कार्ड

एन0एन0 द्वारा .... जारी

18-11-2026/1555/NS-DC/1

श्री जीत राम कटवाल-----जारी

सब कुछ बताता है। जिस तरीके से बैंक का खाता आधार कार्ड से जुड़ा होता है तो वर्ल्ड में कहीं भी आपका खाता हो उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए इस तरह की आधारहीन बातें नहीं कहनी चाहिए। यह हिमाचल का सदन है। आप जैसे महानुभाव इस सदन को बड़ी गरिमा देते हैं तो उसे बरकरार रखना चाहिए। इसका जो मसौदा इतना लूज नहीं है जितना आप लोग कह रहे थे।

सभापति महोदय, अब मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात करता हूं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, सैक्टोरल प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। यह प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होती है। आपने क्या किया? आपने ट्रेजरी को उठाकर अपने पास रख लिया। वह प्लानिंग का हिस्सा है लेकिन आपने सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम कर दिया। आज प्रदेश के कोने-कोने में सभी लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि बड़े-बड़े ठेकेदारों के भुगतान होते हैं। मुख्य मंत्री महोदय अभी नहीं बैठे हैं। इन्होंने वर्ष 2022 में रेजोल्यूशन लाया था कि विधायक की संस्था को सशक्त बनाया जाना चाहिए। मैंने भी उसमें बोला, इन्होंने भी बोला और सभी ने इसके पक्ष में बात रखी थी। आज हमें अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट चाहे वह 2,000 रुपये, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये हो और चाहे पढ़ाई-लिखाई, दवाई के लिए सहायता हो तो उसके लिए हमें चार-चार महीने तक इंतजार करना पड़ता है।

सभापति महोदय, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि पहले 2.20 करोड़ रुपये होती थी जिसे घटाकर 1.10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चार-चार महीने बीत जाने के बाद भी हमने जो स्कीमें दी हैं उनका कुछ पता नहीं है। आपने जो यह कॉन्सेप्चुअल चेंज की है वह अपने आप में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। मैं आपको सच बता दूं कि यदि आप इस बात को शांत मन से सोचेंगे तो आपको स्वयं समझ आ जाएगा। यदि आपमें इतनी बहादुरी और स्पष्टता होती तो आप अपने डिप्टी कमिश्नर्स से कहते कि विधायकों के जो पैसे और ग्रांट्स हैं उन्हें वे अपने स्तर पर क्लियर करें। आपने तो विधायकों को भी नहीं बख्शा।

आपने अन्य मामलों में भ्रष्टाचार के संबंध में बड़े-बड़े तथ्यों और दस्तावेजों के साथ इस हाउस में सूचना दी है। यदि वह सच्ची है और आप उसको कन्फ्रंट करते हैं तो कर लीजिए परंतु मैं दो-तीन ऐसी बातें बताऊंगा जो रिकॉर्ड बेस्ड हैं। मेरे क्षेत्र में एक सरयाली खड्ड है और हमने उसमें पानी के स्रोतों को रिचार्ज

18-11-2026/1555/NS-DC/2

करना है। वहां खड्ड की खुदाई शुरू कर दी गई और तीन किलोमीटर तक खड्ड खोद दी गई। उसमें से जो रेत और बजरी निकली उसे मिल-जुलकर प्राइवेट ठेकेदारों और क्रशर वालों को बेच दिया गया। इस दौरान आपका माइनिंग डिपार्टमैंट सोया रहा, डिप्टी कमिश्नर सोया रहा और मुख्य मंत्री जी को मैंने इस संबंध में पत्र दिए। आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने रिकॉर्ड दिया हुआ है और अभी भी दिया हुआ है। इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में रिरड़ो पुल में एक दीवार दे रहे थे और यह पुल चार वर्षों से बना हुआ है लेकिन उसके लिए अप्रोच रोड नहीं बनाई गई। आपने उसके लिए बजट नहीं दिया और पैसे की कमी बताई । चलो, मान लिया कि पैसे की कमी होगी। हमने वहां पानी को डायवर्ट करना है क्योंकि डंगे के पास से पानी बह रहा है। आपको पता है कि वहां से कितने ट्रक मलबा निकाला गया? लगभग 10 हजार ट्रक मलबा खोद दिया गया। फिर मिल-जुलकर एक रिटायर्ड तहसीलदार को साथ लेकर उसकी रिपोर्ट बनवा दी गई। तहसीलदार ने लिखकर दिया है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं और यह व्यक्ति सक्षम नहीं है। आपके अधिकारियों और एक्सिअन को इसकी जानकारी तक नहीं है। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आधारित हैं। मैंने ये सब मुख्य मंत्री महोदय को लिखकर दिया है। इन विषयों को देखने की आवश्यकता है। माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री सदन में नहीं बैठे हैं मैंने इस संबंध में दो बार प्रश्न लगाया है। एक टिहरी-बंजीरी- रछेड़ा रोड है। बनते-बनते चार बार उसकी स्थिति बदल चुकी है। अभी आर0टी0आई0 में मिली जानकारी के अनुसार अभी तक वह सड़क बनी ही नहीं है। उसके लिए 3.99 करोड़ रुपये का बजट था और अब बढ़कर पांच करोड़ रुपये तक पहुंच गया है लेकिन वहां आज भी खड्ड बनी हुई है। मैंने इस माननीय सदन में खड़े होकर मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि बिलासपुर भी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप किसी दिन वहां जाकर स्थिति देखिए लेकिन आपने वह मामला नहीं देखा और आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। वहां पिछले आठ महीनों से बस

सर्विस बंद है। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन मामलों को देखने की आवश्यकता है। यह आपका कॉन्सेप्ट है बल्कि यह हेराफेरी नहीं है और यह एक सिस्टम में चलेगा। सभापति महोदय, अब मैं पी0डब्ल्यू0डी0 की बात करना चाहता हूं

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.11.2026/1600/RKS/डीसी-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

पी0डब्ल्यू0डी0 में एक-एक परिवार के 6-6 ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं। आप 5-5 लाख रुपये तक के टेंडर 6 अलग-अलग व्यक्तियों को देते हैं जबकि काम एक ही व्यक्ति करता है। यह रिकॉर्ड की बात है और इसे अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन हम आपको रिकॉर्ड दिखा देंगे कि वह व्यक्ति कौन है। पी0डी0एन0ए0 का पैसा आया और एस0डी0आर0एफ0 में भी पैसा आया। इसमें पूरी तरह से नेपोटिजम और डेस्पोटिजम हुआ है। जिन लोगों के घर गिरे और जो पात्र लोग थे उन्हें इसका मुआवजा नहीं दिया गया। जिन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ था उनके आपने आहते बनाकर दे दिये। मैं यह बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं। पैसों का वितरण भी एक सुनियोजित तरीके से किया गया जो दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। मैं यह बात सदन में कह रहा हूं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं तथ्यों से अलग हटकर कह रहा हूं। इसके बाद खनन के मामले में आपने कॉन्ट्रैक्ट सैंट्रलाइज्ड सिस्टम किया। आपने उस सिस्टम में ही एक ऐसा क्लॉज डाल दिया कि पेमेंट शिमला से ही होगी। मेरा दूसरा विषय भी विधान सभा में लगा हुआ है। मैंने अपने दूसरे इश्यू में बिजली की चरमराती व्यवस्था का उल्लेख किया है। आप सभी माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि आज ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। आज गीजर, पंखा, रोटा, मधानी और प्रेस सहित घरों में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण बिजली से चलते हैं। आटे की चक्की सहित अन्य मशीनें भी बिजली से ही संचालित होती हैं। आज ये सभी सुविधाएं घर-घर तक पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा की आवश्यकता विकास का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। विकास की बात करें तो आपने आर0डी0एस0एस0 के अंतर्गत दिल्ली से 4 वर्ष पहले पैसा प्राप्त किया था लेकिन आज दिन तक उसके ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए हैं। जी0एस0सी0 में कुछ ट्रांसफार्मर

लगाए जाने थे। ...(व्यवधान) मैं तथ्यों पर अपनी बात बोल रहा हूं। ये सब चीजें वेरिफाइऐबल हैं। सरकार और अधिकारियों ने सोचा कि आर0डी0एस0एस0 योजना के अंतर्गत ही काम हो जाएगा इसलिए जी0एस0सी0 में ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई और इसके अंतर्गत ट्रांसफार्मर किसी अन्य जरूरतमंद स्थान पर लगाए जा सकेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि आज तक न तो जी0एस0सी0 के ट्रांसफार्मर लगे और न ही आर0डी0एस0एस0 के अंतर्गत ट्रांसफार्मर लगाए गए।

18.11.2026/1600/RKS/डीसी-2

सभापति : माननीय सदस्य आप विकास की बात करने लगे हैं। आप नियम-67 के अंतर्गत अपनी बात रखिए।

श्री जीत राम कटवाल : इसका कारण यह बताया जा रहा है कि बड़े ठेकेदारों की पेमेंट हो जाती है और जो असली काम करने वाले छोटे ठेकेदार हैं उन्हें 2-2 वर्ष तक भुगतान नहीं किया जाता है। जो ठेकेदार वास्तव में कार्य करते हैं उन्हें भुगतान नहीं मिलता और उन्हें आगे कोई टेंडर भी नहीं दिया जाता। वर्क ऑर्डर वाले टेंडर भी उन्हें नहीं दिए जाते। मैं अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देकर ये बातें बता रहा हूं। इसलिए मंत्री महोदय जो मैं बात कह रहा हूं वह प्रमाणिक होगी। आप इसे सामान्य बात कहकर न टालें। आप फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स को देखें। 16वें वित्तायोग की जो राशि जल जीवन मिशन के लिए थी उसे आपने दूसरी मद में ट्रांसफर कर दिया। हमारी विधायक निधि के अनस्पेंट पैसे भी दूसरी मद में ट्रांसफर कर दिए गए। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आपने उस राशि को सैलरी में दे दिया। यह अनियमितता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 60.20 लाख रुपये की राशि अनस्पेंट है। वहां डी0सी0 भी आपका है, एस0डी0एम0 भी आपका है और बी0डी0ओ0 भी आपका है। वे कहते हैं कि यह राशि अनस्पेंट पड़ी है। जब राशि अनस्पेंट है तो क्या आपने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि यह राशि खर्च क्यों नहीं हुई और इसके तहत काम क्यों नहीं करवाए गए? अभी भी वह राशि अनस्पेंट पड़ी है। आप काम करवाइए। सरकार को इस दिशा में काम करवाना चाहिए। मंत्री जी केवल इस तरह बोलने से काम नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पहले बैकवर्ड एरिया सब-प्लान होता था। आप भी सहमत होंगे कि प्रदेश के कई क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। उन क्षेत्रों के लिए निर्धारित बजट को

ही समाप्त कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जो पैसा उन क्षेत्रों में जाना चाहिए था वह वहां नहीं पहुंचा। आखिर वह पैसा कहां जा रहा है? जिलों में बैकवर्ड एरिया सब-प्लान और एस0सी0डी0पी0 के अंतर्गत 30 प्रतिशत बजट डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से डिस्ट्रिब्यूट होता था।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1605/बी.एस./एच.के.-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

आखिर वह बजट कहां गया? आप इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते?

श्री संजय अवस्थी : माननीय सदस्य, आर0डी0जी0 कहां है?

श्री जीत राम कटवाल : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आर0डी0जी0 से ही सारा काम होता है और आर0डी0जी0 की कटौती भी इसी पर लागू होती है? आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसी तरह अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहिए। परंतु यह गलत है। आपने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया है। आपने लोगों को पैसा नहीं दिया। इसके विपरीत आप उन लोगों को पैसा देते हैं जो प्रभावशाली हैं या आपके संपर्क में हैं अथवा किसी-न-किसी विशेष कंसिडरेशन के आधार पर आपके साथ जुड़े हुए हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। इसी सदन में मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और बिलासपुर में क्रूज चलाने की बात भी कही गई थी। मैंने भारत सरकार को एक प्लान दिया था और वह आपकी सरकार के पास भी आया है। उसमें कोटधार में वाटर स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग एरिया विकसित करने का प्रस्ताव था लेकिन उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ और न ही किसी को इसकी जानकारी दी गई है। मैंने इस विषय को पहले भी सदन में उठाया था। फॉरेस्ट में 'राजीव गांधी संवर्धन योजना' भी मेरी ओर से दी गई योजना है। यह योजना भारत सरकार को हिमालयन स्टेट्स के लिए मेरे द्वारा दी गई थी। क्या आपने कभी

इस बारे में मेरे से जानकारी मांगी? अब पता नहीं आपकी क्या कंसिडरेशन्स रही होंगी। भारत सरकार की ओर से आपको लिखकर भी आया है और उसकी कॉपी मुझे भी मिली है। टूरिज्म से संबंधित जो योजना है वह भी अभी तक वैसी ही है।

18.11.2026/1605/बी.एस./एच.के.-2

इस प्रकार आपका जो एकतरफा रवैया है और जिस तरीके से आप एक सिस्टम के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं वह भी भ्रष्टाचार की एक श्रेणी है। यह भी भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का माध्यम है।

आप इसको किस रूप में लेते हैं यह आपकी बात है। लेकिन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित मत कीजिए। यह ऐसा विषय है जिस पर अधिक शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कंसेप्ट और अप्रोच है वह लोगों के हितों के विरुद्ध काम कर रही है। आप बार-बार कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। रिपीट होना तो दूर की बात है कहीं ऐसा न हो कि अप्रैल में बजट के बाद ही आपको अपना सामान उठाकर भागना पड़े। लोग आपसे बहुत परेशान हैं।

आपने बसों की बात की थी उप मुख्य मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। मैंने इसी सदन में कहा था कि लिथियम बैटरी वाली बसें सोच-समझकर और एक निर्धारित रेशो में लगाई जाए। मैंने यह बात सदन में कही थी और यह रिकॉर्ड में भी है। लेकिन आज आपने जो बसें खरीदीं वे फेल हो गईं और अब एक जगह खड़ी हैं या मैदानी क्षेत्रों में चल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वे ठीक से नहीं चल पा रही हैं। मैं एक दिन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के पास गया था। मैंने उनसे बसों के लिए आग्रह किया और उन्होंने कहा कि एक बस दे दूंगा। मैंने उनसे कहा कि दो बसें दे दीजिए। लेकिन आज तक उन दो बसों के संबंध में भी कुछ नहीं हुआ। जो रूट चलते थे वे भी बंद हो जाते हैं। यह भी भ्रष्टाचार ही है। जब आप गरीब लोगों को टैक्सी में भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं तथा उनके हितों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं तो यह भी उनके साथ अन्याय है। जो आपकी अप्रोच है वह लोगों के विरुद्ध है। आपने लोगों के खिलाफ काम करने का एक तरीका इजाद कर रखा है जिससे लोगों को भारी कष्ट हो रहा है। आपको इस तरीके से भी बचना चाहिए।

आपने आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी कई कर्मचारी रखे हैं। मैं आपके ठेकेदारों की बात कर रहा हूं। उसमें कितना भ्रष्टाचार है? एक-एक घर से छह-छह व्यक्ति रजिस्टर्ड हुए हैं और उसी घर के व्यक्ति को ठेके मिल रहे हैं यदि एक व्यक्ति को 5-5 लाख के काम भी मिलते हैं तो यह राशि 60 लाख रुपये बन जाती हैं। आपकी सरकार द्वारा इस

18.11.2026/1605/बी.एस./एच.के.-3

प्रकार के काम किए जा रहे हैं। काम की क्वालिटी कैसी है यह भी हम देख रहे हैं। सदन में इस विषय पर इतना कहना ही पर्याप्त है कि आपकी यह पूरी अप्रोच लोगों की भावनाओं के विपरीत है। आप लोग लोगों को तंग करने वाले तरीके से काम कर रहे हैं। अधिकारियों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे सामने ऐसे भी इंस्टांसिज हैं कि किसी काम के लिए एल0ओ0सी0 जारी किया गया लेकिन आज दिन तक काम शुरू नहीं हुआ। इसके बावजूद ट्रांसफर के समय जाते-जाते उस एल0ओ0सी0 को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। आखिर किस कंसिडरेशन के आधार पर ऐसा किया गया? इस तरह के मामले भी सामने आए हैं।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि लोगों को तंग करने का यह तरीका बंद किया जाए। जहां तक एस0आई0आर0 और आपकी इस अप्रोच का सवाल है जिसमें आप बता रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है तो इस विषय को भी देखिए। यदि किसी ने चोरी करके यह मुकाम हासिल किया है तो कोई-न-कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आए। इस तरह अनर्गल और बिना आधार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपके पास डिप्टी कमिश्नर भी हैं, एस0डी0एम0 भी आपका है और तहसीलदार भी आपका है। वे सभी अपना काम कर रहे हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1610/DT/YK/01

श्री जीत राम कटवाल जारी...

यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको पूछिए। परंतु इस प्रकार की सुनी-सुनाई और तुकबंदी की जो बाते इन्हें बंद करना चाहिए और आप लोगों को इस विषय पर गैर-जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय, बिजली बोर्ड में 40 प्रतिशत पोस्ट वेकेंट हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जहां पर कोई काम 6,000 रुपये के खर्चे से होना चाहिए वहां पर 40,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मेरी कंस्टिट्यूएंसी टेल एंड पर है और सबसे ज्यादा नुकसान भी वहीं होता है। मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं और हमेशा इस विषय पर बोलता रहा हूं। रेन डैमेजेज लॉसेज के टेंडर प्रोसेस में आपने जिस प्रकार करप्शन को अलाउ किया है तथा बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जिस प्रकार का हमायती माहौल बना रखा है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपने बड़े-बड़े लोगों के काउंट भी करवाए हैं उन्हें भी देखिए परंतु सिस्टम में छोटे व्यक्ति और आम आदमी को जिस प्रकार त्रस्त किया गया है उस पर भी ध्यान दीजिए, वे लोग माफ नहीं करते। ये लोग सब कुछ देख रहे हैं और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं।

आप ने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि प्रदेश की हर महिला को 1,500 रुपये देंगे और पहली ही केबिनेट में उस पर मोहर लगाएंगे। आपने हर महिला को यह राशि दी फिर यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अब इन चार सालों में प्रतिवर्ष 18,000 रुपये के हिसाब से प्रत्येक महिला को 72 हजार रुपये दो और आगे भी 1,500 रुपये देते रहो। अब आपने उसमें भी ifs and buts लगा रहे हैं। आपके माननीय सदस्य ने कल टी0वी0 पर में कह रहे थे कि वह तो कांग्रेस पार्टी का पेपर था और मेरा कोई पेपर नहीं था। इसलिए आपको इस विषय पर भी विचार करना चाहिए कि आपने क्या-क्या किया है। भ्रष्टाचार की परिभाषाएं अपने तरीके से मत बनाइए। भ्रष्टाचार की परिभाषा यही है कि जो भी कार्य लोगों के हितों के खिलाफ होगा तथा लोगों के हितों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। ऐसी सरकार को भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार कहा जाएगा।

18.11.2026/1610/DT/YK/02

मैं अधिक कुछ न कहते हुए इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया गाना आता है कि तेरी आंख नुकिली और तेरे गोरे-गोरे गाल और उसके ऊपर झूमर वाले बाल, आपको पता है कि उसे कौन गाता है? वह एक बूढ़ा व्यक्ति गाता है जिसके मुंह में न दांत हैं और न पेट में आंत। इस सरकार की स्थिति भी इसी प्रकार की है कि न मुंह में दांत हैं और न पेट में आंत। आप लोग कहते हैं कि हमने यह कर दिया और वह कर दिया। आपने जो किया है उसे सारी दुनिया देख रही है। अगर कुछ किया भी है तो उसका कुछ वर्णन हमने भी किया है। परंतु मैंने आपको की माइक्रो लेवल की स्थिति से अवगत कराया है उसे आप अन्यथा न लें बल्कि इस तरीके से लें की वह आम आदमी की पुकार है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

18.11.2026/1610/DT/YK/03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगी कुमारी अनुराधा राणा।

कुमारी अनुराधा राणा : माननीय सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, आपने मुझे उस संदर्भ में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव विपक्ष को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा है कि स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव उस स्थिति में लाया जाता है जब पूरे प्रदेश में कोई आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हुई हो या कोई आपदा आई हो अथवा किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो, ऐसी परिस्थितियों में ही इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव लाए जाते हैं। परंतु मुझे यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि पिछले दो दिनों से सदन में एक प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप और फिजूल की बातें, यदि मैं अपने विचारो में यदि कहूं, तो हो रही हैं। हमारे भी क्वेश्चन हाउस में कई मुद्दे लगे होते हैं तथा जीरो ऑवर में भी हमने कई टॉपिक दिए होते हैं लेकिन पिछले दो दिनों से उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके

बजाय बिना किसी तथ्यों के सदन के अंदर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है।

जैसा कि हमने कहा है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी कहा है तथा सत्तापक्ष की ओर से भी बार-बार यह कहा जा रहा है कि यदि आप सत्तापक्ष पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि विशेष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ही गंभीर आरोप होता है। यहां हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाते बल्कि एक इंस्टीट्यूशन पर आरोप लगाते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाने का अर्थ कहीं-न-कहीं अपने ऊपर भी आरोप लगाना है। इसलिए जब हम इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हैं तो बिना किसी तथ्यों के ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। यदि हमारी सरकार का रिकॉर्ड देखा जाए तो

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.11.2026/1615/वाई.के.-एन.जी./1

कुमारी अनुराधा राणा..... जारी

माननीय मुख्य मंत्री से लेकर किसी भी मंत्री या विधायक पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए नहीं गए हैं। यदि आरोप लगे भी हैं, तो उनको साबित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि आरोपों के लिए आप यहां पर तथ्य रखें। सदन के पटल पर रखें, तो उसकी मान्यता भी बढ़ती है और उस पर इंक्वायरी भी होती है। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि यदि आप आरोप तथ्यों के आधार पर लगाते हैं, तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी उसमें शामिल पाया जाता है, यदि कोई भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह सुखद है कि हमारी सरकार के खिलाफ इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है और यदि है, तो उनको भी साबित नहीं किया गया है। कोई भी तथ्य इसके प्रमाण में सदन में रखे नहीं गए हैं। यदि हम पूर्व सरकार यानी पूर्व भाजपा सरकार की बात करते हैं तो कई ऐसे उदाहरण हैं और उसकी लम्बी लिस्ट है। मुझे उन पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि सभी ने उस अपने-अपने विचार रखे हैं। कोविड जैसी महामारी से जब

हमारा न केवल प्रदेश, अपितु पूरा देश और विश्व जूझ रहा था, उस समय पी0पी0ई0 किट जैसे घोटाले हमारे प्रदेश में हुए। यह केवल कहने की बात नहीं है। क्योंकि उस समय ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, इस्तीफे हुए हैं और उस समय तत्कालीन सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था, इसीलिए उसमें इस्तीफा भी हुआ था। यह कहने की बात नहीं है, यह सर्वविदित है और सभी इस बारे में जानते हैं। पूर्व सरकार के समय का पुलिस भर्ती घोटाला भी किसी से छुपा नहीं है। हजारों नौजवान साथी, जो पेपर देने बैठते हैं और पेपर लीक हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमने पूरे देश भर में देखा है कि जब पेपर लीक हुआ और हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा ही हम हिमाचल प्रदेश में भी देख चुके हैं। जब यहां पर पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर कैंसिल भी हुआ। यह जीता-जागता उदाहरण है और आज उसमें चार्जशीट दाखिल भी हुई है।

18.11.2026/1615/वाई.के.-एन.जी./2

उसमें लगातार इंक्वायरी भी चली हुई है। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं कह रही हूं, क्योंकि ऐसा हुआ है और तथ्यों के साथ कह रही हूं। इसके अलावा कौड़ियों के भाव में जमीनों को बेचा गया। जमीनों को 99 साल की लीज पर एक रुपये की दर से दे दी गई। ये कहीं-न-कहीं संगीन आरोप हैं, बल्कि तथ्य के साथ हमारे सरकार के माननीय मंत्रियों और विधायक साथियों ने भी इस बात को सदन में रखा है। यदि हम अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो जे0जे0एम0 जैसी बहुत बड़ी स्कीम है। केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपये आए हैं। वैसे ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी आए। जे0जे0एम0 के अंतर्गत खूब पैसा आया। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वर्ष 2020 में अटल टनल का उद्घाटन हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय स्वयं उस उद्घाटन में आए और उन्होंने मंच से कहा कि लाहौल-स्पीति पहला जिला पूरे देश में बन चुका है, जिसने जे0जे0एम0 मिशन को अचीव कर लिया है। उस समय मैं राजनीति में भी नहीं थी, हमें पता भी नहीं था। लेकिन जब हमने राजनीति में प्रवेश किया, तो इस चीज को हमने स्टडी भी

किया। क्योंकि हम भी गांव से आते हैं और हमने अपने गांव की समस्या भी देखी है। आज भी वहां पर पानी की समस्या है। एक तरह से जितने भी दूर-दराज के गांव हैं, आज भी वहां पर पानी की समस्या है। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आपने लाहौल-स्पिति जिला में जे0जे0एम0 के तहत 100 प्रतिशत अचीवमेंट कर ली है? ऐसे झूठे आंकड़े माननीय प्रधानमंत्री जी से बुलवाना, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसका नुकसान हमें हुआ। जे0जे0एम0 में पैसा तो आया और वह पैसा धरातल पर लगा नहीं। लोगों को पाइपों के टुकड़े बांट दिए गए और सोर्स पर कोई काम नहीं हुआ। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस प्रकार से ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं और सोर्स पर कोई काम नहीं हुआ। पहले हम सिर्फ ग्लेशियरों पर निर्भर रहते थे, हमारे चश्मे होते थे, पानी के सोर्स वहीं से होते थे। सोर्स जनरेशन पर कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ पाइपों के टुकड़े बांटकर लोगों को यह बताया गया कि जल जीवन मिशन में सिर्फ पाइपों की खरीद हुई।

18.11.2026/1615/वाई.के.-एन.जी./3

उसमें कमीशन खाए गए, यह हम खुले पटेल पर कह रहे हैं और ऐसा हुआ भी है। जैसे मैंने अपने जिले का जीता-जागता उदाहरण दिया कि आपने 100 प्रतिशत अचीव बता दिया लेकिन धरातल पर कहीं भी पेयजल की समस्या वैसी-की-वैसी बनी हुई है। हालांकि हम उस पर कार्य कर रहे हैं। उस समय तो करोड़ों रुपयों का बजट था। ट्राइबल डवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करते हैं। टी0ए0डी0पी0 में करोड़ों रुपयों के बजट आते थे। ट्राइबल्स में बजट की कोई कमी नहीं रहती थी। करोड़ों रुपयों से ज्यादा का बजट कई बार सरेंडर भी होता था। ट्राइबल का बजट बाकी जगह ले जाया जाता था या डायवर्ट करके सरेंडर होता था। कोई उसका हिसाब नहीं है। बैक कटिंग के नाम से न जाने कितने टेण्डर लगते थे। वह पैसा कहां जाता है? उस समय की मैं बात करूं कि उस समय क्या हालात थे। आज अगर हमें एक लाख भी मिलता है, तो उसका एक-एक रुपये का हिसाब हम दे सकते हैं कि वह

पैसा कहां लग रहा है और कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। कई बार मैं सोचती हूं कि इतना पैसा अगर हमारे हाथ में होता तो हम सोने की तो नहीं, कम से कम चांदी की सड़कें बना देते। इतना पैसा उस समय आया और उसके अलावा फिर भी 20-20 करोड़ की लायबिलिटीज लोक निर्माण विभाग में पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार जल शक्ति विभाग में लायबिलिटी हमें विरासत में मिली है। मुझे सिर्फ ढाई साल का समय हुआ है और 20-20 करोड़ की लायबिलिटी हमें एक-एक डिवीजन में मिली है, चाहे हम स्पिति की बात करें या लाहौल की बात करें। इस लेवल पर भ्रष्टाचार धरातल पर हुआ है। अगर मैं एक-एक पहलू पर जाऊंगी तो बहुत रात भी हो सकती है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जब हम बात करते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाने से तो मुझे लगता है कि बात नहीं बनती। छोटा मुँह, बड़ी बात हो जाती है

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.11.2026/1620/वाई0के0/ए0पी0/-01

कुमारी अनुराधा राणा जारी .....

अगर हम लाहौल की बात करें तो वहां भी जमीनी स्तर पर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। यदि मैं एक-एक पहलू पर विस्तार से बात करूं तो यहां बहुत रात हो सकती है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब हम एक-दूसरे पर आरोप लगाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। यहां तक की कभी-कभी हमसे छोटा मुह बड़ी बात हो जाती है। सदन में हमसे कहीं अधिक अनुभवी सदस्य बैठे हैं। मैंने महसूस किया है कि जब हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं और किसी संस्था पर बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं तो कहीं-न-कहीं हम स्वयं को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। व्यवस्था में जो कमियां हैं उन्हें मैंने स्वयं भी महसूस किया है। हम सब इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। मैं हमेशा महात्मा गांधी जी के इस विचार को बहुत मानती हूं कि आप स्वयं में वह बदलाव लाईये जो आप समाज में देखना चाहते हैं। हम दूसरों को बहुत उपदेश देते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं यह बात केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं कह रही हूं बल्कि सभी के लिए और अपने लिए भी

कह रही हूं। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन जब हम स्वयं उस रास्ते पर चलते हैं तो पता लगाता है कि सत्य का रास्ता हमेशा मुश्किल और कठिन होता है। यदि हम उस रास्ते पर चलते हैं तब ही हम समाज और व्यवस्था में बदलाव देख सकते हैं। यहां हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन व्यवस्था में जो खामियां हैं, उन्हें सुधारना कहीं-न-कहीं हम सभी का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं बदलतीं। पिछले तीस वर्षों में हिमाचल में लगातार सरकारें बदलती रही हैं लेकिन फिर भी सिस्टम जस-का-तस बना रहा। इसी उद्देश्य से मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है। हम स्वयं देखते हैं कि सिस्टम में एक तरह से जंग लग चुका है। हमें अपनी फाइलें आगे बढ़वाने के लिए दस-दस बार कहना पड़ता है। मैं एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रही हूं। यदि हम स्वयं फॉलो-अप न करें तो एक ट्रांसफर तक नहीं होती है। मैं किसी एक सरकार की नहीं बल्कि समग्र सरकारी व्यवस्था की बात कर रही हूं, जिसमें जंग लग चुका है। यह बदलाव रातों-रात नहीं आएगा। इसके लिए सभी को प्रयास और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चाहे हम लेजिस्लेचर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें या कर्मचारियों और अधिकारियों की बात करें, जब हम जनता से उनकी समस्याएं सुनते हैं और

18.11.2026/1620/वाई0के0/ए0पी0/-02

पटवारी से लेकर किसी भी स्तर पर लोगों को परेशानी आती है या किसी तरह के लेन-देन की बातें सामने आती हैं तो लेने वाला भी दोषी होगा और पैसा देने वाला भी दोषी होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि कोई आपसे इस तरह की मांग करता है तो उसे उजागर करना और एक्सपोज करना, as a human being and as a Civil Citizen of India आपकी भी जिम्मेदारी है। देश के प्रति आपका भी यह योगदान होना चाहिए कि आप इस व्यवस्था को सुधारने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो Corruption Perceptions Index (CPI) में भी हमारा देश अभी 91वें स्थान पर है और यह आंकड़ा वैश्विक औसत से काफी खराब है। मैं केवल हिमाचल की नहीं बल्कि पूरे देश की व्यवस्था की बात कर रही हूं। कहीं-न-कहीं यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम सभी महसूस करते हैं। इसलिए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय मुझे लगता है कि हमें

आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम अपनी ओर से किस प्रकार बेहतर कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि हमारी जवाबदेही बेहतर हो और जनता के प्रति जो हमारा फर्ज और कर्तव्य है उसे भी हम सही मायनों में पूरा कर सकें। मुझे लगता है कि इस विषय पर अधिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं-न-कहीं जब भी हम कोई आरोप लगाते हैं तो बिना तथ्यों के हम किसी संस्था पर आरोप लगा रहे होते हैं। इसलिए आरोप तथ्यों के आधार पर ही लगाए जाने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि जो आरोप तर्कसंगत होंगे और तथ्यों पर आधारित होंगे उस पर प्रदेश सरकार जांच करवाएगी। मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है, वह केवल नारों तक सीमित नहीं है। आज हम उसकी गहराई को समझते हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था में एक तरह से जंग लग चुका है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस सिस्टम को महसूस किया है। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया है उसके तहत कई सुधारात्मक रिफॉर्म्स और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनके परिणाम आज हम देख रहे हैं। चाहे बी0बी0एम0बी0 की बात हो, वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात हो या किशाऊ बांध की बात हो, ये सभी उपलब्धियां उनके नेतृत्व के कारण संभव हुई हैं। इसमें हम यह नहीं कह सकते कि यह कैसे हुआ या यह हमारा भाग्य था कि हमारे समय में यह फैसला आया। हम मानते हैं कि इसमें सभी का योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर, बी0बी0एम0बी0 का मामला वर्ष 1996 से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह मुख्य मंत्री जी का नेतृत्व

18.11.2026/1620/वाई0के0/ए0पी0/-03

और उनकी सोच ही है जिसके कारण इस मामले में निर्णायक परिणाम सामने आया है। यदि उन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील को नियुक्त नहीं किया होता तो इस फैसले के आने में शायद और 20 साल लग जाते। यही अंतर है। उन्होंने हमारे प्रदेश की आर्थिकी को आत्मनिर्भर बनाने और अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उस समय विपक्ष द्वारा कहा जाता था कि वकीलों को पांच-पांच करोड़ और एक-एक करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। यदि मुख्य मंत्री जी ने कपिल सिब्बल जी या मनु सिंघवी जैसे जाने-माने वकीलों को नियुक्त करने के ये कदम नहीं उठाए होते तो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं आते। किशाऊ बांध

के मामले को छोड़ भी दें, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर का मामला है और उसका केंद्र तथा राज्यों के बीच अलग स्तर पर बातचीत का विषय था। लेकिन बी0बी0एम0बी0 के अधिकारों और वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले में यदि ऐसे वरिष्ठ वकीलों की नियुक्त नहीं की जाती तो इन फैसलों के आने में अभी भी हमे 20-से-25 साल का इंतजार करना पड़ता। यही व्यवस्था परिवर्तन का वह अंतर है जो आज दिखाई देता है। यह केवल बोला नहीं गया बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे धरातल पर इसे उकेरा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। यह निश्चित रूप से एक सार्थक कदम है। आज आर0डी0जी0 बंद होने के कारण आज हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। यह हम सभी जानते हैं। आप कहते हैं कि ट्रेजरी बंद है और ट्रेजरी से बिल पास नहीं होते हैं। यही तो कारण है, इसी स्थिति को तो हम देख रहे हैं। जब से आर0डी0जी0 बंद हुई है, तब से यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? इस खजाने को प्रदेश सरकार ने मैनेज करना है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.11.2026/1625/AT/AG/-01

कुमारी अनुराधा राणा जारी....

क्योंकि यहां पर यदि आपके खजाने में पर्याप्त धनराशि नहीं है तो उसका पूरा प्रबंधन प्रदेश सरकार को ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि पांच या दस तारीख के बाद यह व्यवस्था अपने आप नियमित हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को आपको पेंशन भी देनी होती है और वेतन भी देना होता है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रेजरी में यह समस्या आई है। यदि हम सभी मिलकर आर0डी0जी0 की इस लड़ाई को लड़ते तो मुझे लगता है कि ऐसी दुर्दशा या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसके बावजूद आज विपक्ष और प्रदेश की जनता भी यह जानकर हैरान है कि आर0डी0जी0 के बंद होने से प्रदेश को लगभग आठ से दस हजार करोड़ रुपये का झटका लगने के बावजूद सरकार कैसे चल रही है? मुख्य मंत्री महोदय प्रदेश को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? इस बात पर लोगों को भी और हमें भी आश्चर्य होता है। यदि कोई और होता तो शायद पीछे मुड़कर भाग जाता। लेकिन यह मुख्य मंत्री महोदय, का दृढ़ निश्चय है कि 17 प्रतिशत की जो कटौती सीधे हमारे बजट में हुई है उससे हमारे विकास कार्यों,

आधारभूत संरचना के विकास तथा पूंजीगत निवेश पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम किस प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें हमें काफी सफलता मिली है। इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के संबंध में प्रदेश के हित में निर्णय होना मुख्य मंत्री महोदय, पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट और सत्तापक्ष के सभी साथियों की उपलब्धि है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूं। कहीं न कहीं यदि कोई खामी रह जाती है तो यह भी स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। कुछ न कुछ कमियां सभी के साथ रह जाती हैं। उन कमियों को सुधारना हम सबका सामूहिक प्रयास भी होना चाहिए और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए सभापति महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं।

अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि विपक्ष द्वारा जो यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती क्योंकि यह प्रस्ताव पूरी तरह

18.11.2026/1625/AT/AG/-02

निराधार है और बिना किसी ठोस आधार के लाया गया है। मेरा माननीय विपक्ष से निवेदन है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.11.2026/1625/AT/AG/-03

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, नियम 67 के अंतर्गत इस माननीय सदन में भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। जिस तरह से वास्तव में इस प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में प्रदेश की जनता

को भी सदन के माध्यम से सुनने का अवसर मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इस समय प्रदेश में चार समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नशा और कर्ज। इन चारों समस्याओं ने इस प्रदेश को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हर समय व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जाती है। यह अच्छी बात है और व्यवस्था में परिवर्तन होना भी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस प्रदेश के ये पहले मुख्य मंत्री नहीं हैं जिन्होंने सबसे अधिक कर्ज लिया हो। यदि किसी को इस बात पर कोई आपत्ति है तो वह अपनी बात रख सकता है। लेकिन यदि एक छोटे से प्रदेश ने 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है और उसके बावजूद विकास कार्य दिखाई नहीं दे तो यह निश्चित रूप से सोचने का विषय है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस जोगिंदरनगर क्षेत्र की बात करना उचित समझूंगा क्योंकी हम यहां झूठ बोलना नहीं चाहते। आज सरकार को बने हुए 4 वर्ष होने वाले हैं। इन चार वर्षों में यदि 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है तो यह कर्ज किसलिए लिया गया है? निश्चित रूप से विकास कार्यों के लिए ही लिया गया होगा।

हमारा जोगिंदरनगर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसमें लगभग एक लाख दस हजार तो बोटर ही हैं। और जनसंख्या के लिहाज से यह प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे बता सकते हैं कि इन चार वर्षों में हमारे क्षेत्र में कोई शिलान्यास या उद्घाटन हुआ है? यदि आपने 40 हजार

18.11.2026/1625/AT/AG/-03

करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और इसे प्रदेश की 68 विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के हिस्से में लगभग 588 करोड़ रुपये आते हैं। आखिर यह जनता का पैसा है। जनता ही इसे टैक्स के रूप में चुकाएगी। यह किसी मुख्य मंत्री की जेब का पैसा नहीं है।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी....

18.11.2026/1630/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
श्री प्रकाश राणा..... जारी

और 588 करोड़ रुपये हमारे हिस्से में आते हैं। यह जनता का पैसा है जिसे जनता टैक्स के माध्यम से भरती है, न कि यह किसी मुख्य मंत्री की जेब से जाता है। अब आप बताएं कि क्या वहां 10, 20, 30 या 40 करोड़ रुपये के किसी काम का शिलान्यास या उद्घाटन हुआ है? क्या कोई नया संस्थान खोला गया है, कोई स्कूल बना है, कोई भवन बना है, कोई हॉस्पिटल या स्कूल अपग्रेड हुआ है? आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी काम बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में कच्ची और पक्की सड़कों को मिलाकर लगभग 800 किलोमीटर सड़कें हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारे पास इसका पूरा डेटा है जो पहले भी मैंने कई बार इस माननीय सदन बताया है। क्या इन सड़कों में पिछले 4 वर्षों में कहीं 10 किलोमीटर भी टारिंग हुई है? मैंने पहले भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। यह 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार है। हमारे क्षेत्र में 85 किलोमीटर रोड खोदा गया था और आज 3 वर्ष हो गए हैं। उसमें 5जी केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया था। नेट लगाने के लिए कंपनी केबल बिछाकर चली गई और उसने भी 10-11 करोड़ रुपये दिए थे। सड़क को 6 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा खोदकर केबल बिछाई गई। हमारे यहां कच्ची सड़कें और कच्चे डंगे हैं। बरसात होने पर वे सभी बैठ गए और सड़कें तथा नालियां भी खराब हो गईं। वहां 85 किलोमीटर में नालियां बननी थीं लेकिन एक किलोमीटर भी ड्रेन नहीं बनी। जबकि उसके लिए 2,700 के कई टेंडर लगा दिए। लोक निर्माण मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैंने शिकायत भी की थी और इनक्वायरी करने के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं लेकिन 3 वर्ष में उस इनक्वायरी में क्या हुआ, आज तक हमें पता नहीं लगा। उसके बाद भी सड़क नहीं बनी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? पूर्व मुख्य मंत्री जी ने विकास के लिए कर्ज लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने किसके लिए कर्ज लिया? ...(व्यवधान) हां, ब्याज के लिए, यह भी आपकी बात सही है। आपने 40,000 करोड़ रुपये ब्याज भर दिया है, हम यह मान सकते हैं। सदन में बातें और बहाने करने के बजाय प्रमाण के साथ आना चाहिए। हम तो प्रमाण दे रहे हैं। बीच में किसी को टोकने से कोई फायदा

नहीं है। आपने 40,000 करोड़ रुपये ब्याज भरने की बात कही है तो आप श्वेत पत्र जारी कीजिए। हमारे हिस्से में 588 करोड़ रुपये आए हैं। ...(व्यवधान) आप इसे 300 करोड़ रुपये ले लो और हमें 288 करोड़ रुपये दे दीजिए या फिर सदन में यह बता दीजिए कि यह कर्ज हमारे क्षेत्र का नहीं है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए नहीं है। यहां

18.11.2026/1630/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

जो हो रहा है वह बहुत गलत है। बदले की भावना से काम करना क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आप इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं? आज पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रदेश बता दीजिए जिसकी आय से 3 चीजें नहीं चल रही हैं—सैलरी, पेंशन और बैंक का ब्याज एवं रीपेमेंट। यदि कोई ऐसा प्रदेश है तो उसका उदाहरण दीजिए। इन 3 चीजों के अलावा क्या कोई प्रदेश अपनी आय से अन्य खर्च भी चला रहा है? यदि ऐसा कोई प्रदेश है तो बताइए। केवल बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आय के स्रोत कैसे उत्पन्न किए जाएं? आज हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसके पास इन 3 चीजों के लिए भी पैसा नहीं है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह वित्त विभाग का दस्तावेज है। वित्त विभाग ने यह जानकारी दी है कि दस्तावेज के अनुसार हमारी कुल आय लगभग 15,290 करोड़ रुपये है और राज्य का गैर-कर राजस्व 3,948 करोड़ रुपये है। दोनों को मिलाकर कुल 19,236 करोड़ रुपये वार्षिक आय होती है। केंद्र से जी0एस0टी0 का जो शेयर मिलता है, वह 13,950 करोड़ रुपये है। इस प्रकार साल की कुल आय 33,950 करोड़ रुपये हो रही है।

इसके बाद यदि हम खर्च देखें तो कर्मचारियों

एन0एन0 द्वारा .... जारी

18-11-2026/1635/NS-AS/1

श्री प्रकाश राणा-----जारी

के वेतन पर प्रतिवर्ष 16,630 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं और पेंशन पर 11,766 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। यह आंकड़ा मैंने नहीं दिया है बल्कि आपके ही दस्तावेज में लिखा हुआ है।

इसके अतिरिक्त कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए 7,900 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं और कर्ज की रीपेमेंट के लिए 5,840 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इन सभी को मिलाकर लगभग 35-40,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। अब प्रदेश की कुल आय 33,188 करोड़ रुपये है। आप बताइए कि प्रतिवर्ष 8,921 करोड़ रुपये का जो अंतर आ रहा है उस पैसे की भरपाई कहां से होगी? ...(व्यवधान) मैं तो अभी विकास की बात ही नहीं कर रहा हूं। फिर आप बार-बार केंद्र से पैसा मांगते रहेंगे? आप कब तक मांगते रहेंगे? ...(व्यवधान) आप यहां विकास की गाथा लिख रहे हैं कि प्रदेश को 100 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये आ रहे हैं। ...(व्यवधान) आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि पैसा कहां से आ रहा है? हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि आप किस आधार पर सरकार चला रहे हैं? जब आपके पास कर्मचारियों का वेतन देने और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आप यह सब कैसे कर रहे हैं? ...(व्यवधान) आप बताइए। कर्ज लेकर दे रहे हैं। कर्ज लेकर तो मैं भी दे सकता हूं। Hon'ble Chairman, Sir, please tell them that do not disturb me and let me complete. Why they are disturbing me. ...(Interruption) आप बताइए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, यदि आपके पास इसका जवाब नहीं है तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय प्रकाश राणा जी, आप अपनी बात भ्रष्टाचार के ऊपर रखिए। Let him complete.

श्री प्रकाश राणाः मैं इसी की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार की ही बात है। ...(व्यवधान) हमें झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। झूठ सुनने की भी हिम्मत रखो, पहले पूरी बात सुनो। ये आंकड़े आपके दस्तावेज के ही हैं। ...(व्यवधान) इन्हें पढ़कर देख लीजिए। मैं कोई आंकड़े अपनी ओर से नहीं दे रहा हूं।

18-11-2026/1635/NS-AS/2

अध्यक्ष : माननीय सुरेश जी, बैठिए। माननीय विनोद कुमार जी, प्लीज बैठिए। एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर साहब, बैठिए। माननीय सुरेश जी, प्लीज बैठिए। एक मिनट, माननीय प्रकाश राणा जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश राणाः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पहला प्रदेश है जहां झूठ बोलने के लिए खड़े नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) इन्होंने तीन चीजों से प्रदेश को डुबो दिया है। ये कहते हैं कि हमने वहां से पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया है और वहां से पैसा आ रहा है। भाई, तो चार वर्षों तक आपने क्या किया? ...(व्यवधान) यह कर्ज की बात है।

अध्यक्ष : माननीय प्रकाश राणा जी, कृपया चेयर की तरफ संबोधित करके बात करें। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि बी0बी0एम0बी0 से हमें 1200 करोड़ यूनिट बिजली 20 वर्ष के लिए मिलेगी। क्या यह सही है? ये केस पहले से चल रहे हैं, आप उनका श्रेय ले लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम कहते हैं कि आप चलाइए। यदि 1200 करोड़ यूनिट बिजली 20 वर्षों के लिए मिलेगी तो प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट हो गई। यदि आप कहते हैं कि इसकी बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहां आय के स्त्रोत नहीं थे। यहां आय के स्त्रोत थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आय के स्त्रोत नहीं थे? आज यदि 100 मेगावाट का एक प्रोजैक्ट चलता है तो वह एक घंटे में 1 लाख यूनिट बिजली पैदा करता है। 24 घंटे में 24 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है और एक महीने में 7.20 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होती है। पूरे वर्ष में कितनी बिजली पैदा होगी? एक 100 मेगावाट का प्रोजैक्ट 85 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करता है। 85 करोड़ यूनिट भी छोड़ दीजिए क्योंकि कभी अप-डाउन भी होतो है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.11.2026/1640/RKS/Aएस-1

श्री प्रकाश राणा... जारी

कभी अप-डाउन भी होता है। अगर हम इसे 60-70 प्रतिशत मान कर चलें तो भी 100 मेगावाट का प्रोजैक्ट लगभग 50 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करता है। इस प्रदेश में इस वक्त 14-15 हजार मेगावाट के बिजली प्रोजैक्ट लगे हुए हैं। मैं केवल 100 मेगावाट के प्रोजैक्ट की बात कर रहा हूं। अगर 14-15 हजार मेगावाट के प्रोजैक्ट चलते हैं और 100 मेगावाट का प्रोजैक्ट 60 करोड़ यूनिट बिजली पैदा कर रहा है तो इन प्रोजैक्टों से 10

हजार करोड़ यूनिट बिजली पैदा होती है। उस बिजली की कीमत क्या है? ये तो 15 रुपये प्रति यूनिट बताते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम इसे 8 रुपये या 7 रुपये प्रति यूनिट पर भी बेचें तो भी लगभग 70-72 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू एक साल में प्रदेश से बाहर जा रहा है। यह उन प्रोजैक्टों से प्राप्त होने वाली बिजली की सालाना कीमत है जो यहां चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार इसलिए फैला क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो भ्रष्टाचार की बात ही नहीं होती। भ्रष्टाचार तो तब होता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता। हम मांग-मांग कर सरकार चला रहे हैं। कभी इधर से मांगते हैं तो कभी उधर से मांगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने काम किया होता तो मैं यह बात नहीं कहता। मैं अपनी बात क्यों नहीं रखूं? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां एक भी शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हुआ है। 80 हजार लोगों ने मुझे चुनकर यहां भेजा है। मेरा राइट है कि मैं अपना हक मांगूं। आपने बदले की भावना से क्यों काम किया? आप मेरे चुनाव क्षेत्र में एक शिलान्यास या उद्घाटन दिखा दीजिए। आप 30 करोड़ रुपये का ही कोई प्रोजैक्ट दिखा दीजिए। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि यह भ्रष्टाचार है। मैं न आपको बोल रहा हूं और न विधायकों या मंत्रियों को बोल रहा हूं। मुख्य मंत्री की एक ऐसी कुर्सी होती है जिस पर बैठकर निर्णय लेने पड़ते हैं। चार साल में आपने क्या निर्णय लिए? आपने 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है और अब कितना और कर्ज लोगे? बताइए तो सही, कब तक कर्ज़ लेते रहेंगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले 5 या 10 साल में प्रदेश की स्थिति क्या होगी? कर्ज चुकाना तो दूर की बात है हमारे पास सैलरी देने तक का पैसा नहीं होगा। फिर हम कहां जाएंगे? अगर अभी हमने कदम नहीं उठाए तो आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी? आप यहां लड़ने लगते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या मुझे झूठ बोलने का शौक है? झूठ बोलकर क्या मैं यहां कोई तरक्की कर रहा हूं? यह समझने

18.11.2026/1640/RKS/Aएस-2

की बात है। जो दिमाग हम एक-दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं, वही दिमाग इस बात पर लगाएं कि इनकम सोर्स कैसे जनरेट करें? ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

श्री प्रकाश राणा : मैं तो आपको यही बता रहा हूं कि जो 15 सौ करोड़ मेगावाट के बिजली प्रोजैक्ट यहां चल रहे हैं उन बिजली प्रोजैक्टों से बिजली बाहर जा रही है। उसकी सालाना वैल्यू 72 हजार करोड़ रुपये है। हमारा बजट तो 53-54 हजार करोड़ रुपये का है। आप इस पर बहस क्यों नहीं करते? अगर आपने 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और अगर आपने 1000 करोड़ रुपये के भी प्रोजैक्ट लगा दिए होते तो स्थिति और होती। मैं पढ़ रहा था कि यदि 100 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजैक्ट लगाना है तो उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च आते हैं। इसे 1500 करोड़ रुपये भी मान लें तो मैं 100 मेगावाट की ही बात कर रहा हूं। यदि सोलर प्रोजैक्ट लगाना है तो उसमें लगभग 400-500 करोड़ रुपये खर्च आते हैं। लेकिन सोलर प्रोजैक्ट से बिजली उत्पादन की तुलना करें तो यदि हमारा हाइड्रो प्रोजैक्ट 24 घंटे में 24 लाख यूनिट बिजली पैदा करता है तो सोलर प्रोजैक्ट बड़ी मुश्किल से 4-5 सौ लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा।

(माननीय सभापति, श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

तो आप बताइए कि हाइड्रो प्रोजैक्ट लगाने से कितने गुना अधिक फायदा है? इसमें हमारी भूमि भी है और आप स्वयं भी यह बात कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह तो केवल एक उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण हैं। यदि आपने चर्चा करनी है तो इनकम सोर्स जनरेट करने के विषय पर चर्चा कीजिए। मैं देख रहा हूं कि पिछले चार साल से हम एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ? आप कहते हैं कि हम खा गए। आप बताएं कि किसने खाया है? जब मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ तो मैं तो बोलूंगा ही। मैंने किसी मंत्री पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने भ्रष्टाचार की बात उठाई है और भ्रष्टाचार की बात उठनी भी चाहिए। लेकिन चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हम इनकम सोर्सिज कैसे जनरेट करें? इसमें पीठ थपथपाने की बात नहीं है। आपने केवल 1200 करोड़ यूनिट बिजली ली है और वह भी 20 साल के लिए। यानी एक महीने में 60 करोड़ यूनिट बिजली ली है। यह कोई बहुत

18.11.2026/1640/RKS/Aएस-3

बड़ी बात नहीं है। चलिए, जो भी है लेकिन मेरा कहना है कि हमारे पास इससे कई गुना अधिक अवसर हैं और हमें उन अवसरों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका धन्यवाद। मेरे हिसाब से हमें इन अवसरों के पीछे पड़ना चाहिए।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

18.11.2026/1645/बी.एस./डी.सी.-1

श्री प्रकाश राणा जारी...

अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से अब हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इधर-उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को कैसे बचाया जाए। अब प्रदेश को बचाने की बात है। हमारा समय निकल गया है। इस विधान सभा का एक वर्ष और निकल जाएगा और फिर अगली विधान सभा आ जाएगी। लेकिन आने वाले समय में इस तरह से सिस्टम चलने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अभी से मिल-जुलकर तैयारी करनी चाहिए कि इस प्रदेश को कैसे बचाना है। आज स्थिति यह हो गई है कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जिसके पास कर्ज का भुगतान करने के लिए भी पैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वे अच्छी नहीं लगती हैं। हमारे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं आज वे बुजुर्ग हो चुके हैं। किसी व्यक्ति का अपना पैसा कहीं फंसा रह जाए तो उसे कितना दुख होता है। आदमी 24 घंटे उसी चिंता में रहता है।

(***)वे अपना हक मांग रहे हैं और अपना अधिकार मांग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके बारे में भी सोचना चाहिए। (***)

जब माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया है कि (***) 70-80 वर्ष के बुजुर्गों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? कर्मचारियों के विषय में श्री विनोद कुमार जी ने भी सही बात कही है। कर्मचारी और आई0पी0एच0 के कर्मचारी भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। कल वे बेचारे यहां मिले भी नहीं। उनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। वे भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आपने जो वादा किया था

उसे कम-से-कम पूरा तो कर दीजिए। आपने 5 लाख पक्की नौकरियां देने की बात कही थी। अब 5 लाख छोड़िए यदि एक-

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

18.11.2026/1645/बी.एस./डी.सी.-2

दो लाख नौकरियां भी दे सकते हैं तो दीजिए। लेकिन ये नौकरियां कहां से देंगे यह तो स्पष्ट कीजिए? मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी को ठगना और झूठ बोलना भी क्राइम है। क्या यह क्राइम नहीं है? क्या झूठ बोलना क्राइम नहीं है? फिर किसी को इसी तरह ठगेंगे? इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं।

सभापति महोदय, मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं और न ही किसी पर आरोप लगा रहा हूं। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। सबसे पहले झूठ बोलना बंद होना चाहिए। बिना मतलब की लड़ाई करने से भी कोई फायदा नहीं है। यह विधान सभा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। यहां हम जो भी बात करते हैं उसे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग सुन रहे होते हैं। इसलिए सदन में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है और यह बात सभी को पता है तो फिर हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए।

सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसके पास कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने तथा कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। जब यह स्थिति हम सभी स्वीकार कर रहे हैं तो फिर विकास की बातें किस आधार पर कर रहे हैं? हम किसके लिए यह सब कर रहे हैं? जो थोड़ा-बहुत कर्ज हम ले रहे हैं उसी को लेकर हम आपस में लड़ रहे हैं। यदि लड़ना ही है तो फिर मुद्दों पर चर्चा कीजिए और जिसको जो बात कहनी है वह सदन में कहे। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि अब हम देखते हैं कि हमारे इनकम सोर्सेज में कभी पांच प्रतिशत और कभी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी भी महंगाई के कारण होती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की जी0डी0पी0 को देखें तो पता चलता है कि इसमें हर साल लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। हम सोचते हैं

कि जी0डी0पी0 बढ़ गई तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ऊपर चली गई। लेकिन जी0डी0पी0 का मतलब समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक पेन है। 5 साल पहले इस पेन की कीमत 5 रुपये थी और आज इसकी कीमत 10 रुपये हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि पेन का उत्पादन बढ़ गया है। इसकी कीमत केवल महंगाई के कारण बढ़ी है। जी0डी0पी0 में भी इसी प्रकार वृद्धि दिखाई देती है। यह वृद्धि किस आधार पर होती

18.11.2026/1645/बी.एस./डी.सी.-3

है? कई बार यह वृद्धि केवल महंगाई के कारण होती है न कि उत्पादन बढ़ने के कारण। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में पांच साल पहले सेब 20 रुपये या 40 रुपये प्रति किलो बिकता था और आज वही सेब 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसका मतलब यह है कि जी0डी0पी0 बढ़ गई है लेकिन सेब का उत्पादन तो उतना ही है। उत्पादन कहां बढ़ा है? पिछले 10-20 वर्षों में हमारी जी0डी0पी0 में जो वृद्धि दिखाई गई है उसमें महंगाई का भी बड़ा योगदान है। जी0डी0पी0 बढ़ने से एक फायदा यह होता है कि कर्ज लेने की सीमा तीन प्रतिशत के हिसाब से बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि इससे तीन प्रतिशत और अधिक कर्ज मिल जाएगा लेकिन केवल कर्ज की सीमा बढ़ने से प्रदेश चलने वाला नहीं है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आय के नए साधन विकसित करने होंगे। सभापति महोदय, वैसे इस विषय पर बहुत से लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस सदन में हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाएं। इससे न मेरा भला होगा न आपका भला होगा और न ही प्रदेश की जनता का भला होगा।

वास्तविक भलाई इस बात में है कि हम अपने इनकम सोर्सेज कैसे जनरेट करें और अपनी आय कैसे बढ़ाएं। हमारा जो 72,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है उसमें से हम 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त कैसे कमा सकते हैं। मैं केवल 10,000 करोड़ रुपये की बात कर रहा हूं। जहां तक 60 यूनिट और 60 करोड़ यूनिट की बात की जा रही है तो हमें इसका वास्तविक हिसाब समझना चाहिए। अगर हम एक बार 15 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचते हैं और सालाना 60 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध होती है तो

इसकी कुल कीमत कितनी होगी? यदि इसे आठ रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भी बेचते हैं तो लगभग 480 करोड़ रुपये बनते हैं। इसलिए यह कहना कि इससे 20,000 करोड़ रुपये की आय हो जाएगी उचित नहीं है। सालाना बड़ी मुश्किल से 400 करोड़ रुपये की आय होगी। इस हिसाब से 20 वर्षों में भी लगभग 8,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर हमें वास्तविकता के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करना चाहिए।

18.11.2026/1645/बी.एस./डी.सी.-4

अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया भाग लेंगे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

18.11.2026/1650/DT/DC/01

श्री केवल सिंह पठानिया : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है उस पर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे वरिष्ठ सदस्य स्वयं ही कह रहे थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है यानी इनके दल के द्वारा नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया है उसका स्वयं ही उन्होंने डिनायल कर दिया है। यह कहते हुए पुष्टि कर दी है कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहां से होगा?

उन्होंने स्वयं सैलरी और पेंशन के बारे में बात कही है और वह सब बातें सदन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इन्होंने सच्चाई कही है इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योकि नोटिस विपक्ष की ओर से आया और विपक्ष के हमारी साथी ने खुद ही कह दिया जब पैसा ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? माननीय सदस्य बहुत बेबाकी बोलते हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आंकड़े इनके द्वारा यहां रखे गये मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति : माननीय सदस्य ने कहा है कि (***) इस बात को एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री केवल सिंह पठानिया : सभापति महादेय, जहां तक उन्होंने अपनी बात रखी है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। नियम-67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव आया है उसमें माननीय सदस्यों ने जो बातें रखीं और साथ में नोटिफिकेशन तथा अमेंडमेंट की बात भी आईं लेकिन वे सारी बातें स्विपिंग स्टेटमेंट थी। हम कह सकते हैं कि वे सारी बातें केवल अजंप्शन थी। यह कह रहे थे कि होटल पीटरहॉफ पी0पी0पी0 मोड पर जाएगा, जाएगा तब जब इसके लिए टर्मस एंड कंडीशन्ज तय होंगी।

दूसरा मामला यह धारा-118 पर लाए कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उस पर भी कोई लॉजिकल बात नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि इतने कनाल जमीन थी अथवा 500 कनाल या 1,000 कनाल जमीन थी, वह किस के नाम थी, और किसके नाम रजिस्ट्री हुई और इस काम के बीच में यह मामला भ्रष्टाचार का हुआ, तब तो हम मानते कि कोई लॉजिकल बात सदन में नहीं रखी गई।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

18.11.2026/1650/DT/DC/02

तीसरी बात उन्होंने पी0डब्ल्यू0डी0, जल शक्ति विभाग तथा अन्य विभागों की भी बात रखी और कहा कि उन विभागों में भी एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक के टेंडर की बात कही है तो अब ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य एक मिनट आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, अभी एक बड़ी दुखद घटना का समाचार प्राप्त हुआ है। हमारे क्षेत्र जोगिन्द्रनगर के लड़भड़ोल तहसील में एक एक्सिडेंट हुआ है जिसमें छह बच्चों की मृत्यु हो गई है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान

करें तथा उनके परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे। यह बहुत ही दुखद घटना है, छह के छह बच्चों की मृत्यु हो गई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप वहां के प्रशासन को निर्देश दें की जो भी त्वरित सहायता उन बच्चों के परिवारजनों को दी जा सकती है, वे उन तक पहुंचाए।

सभापति : माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी आप अपने वक्तव्य को कल जारी रख सकते, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और छह बच्चों की मृत्यु हुई है। यह सदन उन बच्चों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है व ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन छह बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करे।

अतः अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 19 नवंबर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला (तपोवन)-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 18 नवम्बर, 2026 **सचिव।**